हरियाणा विधान सभा

की

कार्यवाही

6 जुलाई, 1976

खण्ड 2, अंक 2

अधिकृत विवरण

विशय सूची

मंगलवार 6, जुलाई, 1976

पृश्ठ संख्या

तारांकित प्र न एवं उत्तर	(2)1
अतारांकित प्र न एवं उत्तर	(2)18
मेज पर रखे गए कागज पत्र	(2)24

अनुपूरक अनुमान (प्रथम किस्त) 1976–77 पे ा करना	(2)26
वर्श 1976–77 के अनुपूरक अनुमानों (प्रथम किस्त) पर प्राक्कलन समिति का प्रतिवेदन पे ा करना	(2)26
दि पंजाब होम्योपैथिक प्रैक्टी ानर्ज (हरियाणा अमैंडमैंट) बिल, 1976	(2)26
दि हरियाणा हाउसिंग बोर्ड (अमैंडमैंट) बिल, 1976	(2)29
दि कुरूक्षेत्र यूनिवर्सिटी (अमैंडमैंट) बिल, 1976	(2)31
दि कोर्ट फीस (अमैंडमैंट) बिल, 1976	(2)43
दि हरियाणा सेलरीज ऐंड अलाउंसिज आफ मिनिस्टर्ज (अमैंडमैंट) बिल, 1976	(2)51
दि हरियाणा लैजिस्लेटिव असैम्बली स्पीकर्ज ऐंड डिप्टी स्पीकर्ज सैलरीज ऐंड अलाउंसिज (अमैंडमैंट) बिल, 1976	(2)53
दि हरियाणा लैजिस्लेटिव असैम्बली अलाउंसजि आफ मैंबर्ज (अमैंडमैंट) बिल, 1976	(2)55
दि हरियाणा सीलिंग ऑन लैण्ड होल्डिग्ज (सैकिण्ड अमैंडमैंट) बिल, 1976	(2)57
दि हरियाणा म्यूनिसिपल (सैकिण्ड अमैंडमैंट) बिल, 1976	(2)81

बैठक का समय बढाना	(2)81
दि हरियाणा म्यूनिसिपल (सैकिण्ड अमैंडमैंट) बिल, 1976 (पुनरारम्भ)	(2)81
दि पंजाब इंडस्ट्रियल एस्टैब्लि ामैंट्स (नै ानल ऐंड फैस्टिवल होलिडैज कैजुअल ऐंड सिक लीव हरियाणा अमैंडमैंट बिल, 1976	(2)83
दि पंजाब ग्राम पंचायत (हरियाणा सैकिण्ड अमैंडमैंट) बिल, 1976	(2)85
दि पंजाब विलेज कॉमन लैण्ड्ज (रैगुले ान) हरियाणा अमैंडमैंट बिल, 1976	(2)86

हरियाणा विधान सभा

मंगलवार, 6 जुलाई, 1976

विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हाल, विधान भवन, सैक्टर–1, चण्डीगढ़ में 14.00 बजे हुई। अध्यक्ष (चौधरी सरूप सिंह) ने अध्यक्षता की।

तारांकित प्र न एवं उत्तर

Mr. Speaker: Question Hour.

Prisoners under going Life Imprisionment

***1601. Ch. Ram Lal Wadhwa:** Will the Minister for Transport be pleased to state the district wise number of prisoners undergoing life imprisonment in the jails of Haryana as at present ?

ि ाक्षा एवं परिवहन राज्य मंत्री (श्रीमती प्रसन्नी देवी):

(1) हरियाणा प्रान्त की जेलों में हरियाणा प्रान्त के आजीवन कारावास के बन्दियों की जिलावार संख्या 24.5.76 को निम्नलिखित प्रकार थी:–

1	अम्बाला	68
2	हिसार	247
3	रोहतक	111

4	करनाल	115
5	गुड़गांव	101
6	महेन्द्रगढ़	30
7	जींद	79
8	सिरसा	72
9	भिवानी	68
10	कुरूक्षेत्र	117
11	सोनीपत	34
	कुल	1042

(2) इसके अतिरक्त 17 आजीवन कारावास के बन्दी अन्य प्रान्तों से सजा होकर आए हैं।

चौधरी ि ाव राम वर्माः क्या मंत्री महोदय बताने के कृपा करेंगे कि जिसको आजावन कारावास हो जाती है, उसको कितने दिन जेल काटनी पडती हैं ? (व्यवधान)

(कोई जवाब नहीं दिया गया)

चौधरी दल सिंहः स्पीकर साहब, अभी मंत्री महोदया ने डिस्ट्रिक्ट वाइज उम्र कैदियों की तादाद बताई। क्या मंत्री महोदया

बताने की कृपा करेंगीं कि इन सब उम्र कैदियों को एक ही जेल में क्यों नहीं रखा जाता ?

श्रीमती प्रसन्नी देवीः स्पीकर साहब, सवाल यह पूछा गया था कि प्रत्येक जेल में उम्र कैदियों की तादाद कितनी कितनी है ?

चौधरी ि ाव राम वर्माः क्या मंत्री महोदया बताने की कृपा करैंगी कि उम्र कैदियों को जेल में क्या सुविधाएं दी जाती हैं ? (व्यवधान)

(कोई जवाब नहीं दिया गया)

चौधरी दल सिंहः क्या मंत्री महोदया बताने की कृपा करेंगी कि किस किस जेल में कितने कितने उमर कैदी हैं ?

श्रीमती प्रसन्नी देवीः

अम्बाला– 666 जमा 4 दूसरे राज्यों के हैं।

हिसार– 190 जमा 7 दूसरे राज्यों के हैं।

गुड़गांवा– 6

करनाल– 13 जमा 1 दूसरे राज्य का है।

बच्चा जेल हिसार– 109 जमा 2 दूसरे राज्यों के हैं।

भिवानी– 2

चौधरी फूल चन्द (रोहट): क्या मंत्री महोदया बताने की कृपा करेंगी कि क्लास वन, मिजा के अंडर तथा डी0आई0आर0 के अंडर जो कैदी हैं, उनको रहने के लिये किस तरह से रा ि ा मिलती है ?

श्रीमती प्रसन्नी देवी: इसके लिए अलग से नोटिए चाहिए।

चौधरी दल सिंह: क्या मंत्री महोदया बताने की कृपा करेंगी कि जो उमर कैदी हैं, उनका रा ान स्केल क्या है ?

श्रीमती प्रसन्नी देवी: स्पीकर साहब, इस सप्लीमैंट्री का सवाल से कोई ताल्लुक नहीं है। इसके लिए अलग से नोटिस चाहिए।

चौधरी पीर चन्द: क्या मंत्री महोदया बताने की कृपा करेंगी कि जेल में कैदी की सजा पूरी हो जाने के बाद पुलिस से रिपोर्ट मंगाई जाती है कि उसको छोडा जाए या नहीं ? अगर पुलिस की रिपोर्ट हां में आ जाती है तो छोड दिया जाता है वरना नहीं। (व्यवधान)

(कोई जवाब नहीं दिया गया)

चौधरी ि ाव राम वर्मा: क्या मंत्री महोदया बताने की कृपा करेंगी कि इन उमर कैदियों में सबसे कम उमर के कैदी की उमर कितनी है और ज्यादा से ज्यादा कितनी उमर का कैदी है ?

श्रीमती प्रसन्नी देवीः स्पीकर साहब, क्वै चन में तो यह पूछा नहीं गया है।

चौधरी ि ाव राम वर्माः स्पीकर साहब, हर चीज के लिए अलग सवाल कैसे किया जा सकता है ?

Mr. Speaker: Order please. The question was very simple. Only the number was asked.

चौधरी ि ाव राम वर्माः स्पीकर साहब, नम्बर के साथ सारी चीजें पूछी जा सकती हैं। हर चीज के लिए अलग सवाल कैसे किया जा सकता है ?

श्री अध्यक्षः या तो उनकी तैयारी होनी चाहिए या किसी का तजरूबा हो।

चौधरी पीर चन्दः स्पीकर साहब, मंत्री महोदया ने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। इसलिए मुझे दोबारा अपना सवाल दुहराने के लिए उठना पडा है जो जेल के मुत्ताल्लिक है।

Mr. Speaker: Order please. No repetition. (interruptions) Order, order please. This is not a supplementary to this question.

चौधरी प्रताप सिंह दौलताः स्पीकर साहब, लाइफ इम्प्रिजनमैंट का मतलब है लाइफ इम्प्रिजनमैंटं लाइफ इम्प्रिजनमैंट का मतलब कोई 20 साल या 14 साल नहीं है। इसके बारे में

सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग आ चुकी है। जब किसी की रिपोर्ट सैटिसफैक्टरी होती है तो गवर्नमैंट उसको छोड देती है।

Culpable Homicide Committed in the State

1612. Ch. Dal Singh: Will the Chief Minister be pleased to state-

(a) the number of culpable homicides committed in the State during the financial year 1975-76;

(b) the number of cases referred to in part (a) above in which challans were presented in the Courts; and

(c) the number of such cases in which accused were convicted ?

गृह एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री (श्रीमती भारदा रानी): वांछित सूयना नीचे प्रस्तुत है–

(अ) 81

(ब) 74

(स) 4 (59 मुकद्दमें अभी न्यायालय में विचाराधीन हैं।)

चौधरी दल सिंह: स्पीकर साहब, सवाल के पार्ट सी में बताया गया है कि 4 केसिज में सजा हुई। क्या मंत्री महोदया बताने की कृपा करेंगी कि बाकी केसिज में क्या हो रहा है ?

श्रीमती भारदा रानी: स्पीकर साहब, 81 केसिज में से 4 केसिज तो अंडर इंनवैस्टीगे ान हैं, 3 कैंसिल किए जा चुके हैं, 74 के चालान किए जा चुके हैं, जिनमें से 4 केसिज में सजा हुई है और 11 केसिज में एक्विटल हुई है। 59 केसिज पैंडिंग हैं।

चौधरी दल सिंह: स्पीकर साहब, पिछल साल से इस साल तादाद ज्यादा है। एक तरफ तो ये कहते हैं कि जुर्म कम हो रहे हैं और दूसरी तरफ तादाद बढ रही है: क्या मंत्री महोदया बताने की कृपा करेंगी कि इसका क्या कारण है ?

श्रीमती भारदा रानी: अध्यक्ष महोदय, तभी तो हम कहते हैं कि आबादी घटे, जिससे जुर्म कम हों, जितनी आबादी बढेगी उतने ही जुर्म ज्यादा होंगे।

Additional Area Irrigated under 20-Point Economic Programme

1632. Ch. Mehar Chand : Will the Chief Minister be pleased to state-the additional area brought under irrigation in Haryana State since the inception of 20-Point Programme of the Prime Minister ?

State Minister for Irrigation & Power (Sardar Harmohinder Singh Chatha): 54 thousand hectares (1.33 lakh acres) be Government Canals and Government tubewells.

चौधरी मेहर चन्दः क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि 54 हजार हैक्टेयर में से कैनाल इरीगे ान से और डायरैक्ट ट्यूबवैल्ज से कितनी जमीन में इरीगे ान हुई है ?

सरदार हरमोहिन्दर सिंह चट्ठाः स्पीकर साहब, एम0आई0टी0सी0 की फिग्र्ज तो हो सकती है लेकिन डायरैक्ट टयूबवैल्ज से जितनी इरीगे ान हुई है उसकी फिग्र्ज नहीं हो सकती। भौलो टयूबवैल्ज 4990 लगे हैं, वैल्ज 338, पम्पिंग सैटस 262, स्प्रिकंलर्ज 169 और इसी ढंग से एम0आई0टी0सी0 के ऑग्मैंटे ान टयूबवैल्ज 58 और डायरैक्ट टयूबवैल्ज 56 लगे हैं।

चौधरी मेहर चन्दः स्पीकर साहब, अभी मिनिस्टर साहब ने भौलो टयूबवैल्ज के नम्बर बताए हैं लेकिन एरिया नहीं बताया। क्या मिनिस्टर साहब बताने के कृपा करेंगे कि एक टयूबवैल एप्रौक्सीमेटली कितने एरिया को इरीगेट करता है ?

सरदार हरमोहिन्दर सिंह चट्ठाः अध्यक्ष महोदय, यह डिपैन्ड करता है सायल पर, टयूबवैल्ज की डिलीवरी पर और दूसरे अगर सैन्डी लैण्ड हैं, तो पलेवा कम होगा, अगर सैन्डी लैण्ड नहीं है तो पलेवा ज्यादा होगा। वैसे एक टयूबवैल 2 हैक्टेयर जमीन को इरीगेट कर सकता है।

चौधरी फूल चन्द (रोहट): क्या मिनिस्टर साहब, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि 20 सूत्रीय प्रोग्राम के तहत 1976–77 में सरकार का और कितने टयूबवैल्ज लगाने का इरादा है ?

Sardar Harmohinder Singh Chatha: Sir, this figure is not available with me.

राव बंसी सिंहः क्या मिनिस्टर साहब यह बतलाने की कृपा करेंगे कि 20 सूत्रीय प्रोग्राम के तहत डिस्ट्रिक्ट महेन्द्रगढ में कितने एकड भूमि को सैराब करने का सरकार का इरादा है ?

मुख्य मंत्री (श्री बनारसी दास गुप्ता): अध्यक्ष महोदय, जवाहर लाल नेहरू कैनाल जो नई बनाई जा रही है उसका ज्यादा पानी जिला महेन्द्रगढ में लगेगा। उसका फर्स्ट फेज कम्प्लीट हो चुका है। जुलाई के अन्तिम सप्ताह तक उसको हम चलाएंगे और उससे हम 20 हजार एकड नई जमीन को पानी इस वर्श दे रहे हैं और उसमें मोस्टली हिस्सा डिस्ट्रिक्ट महेन्द्रगढ का है।

चौधरी दल सिंहः अभी मिनिस्टर साहब ने फरमाया कि 54 हैक्टेयर भूमि को पानी दिया जा चुका है। क्या वे बताने की कृपा करेंगे कि यह 20 सूत्रीय प्रोग्राम लागू होने से पहले की बात है या कि बाद की ?

सरदार हरमोहिन्दर सिंह चट्ठाः अध्यक्ष महोदय, यह 20 सूत्रीय प्रोग्राम के बाद की बात है।

चौधरी ि ाव राम वर्माः क्या मंत्री महोदय, यह बताने की कृपा करेंगे कि 20 सूत्रीय प्रोग्राम के अधीन जो पि चमी यमुना नहर की स्कीम है उसके अंडर कितना पानी बढा है और कितना रकबा सिंचाई के अधीन लिया गया है ?

सरदार हरमोहिन्दर सिंह चट्ठाः स्पीकर साहब, इसकी डिटेल तो इस वक्त मेरे पास नहीं है। ये अलग से नोटिस दें तो हम बता देंगे।

चौधरी दल सिंहः अध्यक्ष महोदय, टयूबवैल्ज की संख्या 5737 बनती है। अगर एक टयूबवैल लगाया जाए तो उससे 9 हैक्टेयर जमीन को पानी मिलता है। तो क्या मिनिस्टर साहब यह बताने की कृपा करेंगे कि टयूबवैल की जमीन को छोड कर नहरों से कितनी जमीन को पानी दिया गया ?

श्री बनारसी दास गुप्तः अध्यक्ष महोदय, मेरे पास ईयर वाईज फिग्र्ज हैं और वे फिग्र्ज केवल कैनाल इरीगे ान की हैं, टयूबवैल्ज का उनसे कोई ताल्लुक नहीं है।

साल	एरिया लाख एकड़
1967—68	33.94
1968—69	32.24
1969—70	37.01
1970—71	35.76
1971—72	37.23

1972–73	37.93
1973–74	40.88
1974–75	37.73

अध्यक्ष महोदय, यह जितने साल मैंने बताएं हैं, 1967 से 1975 तक उनमें सबसे बैस्ट साल 1973–74 का है क्योंकि 1973–74 में बारि ों काफी हुई और दरिया में पानी भी ज्यादा था। गोबिन्द सागर में भी पानी काफी था, वैस्टर्न यमुना कैनालज में भी पानी काफी था। अब हमने जो लेटैस्ट ईयर की जो फिग्र्ज ली हैं, उन फिग्र्ज को हमने 1973–74 से कम्पेयर किया है जो कि बैस्ट साल था जबकि बारि ाों का पानी अवेलेबल था और उस साल 40.88 लाख एकड जमीन को पानी मिला। आज जो हमारा पानी लगा है, वह जमीन है 42.14 लाख एकड़। तो इस हिसाब से 20 सूत्रीय प्रोग्राम लागू होने के बाद 1.26 लाख एकड नई जमीन को पानी दिया गया है और यह जो सूचना मैंने दी हैं यह सिर्फ कैनालज के बारे में है।

चौधरी मेहर चन्दः क्या मिनिस्टर साहब, यह बताने की कृपा करेंगे कि 20 सूत्रीय प्रोग्राम भाुरू होने के बाद कितना पानी माईनर इरीगे ान के जरिए और कितना नहरों के जरिए पहले से ज्यादा दिया गया ?

सरदार हरमोहिन्दर सिंह चट्ठाः स्पीकर साहब, इस वक्त तो फिग्र्ज मेरे पास अवेलेबल नहीं हैं। जहां जहां पानी पहुंच सकता है वहां पर पहुंचाने का यत्न किया जाएगा।

चौधरी ि ाव राम वर्माः अध्यक्ष महोदय, अभी मुख्य मंत्री महोदय ने बताया कि यह जो फिग्र्ज दी जा रही हैं, ये खालिस नहरों की फिग्र्ज हैं। उनको यह कैसे पता लगा कि यह खालिस नहरों की हैं जबकि टयूबवैल का पानी इरीगे ान के लिए इस्तेमाल होता है ?

श्री बनारसी दास गुप्तः अध्यक्ष महोदय, यह तो टैक्नीकल आदमी ही जानते हैं, जिन्होंने गिरदावरी की है।

श्री हरि सिंहः अध्यक्ष महोदय, क्या मिनिस्टर साहब यह बतलाने की कृपा करेंगे कि 20 सूत्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत जो जमींदार जमीन को इरीगेट करने के लिए बिजली का कुनैक ान्ज लेने के लिए एप्लीके ान्ज देते हैं उनको उसी वक्त बिजली का कुनैक ान क्यों नहीं दिया जाता, जबकि हमारी स्टेट में काफी बिजली है और इसी वजह से फरीदाबाद में एक थर्मल प्लांट बंद भी पडा है। इसका कारण क्या है ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

मलिक सतराम दास बत्तराः अध्यक्ष महोदय, अभी बताया गया है कि 42.14 लाख एकड भूमि को पानी दिया गया है। क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि अगर उसमें टयूबवैल्ज

का इरीगेटिड एरिया मिला दिया जाए तो कुल कितनी भूमि को पानी मिलेगा ?

श्री बनारसी दास गुप्तः अध्यक्ष महोदय, इस बारे में तो सवाल के जवासब में ही बताया जा चुका है।

श्री धजा रामः क्या मिनिस्टर साहब, यह बताने की कृपा करेंगे कि एम0आई0टी0सी0 के जो टयूबवैल्ज हैं, जिनको 300–400 एकड का रकबा दिया हुआ है, वे टयूबवैल्ज आजकल काम कर रहे हैं या नहीं ? दूसरा इस बारे में भी बताने की कृपा करेंगे कि एम0आई0टी0सी0 के जो टयूबवैल्ज हैं, उनकी लाईफ कितनी है ?

सरदार हरमोहिन्दर सिंह चट्ठाः स्पीकर साहब, एम0आई0टी0सी0 के टयूबवैल्ज हैं, वे ठीक तरीके से काम कर रहे हैं। अगर कहीं पर टयूबवैल्ज ठीक तरीके से काम कर रहे हैं। अगर कहीं पर टयूबवैल्ज ठीक तरीके से नहीं काम कर रहे हैं तो आनरेबल मैंबर साहेबान हमारे नोटिस में ऐसा कोई केस लाएं तो हम उस बारे इनक्वायरी कर लेंगे। जहां तक एम0आई0टी0सी0 के टयूबवैल्ज की लाईफ का सवाल है इसके लिए आनरेबल मैंबर अलग से नोटिस दें तो हम बता देंगे।

चौधरी पीर चन्दः अध्यक्ष महोदय, क्या मिनिस्टर साहब बताएंगे कि जिन टयूबवैल्ज में पानी की कमी हो गई है इसके

क्या कारण हैं ? कहीं खालें पक्की करने की वजह से तो ऐसा नहीं हो रहा है ?

श्री बनारसी दास गुप्तः यह तो हमने ही बनाई हैं आपने तो नहीं बनवाई हैं।

Approach Road from Ballabhgarh Market to Railway Station Ballabhgarh

1639. Sh. K.N. Gulati : Will the Minister for Revenue be pleased to state-

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to construct approach road direct from Ballabhgarh Market to Railway Station Ballabhgarh; and

(b) if so, the time by which the above said road is likely to be constructed ?

Revenue Minister (Pandit Chiranji Lal Sharma):

(a) No, Sir.

(b) Question does not arise.

श्री के0एन0 गुलाटीः अध्यक्ष महोदय, मिनिस्टर साहब ने जो जवाब दिया है वह देहातों की पालिसी के हिसाब से जवाब दिया है। क्या वे बतलाने की कृपा करेंगे कि बल्लभगढ मार्किट से रेलवे स्टे ान बल्लभगढ तक डायरैक्ट पक्की सडक बनाने की सरकार की कोई स्कीम विचाराधीन है ?

Pandit Chiranji Lal Sharma: Mr. Speaker, Sir, there is already a bridge on the road to the Railway Station over the road crossing which is in existence.

श्री के0एन0 गुलाटी: स्पीकर साहब, जिस रोड का मिनिस्टर साहब जिकर कर रहे हैं उससे लोगों को बहुत दूर का रास्ता तय करना पडता है। क्या कोई भाार्ट रूट सडक बनाने की सरकार की तजवीज है ता कि लोगों को किसी प्रकार की परे ाानी न हो।

Pandit Chiranji Lal Sharma: My reply is already clear, Sir.

M.I.T.C. Tubewells

1657. Sh. Jagjig Singh Tikka : Will the Chief Minister be pleased to state-

(a) the total number of new tubewells proposed to be drilled by Minor Irrigation Tubewells Corporation in Tehsil Naraingarh during the financial year 1976-77;

(b) the number of tubewells so far drilled by Minor Irrigation Tubewells Corporation successfully in Tehsil Naraingarh but have not started supplying water for irrigation; and

(c) the time by which the tubewells referred to in part (b) above are likely to start supplying water for irrigation purposes ?

State Minister for Irrigation & Power (Sardar Harmohinder Singh Chatha):

(a) 18 against the schemes already in hand.

(b) 48.

(c) By the end of current financial year 1976-77.

श्री जगजीत सिंह टिक्काः क्या मंत्री महोदय बताएंगे कि इनमें से जो टयूबवैल्ज चल नहीं रहे हैं, वे एम0आई0टी0सी0 ने कम्पलीट नहीं किए, इस वजह से नहीं चल रहे हैं या इलैक्ट्रिक कनैक ान की वजह से नहीं चल रहे हैं ? इनकी संख्या कितनी है ?

सरदार हरमोहिन्दर सिंह चट्ठाः मैंने अभी बताया है कि जितने सैक्सैसफुली ड्रिल हो चुके हैं और जिनकी टैस्ट रिपोर्ट दे दी है, वे 48 हैं।

श्री जगजीत सिंह टिक्काः मैं तो यह जानना चाहता हूं कि उनमें से कुछ चालू किस वजह से नहीं हुए ?

सरदार हरमोहिन्दर सिंह चट्ठाः बिजली मिलने की वजह से नहीं हुए। (हंसी)

श्री जगजीत सिंह टिक्काः क्या मंत्री महोदय बताएंगे कि पुराने टयूबवैल्ज में से कितने वर्क कर रहे हैं और कितने वर्क नहीं कर रहे हैं और क्या टयूबवैल्ज नम्बर 104 और 107 इस

वजह से पूरा काम नहीं करते कि उनके ट्रांसफार्मर की वोल्टेज कम है ?

सरदार हरमोहिन्दर सिंह चट्ठा: टोटल ड्रिल्ड टयूबवैल्ज 234 हैं, 5 टयूबवैल्ज ऐसे हैं जो अबंडन कर दिए गए हैं या कई ऐसे हैं जिनकी म ाीन खराब हो या कोई और नुक्स पड गया हो। इनको हम ठीक करवा देंगें।

Mandi at Amin Village

166. Ch. Shiv Ram Verma: Will the Minister for Excise and Taxation be pleased to state-

(a) whether there is any scheme under consideration of the Government regarding construction of a Mandi at Village Amin; and

(v) if so, the stage thereof together with the time by which the said Mandi is likely to start functioning after its completion ?

Excise and Taxation Minister (Sh. Shyam Chand):

(a) Yes.

(b) Land measuring 25.4 acres has been acquired and the layout plan of the mandi is being prepared. It is hoped that the plots will be sold at site during the year 1976-77.

चौधरी ि िव राम वर्मा: अध्यक्ष महोदय, मैंने तो मंत्री महोदय से यह पूछा था कि इनके चालू होने की सम्भावना कब तक है, लेकिन इन्हौंने जवाब और ही दिया है ?

श्री भयाम चन्द: यह भ्युक्र करो कि बनवाने लगे हैं।

Visits made by the Chief Minister and Minsiters to Delhi

1602. Ch. Ram Lal Wadhwa : Will the Chief Minister be pleased to state-

(a) the total number of visits made by each Minister including the Chief Minister to Delhi during the period from January, 1975 to date together with the number of days of their stay there; and

(b) the amount of T.A. drawn by each of the said Ministeres together with the puproses of their visits in each case, separately ?

मुख्य मंत्री (श्री बनारसी दास गुप्त): सूचना इकट्ठी करने में जो समय तथा परिश्रम लगेगा, उससे कोई वि ोश लाभ न होगा।

H.A.P. Battalions

1613. Ch. Dal Singh : Will the Chief Minister be pleased to state-

(a) the total strength of H.A.P. Battalions in the States as on 31-3-1976;

(b) the total number of recruits enrolled in various H.A.P. Battalions during the Financial years 1974-75 and 1975-76, separately; and

(c) the total number of recruits enrolledl out of those referred to in part (b) above who belong to Scheduled Castes and Backward Classes, separately ?

गृह तथा स्वास्थ्य राज्य मंत्री (श्रीमती भारदा रानी):

(क) 31–3–1976 को राज्य में हरियाणा स ास्त्र पुलिस की 5 बटालियन थीं जिनमें निम्नलिखित अधिकारी/कर्मचारी थे–

उप पुलिस महानिरीक्षक – 1

पुलिस अधीक्षक – 6

निरीक्षक – 16

उप निरीक्षक/सहायक उप निरीक्षक– 42

प्रधान सिपाही – 117

सिपाही – 3488

जोड़ – 4416

(ख) तथा (ग) अनुसूचित जातियों तथा पिछड़े वर्गों से संबंधित व्यक्तियों को मिलाकर भर्ती के आंकडें कथित वर्शों के दौरान निम्न प्रकार से हैं :–

वर्श	कुल भर्ती	अनुसूचित जातियां	पिछड़े वर्ग
1974–75	1004	182	49
1975–76	314	53	19

चौधरी दल सिंहः अभी मंत्री महोदय ने पार्ट बी के जवाब में बताया कि 1974–75 में एच0ए0पी0 बटालियन में 1050 की रिक्रूटमैंट की गई और इसमें से 182 भाडयूल कास्टस के भर्ती किए और 1975–76 में 314 में से 53 किए तो क्या मंत्री महोदया यह बताने की कृ पा करैंगे कि इन सालों में भौडयूल्ड कास्टस और बैकवर्ड क्लासिज की परसैन्टेज क्या थी ?

श्रीमती भाारदा रानीः अध्यक्ष महोदय, रिजर्वे ान के मुताबिक इनका भोयर 20 प्रति ात और 2 प्रति ात है। हमने 1974–75 में 182 भौडयूल्ड कास्टस लिए और 9 बैकवर्ड क्लासिज के लिए और 1975–76 में 53 भौडयूल्ड कास्टस लिए और 19 बैकवर्ड क्लासिज के लिए। इस प्रकार कुल मिलाकर इनका भोयर रिजर्वे ान से ज्यादा बनता है।

चौधरी दल सिंहः 1975–76 में टोटल रिक्रूटमैंट 314 थी, जिसमें से 53 भौडयूल्ड कास्टस लिए गए जो कि 20 प्रति ात से कम हैं। आप रोजाना यह एलान करते हैं कि हम भौडयूल्ड कास्टस को और बैकवर्ड क्लासिज को पूरी रिजर्वे ान दे रहे हैं तो पुलिस डिपार्टमैंट में यह रिजर्वे ान पूरी क्यों नहीं हुई ?

श्रीमती भारदा रानीः हमने बताया है कि इनका टोटल करके देखो, वह पूरा ही नहीं बल्कि ज्यादा बनता है।

मुख्य मंत्री (श्री बनारसी दास गुप्ता): अध्यक्ष महोदय,अभी बताया गया है कि रिजर्वे ान से ज्यादा भर्ती की गई है, लेकिन यह समझ में नहीं आता कि मैंबर साहब यह बात कैसे कहते हैं कि उनको रिजर्वे ान पूरी नहीं दी गई।

चौधरी दल सिंहः 1050 में से 182 भर्ती किए गए हैं तो क्या यह 20 प्रति ात है ?

श्री बनारसी दास गुप्तः यह फिगर 1050 नहीं, बल्कि 1004 है। राज्य मंत्री महोदया ने बडे स्पश्ट रूप से बताया 1974–75 में कुल 1004 भर्ती किए और उसमें से 182 भौडयूल्ड कास्टस और 49 बैकवर्ड क्लासिज के भर्ती किए गए। ऐसा हो सकता है कि किसी वर्श हरिजनों की परसैंटेज कुछ कम रही हो और बैकवर्ड क्लासिज की ज्यादा हो गई हो, लेकिन दोनों को मिला कर जो रे ाो बनती है, वह जितनी होनी चाहिए, उस से ज्यादा है। इसके अलावा अध्यक्ष महोदय, हमने पुलिस में भर्ती के लिए भौडयूल्ड कास्टस को और भी ज्यादा रियायत दी है। कांस्टेबल की भर्ती में इनके लिए क्वालिफिके ान हमने मैट्रिक की बजाय मिडल कर दी है और कद में भी एक ईंच की रियायत दी है।

चौधरी ि ाव राम वर्मा: क्या मंत्री महोदय बताएंगे कि पुलिस में भर्ती होने के लिए कद कितना होना चाहिए और छाती कितनी होनी चाहिए ?

श्री अध्यक्ष: क्या आपकी पैमाइ ा मुकर्रर कर दी जाए। (हंसी)

श्रीमती भाारदा रानी: पुलिस में भर्ती के लिए कद 6 फुट होना चाहिए और छाती कम से कम 34 इंच होनी चाहिए। लेकिन अध्यक्ष महोदय भौडयूल्ड कास्ट के लिए हमने बहुत ढील दी हुई है, उनकी एजुके ान क्वालिफिके ान में भी, कद में भी और छाती में भी।

चौधरी ि ाव राम वर्मा: क्या मंत्री महोदया बताएंगी कि 6 फुट के कितने जवान भर्ती किए गए हैं ?

श्रीमती भाारदा रानी: ज्यादातर इसी कद के जवाब भर्ती किए गए हैं।

राव निहाल सिंह: जवानों के लिए तो 6 फुट का कद मुकर्रर किया गया है, क्या मंत्री महोदया बताएंगी कि मिनिस्टरों के लिए कितना कद मुकर्रर है ? (हंसी)

(कोई जवाब नहीं दिया गया)

चौधरी दल सिंहः क्या मंत्री महोदया बताएंगी कि पुलिस में भर्ती होने के लिए भौडयूल्ड कास्टस के लिए एजुके ान क्वालिफिके ान कितनी है ?

श्रीमती भाारदा रानीः वैसे तो मैट्रिक रखी गई है, लेकिन भौडयूल्ड कास्टस के लिए घटा कर मिडल कर दी गई है।

राव बंसी सिंहः क्या मंत्री महोदय बताएंगे कि भिवानी और महेन्द्रगढ जैसे बैकवर्ड एरियाज के लिए लोगौं के लिए पुलिस में भर्ती होने के लिए क्या क्या रियायतें दी गई हैं ?

श्रीमती भाारदा रानीः वहीं के तो ज्यादा लम्बे जवान निकलते हैं, फिर भी 5 फुट 10 ईंच तक के कंसीडर कर लिए जाएंगे।

चौधरी दल सिंहः क्या मंत्री महोदया बताएंगी कि एच0ए0पी0 की कुल बटालियन्ज कितनी हैं और उनके अंदर हरिजन और बैकवर्ड क्लासिज के अलग अलग कितने कितने आदमी हैं ?

श्रीमती भाारदा रानीः उनमें सिपाही 4416 हैं और अफसर अलग हैं।

Handloom Industry

1633. Ch. Mehar Chand : Will the Minister for Industries be pleased to state-the steps taken for the development of Handloom Industry in the State so far ?

Industries Minsiter (Sh. Harpal Singh): A number of effective steps have been taken by the Industries Department and the Co-operative Department for the development of handloom industry in Haryana under the 20-Point Programme. It would, however, be possible to spell the detailsl only on the basis of the particular scheme in which the Hon'ble Member indicates his interest.

चौधरी मेहर चन्दः स्पीकर साहब, जवाब तो इन्होंने जो मकसद था, वैसा दे दिया, मेरा कोई पोलिटीकल मकसदन नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं कि हैंडलूम इंडस्ट्री किन किन स्थानों पर डिवैल्प कर रहे हैं और इसके लिए क्या स्टैप्स ले रहे हैं ?

श्री हरपाल सिंहः ये बहुत सारी स्कीमें हैं, उसकी बहुत लम्बी लिस्ट मेरे पास है। जो नए स्टैप्स ले रहे हैं, वे बडे बिग हैं। वीवर्ज को रॉ–मैटिरीयल का सप्लाई करना, मार्किटिंग का और ट्रेनिंग वगैरह का इन्तजाम किया जा रहा है। चौधरी मेहर चन्द को हम लिस्ट दे देंगे, लिस्ट पढ कर लोगों को वे जवाब दे देंगे।

श्री अमर सिंहः क्या मिनिस्टर साहब बताएंगे कि हैंडलूम इंडस्ट्री फैलाने के लिए 20 सूत्री कार्यक्रम के तहत सैन्टर से भी कुछ मदद मिल रही है ?

श्री हरपाल सिंहः हाउस को खु ाी होगी कि हरियाणा के पास ऐसा कोई प्रोजैक्ट नहीं था। अब चीफ मिनिस्टर और डिफैंस मिनिस्टर साहब की एफर्टस से हमें सैन्टर से 2 करोड रूपए की मालियत के दो प्रोजैक्ट मिले हैं।

चौधरी ि ाव राम वर्मा: अध्यक्ष महोदय, उन्होने मेहर चन्द के सवाल का अंग्रेजी में जवाब दिया, उसका सबको पता नहीं चला। मंत्री महोदय से मैं पूछना चाहता हूं कि जो प्रोजैक्ट मिले हैं, नीलोखेड़ी मैं भुरू में हैंडलूम भुरू की गई थी, तो उस इंडस्ट्री को बढावा देने के लिए सरकार वहां क्या कर रही है। ?

श्री हरपाल सिंह: वहां एक डिमांस्ट्रे ान पार्टी है जो लोगों को वीविंग के लिए ट्रेनिंग देती है।

चौधरी फूल सिंह कटारिया: अध्यक्ष महोदय, हैंडलूम की बाबत तो वजीर साहब ने बताया है लेकिन लैदर इंडस्ट्री के बारे में उनका क्या विचार है ?

(कोई जवाब नहीं दिया गया)

श्री गौरी भांकर: क्या इंडस्ट्री मंत्री बताएंगे कि वे प्राजैक्ट कहां कहां लगाएंगे जिनकी सैंटर से मंजूरी मिली है ?

श्री हरपाल सिंह: ये दोनों प्रोजैक्ट जहां मैक्सिमम वीवर्स की कंसैन्ट्रे ान होगी जैसे पानीपत तथा भिवानी वहां लगाए जाएंगे।

श्री अमर सिंह: क्या मंत्री महोदय बताएंगे कि टैक्नीकल नो हाउ जानने के लिए कहां कहां ट्रेनिंग दी जा रही है और अब कितने लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं ?

श्री हरपाल सिंहः अध्यक्ष महोदय, यह काम ज्यादातर को आप्रेटिव वाले कर रहे हैं। 16 सैन्टर खोले गए हैं, 20 सैंटर खोलने थे। इंडस्ट्री डिपार्टमैंट ने भी कई जगह ये सैंटर खोले हैं। ये अगर सारी लिस्ट चाहें तो मुझे मिल कर ले सकते हैं।

श्री के0एन0 गुलाटीः फरीदाबउद में इस प्रोजैक्ट में एक वीवर्ज का उद्योग नहीं है, दूसरे तो बहुत से हैं। क्या मंत्री महोदय बताएंगे कि वहां पर भी यह प्रोजैक्ट लगाने का इरादा है ?

श्री हरपाल सिंहः जहां ज्यादा वीवर्ज हैं, वहां यह प्रोजैक्ट लगेगा।

Over Bridge at Neelam Railway Crossing N.I.T. Faridabad

1640. Sh. K.N. Gulati : Will the Minister for Reveune be pleased to state-

(a) the date on which foundation stone for 40 feet wide over bridge at Neelam Railway Crossing N.I.T. Faridabad was laid;

(b) the time by which the said over bridge is likely to be opened for traffic; and

(c) the total cost likely to be incurred on the said over bridge ?

Revenue Minister (Pandit Chiranji Lal Sharma):

(a) 5-1-1976.

(b) No definite date can be given at present as a part of the work is to be done by the Railway Department. The work to be done by the State P.W.D. is likely to be completed in about two years.

(c) About Rs. 75 lakhs.

Provincialised School Buildings in Ambala District

1658. Sh. Jagjit Singh Tikka : Will the Minister for Education be pleased to state-

(a) the total number of provinicialised schools of Zila Parishands or Local Bodies in Ambala District, the buildings of which were taken over by the P.W.D. (B&R);

(b) the number of High, Middle and Primary School buildings tehsil wise still remain to be taken over by the P.W.D. (B&R);

(c) the time by which all Schools buidlings are likely to be taken over the P.W.D. (B&R); and

(d) the total number of School buildings out of those referred to in part (a) above which have been repaired by the P.W.D. (B&R) so far ?

िक्षा एवं परिवहन राज्य मंत्री (श्रीमती प्रसन्नी देवी):

(ए) 35

(बी)

	उच्चतर माध्यमिक	उच्च विद्यालय	माध्यमिक विद्यालय	प्राथमिक विद्यालय	जोड़
अम्बाला		6	5	106	117
कालका				3	3
जगाधरी			6	67	73
नारायणगढ़	1	10	17	79	107
जोड़	1	16	28	255	300

(सी) इसके लिए कोई समय निर्धारित नहीं किया जा सकता क्योंकि ऐसा करने से पहले कई औपचारिकताएं पूरी करनी होती हैं।

(डी) 35

श्री जगजीत सिंह टिक्का: क्या मंत्री महोदय बताएंगे कि जो बाकी स्कूल टेकर ओवर करने से रह गए हैं उनको कब तक ले लिया जाएगा ? खास तौर पर जो रिपेयर के बगैर गिरने जा रहे हैं, जहां पंचायत के पास पैसा नहीं, उनकी रिपेयर कौन करेगा ? आप करेंगे या पी0डब्ल्यू0डी0 वाले करेंगे ?

शिक्षा मंत्री (श्री माडू सिंह मलिक): पी0डब्ल्यू0डी0 के कुछ नियम हैं, जब तक वे नियम पूरे नहीं होते, उस स्कूल को

पी0डबल्यू0डी0 वाले नहीं लेते। ऐसी सूरत में हमारे अपने जो फण्डज हैं, उनमें उनकी मुरम्मत कराते हैं।

श्री अमर सिंहः क्या वजीर साहब बताएंगे कि वे क्या क्या नियम हैं जिनका उन्होंने जिक्र किया है ?

श्री माडू सिंह मलिकः यह तो पी0डबल्यू0डी0 वाले ही बता सकते हैं कि क्या उनके नियम हैं, उनसे आप पूछ लेना।

श्री अमर सिंहः क्या मंत्री महोदय बताएंगे कि हरियाणा के कितने स्कूल हैं जिनको टेक ओवर किया है ?

श्री माडू सिंह मलिकः इसके लिए अलग नोटिस आप दे दें।

चौधरी फूल चन्द (मुलाना): क्या मंत्री महोदय बताएंगे कि यदि स्कूल सारे नियम पूरे करता हो तों पी0डबल्यू0डी0 वाले ऐसे सारे स्कूलों को टेक ओवर करने के लिए तैयार होंगे ?

श्री माडू सिंह मलिकः हम कोि ा ा करैंगे कि पी0डबल्यू0डी0 टेक ओवर करे।

श्री जगजीत सिंह टिक्काः जो नियम उन्होंने बताए हैं, उनमें एक नियम यह है कि जब तक स्कूल परफैक्ट हालत में न हो पी0डबल्यू0डी0 वाले नहीं लेंगे और परफैक्ट हालत में एजुके ान डिपार्टमैंट वाले उनको नहीं कर सकते, तो मैं पूछना

चाहता हूं कब तक कंसल्टे ान कमेटी बना कर इसका फैसला करेंगे।

श्री माडू सिंह मलिकः हमने कंसल्टे ान कमेटी बनाई है एक आदमी हमारा है, एक उनका है, जो कि स्कूलों में देखेंगे क्या कमी है वह उसको पूरा करेंगे।

श्री अमर सिंहः क्या मंत्री महोदय के नोटिस में यह बात है कि बहुत सारे प्राइमरी स्कूल्ज, और मिडल स्कूल्ज की बिल्डिंग्ज अन सर्विसेबल हैं, लेकिन उनकी कोई मुरम्मत नहीं हुई ?

श्री माडू सिंह मलिकः इसके लिए अलग नोटिस चाहिए।

Water Supply Scheme of Village Amin

1663. Ch. Shiv Ram Verma : Will the Minister for Local Government be pleased to state-the stage of the water supply schemes of village Amin togetherwith the time by which the work thereon is expected to be started ?

गृह एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री (श्रीमती भाारदा रानी): इस योजना के लिए 280 लाख रूपए के अनुमान का सफाई बोर्ड द्वारा प्र ाासकीय अनुमोदन प्रदान किया जा चुका है परन्तु अभी तक सफाई बोर्ड द्वारा धन रा ि ा प्रदान नहीं की गई है। कार्य को आरम्भ करने का कोई नि ि चत समय नहीं बतलाया जा सकता क्योंकि यह सफाई बोर्ड द्वारा धनरा ि ा देने पर निर्भर करता है।

श्री के0एन0 गुलाटीः क्या मंत्री साहिबा, यह बतलाने की कृपा करेंगी कि भोखुपुरा खुर्द, बल्लभगढ ब्लाक में, जहां वाटर सप्लाई स्कीम कम्पलीट है और पाईप लाईन भी है, कब तक पानी का बन्दोबस्त कर देंगे ?

श्रीमती भारदा रानीः अध्यक्ष महोदय, तो करनाल जिले के अमीन गांव का थ।

चौधरी ि ाव राम वर्माः क्या मंत्री महोदया बताएंगी कि उन्होंने कभी अमीन गांव देखा है ? यदि नहीं देखा है तो वे देख लें ताकि उनको पता लगे कि वहां पानी की कितनी अधिक आव यकता है। उनको तो प्राथमिकता देकर जल प्रदाय योजना देनी चाहिए क्योंकि बहुत ऊंचाई पर वह गांव बसा हुआ है और नीचे से पानी ले जाना बडा मु ि कल होता है।

श्रीमती भारदा रानीः अध्यक्ष महोदय, जब वर्मा साहब कह रहे हैं तो वहां पर अव य ही कठिनाई होगी, विभाग इस बात को महसूस करता है। हम उम्मीद करते हैं कि दूसरी मिटिंग में पैसा मिल जाएगा और वहां पर पानी की तकलीफ को जल्दी ही दूर किया जाएगा।

Mr. Speaker: Question hour is over please.

अतारांकित प्र ान एवं उत्तर

Prisioners Under going Life Imprisonment

509. Ch. Ram Lal Wadhwa : Will the Minister for Transport be pleased to state-

(a) the total number of prisoners undergoing life imprisionment in the jails of Haryana, as at present jail wise; and

(b) the jail wise total number of prisoners as referred to in part (a) above who have completed more than ten years of imprisionment but have not been released so far ?

परिवहन मंत्री (श्री के0एल0 पोसवाल):

(क) विवरण सभा पटल पर रखा गया है।

(ख) यह सूचना देना लोक हित में नहीं है।

विवरण

क्रम सं0	जेल का नाम	(क) हरियाणा राज्य की जेलों में जो बन्दी आजीवन कारावास का दण्ड काट रहे हैं। (जेल वाईज) (29.5.76 को)
1	केन्द्रीय जेल, अम्बाला	666
2	जिला जेल, हिसार	189
3	जिला जेल, रोहतक	75

4	जिला जेल, करनाल	13
5	जिला जेल, गुड़गांव	6
6	बच्चा जेल, हिसार	110
7	उप जेल, जींद	
8	उप जेल, सोनीपत	
9	उप जेल, पानीपत	
10	उप जेल, भिवानी	2
11	उप जेल, सिरसा	
12	उप जेल, नारनौल	
13	उप जेल, रिवाड़ी	
14	उप जेल, नरवाना	
15	उप जेल, चरखी दादरी	
16	उप जेल, महेन्द्रगढ़	
17	उप जेल, पलवल	
18	उप जेल, कैथल	
	कुल जोड़	1061

Large Scale and Small Scale Industrial Units

510. Ch. Ram Lal Wadhwa : Will the Minister for Industries be pleased to state-

(a) the total number of Large Scale Industries Units and Small Scale Industries Units registered and working in the State during the financial years from 1968-69 to 1975-76, separately; and

(b) the total number of Industrial Units out of those referred to in part (a) above, which have been granted loans under the Punjab State Aid to Industries Act by the State Government from 1968-69 to together with the names of such units and the amount of loans given to each of them, separately ?

उद्योग मंत्री (श्री हरपाल सिंह):

(क) विवरणी (अनुबन्ध–1) सदन के पटल पर रखी जाती है।

(ख) विवरणी (अनुबन्ध–2) सदन के पटल पर रखी जाती है।

विवरणी

अनुबन्ध–1

(क) वर्श	रजिस्टर्ड / लाईसैंस्ड आद्यौगिक इकाईयों की संख्या		चालू ओद्यौगिक इकाईयों की संख्या	
	लघु उद्योगिक	बड़ी	लघु	बड़ी

	इकाईयां	उद्योगिक इकाईयां	उद्योगिक इकाईयां	उद्योगिक इकाईयां
1968–69	449	7	5493	156
1969–70	800	7	6246	161
1970–71	1011	31	7190	170
1971–72	1382	29	8510	180
1972–73	1666	39	10040	185
1973–74	2533	36	12454	189
1974–75	1691	50	12610	197
1975–76	1351	69	13052	201

विवरणी

अनुबन्ध–2

(क) वर्श	ऋण प्राप्त उद्योगिक इकाईयों की संख्या	जितना ऋण दिया गया
1968–69	560	2999150
1969–70	734	3299017

1970—71	651	2899875
1971—72	940	3882050
1972—73	402	1825400

जिन इकाईयों को ऋण दिया गया है, ऐसी इकाईयों के नाम और उनको दी गई ऋण रा ि। एकत्रित करने में जो समय एवं परिश्रम करना होगा वह इससे प्राप्त होने वाले सम्भव लाभ के बराबर नहीं होगा।

District Relief Fund

531. Ch. Ram Lal Wadhwa : Will the Chief Minister be pleased to state-

(a) the district wise total amount of District Relief Fund collected in the State during the financial years from 197273 to 1975-76, together with the names of persons/officers handling this fund, separately; and

(b) the names and addresses of persons/instruction who donated amount more than Rs. 2000 in the fund as referred to in part (a) above ?

Chief Minister (Sh. Banarsi Dass Gupta):

(a) & (b): The requisite information is given in the enclosed statement.

STATEMENT

Sr. No.	Name of District	Year	Amount Rs.	Name of Officer who handle the District Relief Fund
1	Rohtak	(a) 1972-73 1973-74 1974-75 1975-76	25430.00 26747.00	The District Relief Fund is Deputy Commissioner who is also the Chairman of the Distt. Relief Fund Advisory Committee.
2	Gurgaon	(a) 1972-73 1973-74 1974-75 1975-76 (b) 1975-76	62635.00 50000.00 District Red Cross	Do
3	Hissar	(a) 1972-73 1973-74	65000.00 50000.00	Do

		1974-75 1975-76 (b) NIL	50000.00 50000.00	
4	Bhiwani	(a) 1972-73 1973-74 1974-75 1975-76 (b) NIL	11553.65 17113.00 12713.10	Do
5	Ambala	(a) 1972-73 1973-74 1974-75 1975-76 (b) NIL	105565.00	Do
6	Sonepat	(a) 1972-73 1973-74 1974-75 1975-76	261021.00 380632.00 Atlas Cycle	Do

		(b) 1973-74 1975-76	Industries, Minerva Talkies and Sarang Talkies, Sonepat	
7	Narnaul	(a) 1972-73 1973-74 1974-75 1975-76 (b) 1973-74	49057.00 3373.00 28947.00 Zila Parishad Narnaul	Do
8	Jind	(a) 1972-73 1973-74 1974-75 1975-76 (b) NIL	42365.00 70743.00 136780.00 222645.00	Do
9	Karnal	(a) 1972-73 1973-74 1974-75	81261.40 264779.89 204721.45 141764.05	Do

		1975-76 (b) NIL		
10	Kurukshetra	(a) 1972-73 1973-74 1974-75 1975-76 (b) NIL	13678.00 28241.55 47474.55	Do
11	Sirsa	(a) & (b) This district started functioning with effect from 1-9-1975 and no collection was made during 1975-76		

Electricity Units Supplied to the Industrial, Agricultural And Commercial Purposes in the State

505. Ch. Ram Lal Wadhwa : Will the Chief Minister be pleased to state-the total units of electricity supplied to the industrial, agricultural and commercial purposes, separately in the State during the financial year 1975-76 ?

मुख्य मंत्री (श्री बनारसी दास गुप्त): वांछित सूचना इस प्रकार है–

प्रयोजन	वर्श 1975–76 में बिजली के सप्लाई किए गए यूनिटों की संख्या

औद्योगिक	7779.11 लाख
कृशि	5945.83 लाख
वाणिज्यय	506.92 लाख

Hissar By Pass

543. Ch. Peer Chand : Will the Minister for Revenue be pleased to state-

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to start construction of the Hissar by pass during the year 1976-77; and

(b) if so, the time by which the construction is likely to be started ?

राजस्व मंत्री (पंडित चिरंजी लाल भार्मा):

(ए) हां।

(बी) मई, 1976 के अन्तिम सप्ताह में कार्य का भारत सरकार के नौहवन एवं परिवहन मंत्रालय द्वारा अनुमोदन कर दिया गया है। आव यक औपचारिकताएं पूर्ण होने पर कार्य भाुरू कर दिया जाएगा।

मेज पर रखे गए कागज पत्र

State Minister for Irrigation and Power (Sardar Harmohinder SQingh Chatha): Sir, I beg to lay on the Table-

The Haryana General Sales Tax (Second Amendment) Ordinance, 1976 (Haryana Ordinance No. 1 of 1976)

The Punjab Co-operative Societies (Haryana Second Amendment) Ordinance, 1976 (Haryana Ordinance No. 2 of 1976)

The Kurukshetra University (Amendment) Ordinance, 1976 (Haryana Ordinance No. 3 of 1976)

The Punjab Homoeopathic Practitioners (Haryana Amendment) Ordinance, 1976 (Haryana Ordinance No. 4 of 1976)

The Haryana Salaries and Allowances of Ministers (Amendment) Ordinance, 1976 (Haryana Ordinance No. 5 of 1976)

The Haryana Ceiling on Land Holdings (Second Amendment) Ordinance, 1976 (Haryana Ordinance No. 7 of 1976)

The Punjab Village Common Lands (Regulation) Haryana Amendment Ordinance, 1976 (Haryana Ordinance No. 8 of 1976)

The Court Fees (Haryana Amendment) Ordinance, 1976 (Haryana Ordinance No. 9 of 1976)

The Haryana Municipal (Second Amendment) Ordinance, 1976 (Haryana Ordinance No. 10 of 1976)

The Audit Report of the Haryana Financila Corporation for the year endking 31st March, 1971, as required under section 37(7) of the State Financial Corporation Act, 1951.

The Audit Report of the Haryana Financila Corporation for the year endking 31st March, 1972, as required under section 37(7) of the State Financial Corporation Act, 1951.

The Audit Report of the Haryana Financila Corporation for the year endking 31st March, 1973, as required under section 37(7) of the State Financial Corporation Act, 1951.

The Annual Report of the Haryana Agricultural University, Hissar for the period July 1, 1973 to June 30, 1974, as required under section 39(3) of the Haryana and Punjab Agricultural University Act, 1970.

The Annual Report of the Haryana Agricultural University, Hissar for the 1974-75, as required under section 39(3) of the Haryana and Punjab Agricultural University Act, 1970.

The Annual Report of the Haryana Agricultural University, Hissar for the 1973-74, as required under section 34(5) of the Haryana and Punjab Agricultural University Act, 1970.

The Annual Report of the Haryana Public Service Commission, for the period from 1st April 1974 to 31st March, 1975, as required under Article 323(2) of the Constitution.

The Administration Report of the Haryana State Electricity Board for the year 1973-74, as required under section 75 of electricity (Supply) Act, 1948.

The Administration of Justice Department, Haryana, Notification No. S.O. 84/H.A. 35/73/S. 20/76, dated the 10th May, 1976, as required under section 20(2) of the Haryana Requisitioning and Acquisition of Immovable Property Act, 1973.

The Revenue Department, Haryana, Notification No. G.S.R. 121/H.A. 18/76/S. 25/76, dated the 12th May, 1976, regarding the Haryana Relief of Agricultural Indebtedness Rules, 1976, as required under section 25(3), of the Haryana Relief of Agricultural Indebtedness Act, 1976.

The Excixe and Taxation Department, Haryana, Notification No. G.S.R. 149/H.A. 20/73/S. 64/Amd. (1)/76, dated the 18th June, 1976, regarding the Haryana Relief of Agricultural Indebtedness Rules, 1976, as required under section 64(3), of the Haryana Haryana General Sales Tax Act, 1973.

A copy each of the following notification issued unde section 133(3) of the Motor Vehicles Act, 1939-

(i) Transport Department Notification No. G.S.R. 190/C.A.4/39/S.68/Amd. (3) 75, dated 16-12-75.

(ii) Transport Department Notification No. G.S.R. 108/C.A.4/39/S.S. 24&41/Amd. (4) 76, dated 7-5-76.

(iii) Transport Department Notification No. G.S.R. 109/C.A.4/39/S.S. 24&41/Amd. (5) 76, dated 7-5-76.

(iv) Transport Department Notification No. G.S.R. 110/C.A.4/39/S.S. 24&41/Amd. (6) 76, dated 7-5-76.

(v) Transport Department Notification No. G.S.R. 111/C.A.4/39/S.S. 24&41/Amd. (7) 76, dated 7-5-76.

(vi) Transport Department Notification No. G.S.R. 112/C.A.4/39/S.S. 24&41/Amd. (8) 76, dated 7-5-76.

(vii) Transport Department Notification No. G.S.R. 113/C.A.4/39/S.S. 24&41/Amd. (9) 76, dated 7-5-76.

(viii) Transport Department Notification No. G.S.R. 114/C.A.4/39/S.S. 24&41/Amd. (10) 76, dated 7-5-76.

(ix) Transport Department Notification No. G.S.R. 115/C.A.4/39/S.S. 24&41/Amd. (11) 76, dated 7-5-76.

(x) Transport Department Notification No. G.S.R. 116/C.A.4/39/S.S. 24&41/Amd. (12) 76, dated 7-5-76.

(xi) Transport Department Notification No. G.S.R. 125/C.A.4/39/S.S. 24&41/Amd. (13) 76, dated 7-5-76.

(xii) Transport Department Notification No. G.S.R. 144/C.A.4/39/S.S. 24&41/Amd. (14) 76, dated 7-5-76.

अनुपूरक अनुमान (प्रथम किस्त) 1976–77 पे ा करना

Finance Minister (Sh. Ram Saran Chand Mital): Sir, I beg to present the Supplmentrary Estimates (First Instalment) for the year 1976-77.

वर्श 1976–77 के अनुपूरक अनुमानों (प्रथम किस्त) प्राक्कलन समिति का प्रतिवेदन पे ा करना

Chairman, Estimates Committee (Sh. Nihal Singh): Sir, I beg to present the report of the Committee on Estimates on the Supplmentrary Estimates (First Instalment) for the year 1976-77.

दि पंजाब होमियोपैथिक प्रैक्टी ानर्ज (हरियाणा अमैंडमैंट) बिल, 1976

Inudustries Miniser (sh. Harpal Singh): Sir I beg to introduce the Punjab Homoeopathic Practitioners (Haryana Amendment) Bill, 1976.

I also beg to move-

That the Punjab Homoeopathic Practitioners (Haryana Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker: Motion moved-

That the Punjab Homoeopathic Practitioners (Haryana Amendment) Bill be taken into consideration at once.

चौधरी दल सिंह (जींद): स्पीकर साहब, सरकार की तरफ से यह बिल पंजाब होम्योपैथी चिकित्सा व्यवसाई अधिनियम, 1965 में तरमीम करने के लिए यहां हाउस में पे ा किया गया है। इसके अंदर सैक ान 16 की उप धारा 2 पर गौर किया जा रहा है। इसमें एक साल की बजाये डेढ साल का अर्सा चाहते हैं। स्पीकर साहब, आप यह सुनकर हैरा होंगे अभी तो कुछ दिनों

पहले आर्डीनैंस जारी कर रहे हैं और आज विधान सभा का सै ान है। मैं आपके जरिए वजह तौर पर मिनिस्टर से यह प्रार्थना करूंगा कि वे अपने जवाब में बताएं कि क्या वजह है कि आडीनैंस जारी किया गया, जबकि विधान सभा का सै ान आ रहा था। आज कागजों की किल्लत है, पब्लिक का पैसा खराब होता है, पब्लिक पर बोझ पडता है।

स्पीकर साहब, मैं यह बात साफ तौर पर कहना चाहता हूं कि यह जो डिपार्टमैंट बनाया है इसमें बडी धांधली है। आपको यह अच्छी तरह से पता होगा कि वैद्यों की रजिस्ट्रे ान के अंदर होम्यापैथी प्रैक्टी ानर की रजिस्ट्रे ान की रजिस्ट्रे ान में बडी धांधली हुई है। अगर आप वाक्य ही में हरियाणा के लोगों का कल्याण चाहते हैं, उनकी जिन्दगी बचाना चाहते हैं तो इन अनाडी डाक्टरों की रजिस्ट्रे ान न की जाए। अगर किसी अनाडी डाक्टर की रजिस्ट्रे ान होगी जिस को कुछ पता न हो तो लोगों को क्या इलाज करेगा ? मेरे पास ऐसी मिसालें मौजूद हैं कि इंजैक ान लगाया और बीमार की मौत हो गई। मैं सरकार से पुरजोर भाब्दों में अपील करना चाहता हूं कि जो रजिस्ट्रे ान की गई है उन हकीमों, वैद्यों की रजिस्ट्रे ान की इनक्वायरी की जाए कि क्या वह सही रजिस्ट्रे ान हुई है। तब सही पता चलेगा कि क्या अंधेरगर्दी हरियाणा के अंदर मची हुई है।

स्पीकर साहब, इस बिल के उद्दे य और कारणों में कहा गया है—

"The time limit as laid down in section 16(2) of the Homoeopathic Act, 1965 for the registeration of Homoeopaths on the basis of experience expired on January 7, 1976."

स्पीकर साहब, सात जनवरी 1976 को इसका पीरियड खत्म होता है और जो छः महीने का इन्होंने पीरियड बढाया था, वह पीरियड भी आज 6 जुलाई को पूरा हो चुका है और आज उसकी मंजूरी लेने जा रहे हैं। अठारह महीने पहले ही हो चुके हैं लेकिन आज मंजूरी मांग रहे हैं। तो मैं मिनिस्टर साहब से निवेदन करूंगा कि वे वाजह तौर पर इस बारे में बताएं कि ऐसा क्यों किया ? आगे कहते हैं –

"For this purpose as many as 18000 application forms were sold but by 7th January, 1976 only about 9000 practitioners could submit their application forms. There was a persistent demand form the public for the extension of the said time limit. As the number of practitioners who have not been able to avail of this opportunity is very large, this amendment has been carried out by promulgating an Ordinace. Now it is proposed to replance that Ordinance with a bill. Hence this bill."

यानी नौ हजार ऐप्लीके ान्ज आयीं जबकि फार्म 18000 बिके थे। इसका मतलब यह हुआ कि ऐप्लीके ान्ज कम आने के कारण यह तारीख बढाई गई है। सरकार ने लोगों के हित के बारे में कोई विचार नहीं किया। सरकार ने तो अपनी फीस लेने के लिए और आमदनी बढाने के लिए इस डेट को बढाया था। ये

कहते हैं कि पब्लिक की डिमाण्ड थीं पब्लिक की डिमाण्ड नहीं थी। तो मैं मिनिस्टर साहब से पुरजोर अपील करूंगा कि वे वाजह तौर पर इस बात को साफ करें कि यह जो आर्डीनैंस जारी किया गया था, इसकी क्या जरूरत थी ? दूसरे जिन आदमियों को इस ऐक्ट के तहत रजिस्टर किया गया, क्या वे जायज आदमी थे ? क्या वह रजिस्ट्रे ान ठीक किया है ? गलत आदमियों की रजिस्ट्रे ान करने से लोगों को, जनता को बहुत नुक्सान होगा।

श्री के0एन0 गुलाटी (फरीदाबाद) स्पीकर साहब, यह जो होम्योपैटिाक प्रैक्टी ानर्ज बिल पे ा किया गया है मैं इसकी ताईद करने के लिए खडा हुआ हूं। मैं अपने अनुभव और तजरूबे के आधार पर यह कह सकता हूं कि चौधरी दल सिंह जी ने जो कुछ कहा है, वह ठीक नहीं कहा। हैल्थ डिपार्टमैंट ने होम्योपैथिक प्रैक्टी ानर्ज को जगाने के लिए यह एक अच्छा कदम उठाया हे। आज 20 प्वायंट प्रोग्राम के तहत यह एक बहुत अच्छा कदम उठाया है जो कि सात जुलाई तक डेट को एक्सटैंड किया गया है। होम्योपैथी का इालज जनता के लिए बहुत बेहतर है। यह बडा अच्छा बिल है। हौम्योपैथी का इलाज बहुत सस्ता है। मैं हरियाणा सरकार की तवज्जोह इस बात की ओर दिलाना चाहता हूं कि हरियाणा लोगों को लाईसैंस ज्यादा से ज्यादा दे ताकि वे अपनी डिस्पैंसरी खोल सकें। बीस प्वांयट प्रोग्राम के तहत इसके इलाज से ज्यादा दे ताकि वे अपनी डिस्पैंसरी खोल सकें। बीस प्वायंट प्रोग्राम के तहत इसके इलाज से गरीबों को मदद मिलेगीं इस

प्रकार की फरीदाबाद में नौ डिस्पैंसरियां चल रही हैं। ये डिस्पैंसरियां गुरू प्रताप चैरीटेबल ट्रस्ट चला रहा है। उनकी एक हास्पिटल बनाने की भी योजना है। अगर सरकार इस ट्रस्ट को मदद दे दे तो यह सारे हरियाणा के अन्दर डिस्पैंसरीज खोल सकता है। इन अल्फाज के साथ मैं इस अमैंडमैंट बिल की ताईद करता हूं।

उद्योग मंत्री (श्री हरपाल सिंह): स्पीकर साहब, अभी अभी एक छोटी सी अमैंडमैंट हम इस होम्योपैथी प्रैक्टी ानर बिल में लाए हैं जिस पर चौधरी दल सिंह जी ने कुछ नुक्ताचीनी की है। इसमें एक आर्डिनैंस था उसको रिप्लेस करके एक बिल की भाक्ल में बदला जा रहा है। छः महीने के लिए यह पीरियड बढाया गया था इसलिए डेट बढानी पडी कि जो नाम रजिस्टर कराने के इच्छुक थे, वे अपना नाम रजिस्टर नहीं करा सके, इसलिए यह आर्डिनैंस लागू करना पडा। यह कहना कि ज्यादा रजिस्ट्रे ान से गलत आदमी भी रजिस्ट्रे ान करा जाते हैं, यह बिल्कुल गलत बात है। हमारे यहां बोर्ड बना हुआ है वह रजिस्ट्रे ान करता है। अब तक किसी भी गलत आदमी का रजिस्ट्रे ान नहीं हुआ है। अगर दल सिंह जी के नोटिस में ऐसी कोई बात आई है तो वे बताएं। हमारे नोटिस में तो कोई ऐसी बात नहीं आई। हम इनक्वायरी कराने के लिए तैयार हैं अगर किसी ने गलत काम किया होगा तो उसको सजा देंगे। उनका यह कहना कि गलत आदमियों का रजिस्ट्रे ान हुआ, यह बात जायज नहीं है। मैं

हाउस से यह अपील करता हूं कि इस अमैंडमैंट को पास किया जाए।

With these words, I would request the hon. Members to approve this Bill.

Mr. Speaker: Question is-

That the Punjab Homoeopathic Practitioners (Haryana Amendment) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Now the House will take up the Bill clause by clause.

Clauses 2 & 3

Mr. Speaker: Question is-

That cluases 2 and 3 stand part of the Bill.

Clauses 1

Mr. Speaker: Question is-

That cluase 1 stand part of the Bill.

Enacting Formula

Mr. Speaker: Question is-

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

Title

Mr. Speaker: Question is-

That Titel be the Title of the Bill.

Industries Minister (Sh. Harpal Singh): Sir, I beg to move-

That the Punjab Homoeopathic Practitioners (Haryana Amendment) Bill be passed.

Mr. Speaker: Motion moved-

That the Punjab Homoeopathic Practitioners (Haryana Amendment) Bill be passed.

Mr. Speaker: Question is-

That the Punjab Homoeopathic Practitioners (Haryana Amendment) Bill be passed.

The motion was carried.

दि हरियाणा हाउसिंग बोर्ड (अमैंडमैंट) बिल, 1976

15.00 बजे।

State Minister for Home and Health (Smt. Sharda Rani): Sir, I beg to introduce the Haryana Housing Board (Amendment) Bill, 1976.

Sir, I also beg to move-

That the Haryana Housing Board (Amendment) Bill, be taken into consideration at once.

Mr. Speaker: Motion moved-

That the Haryana Housing Board (Amendment) Bill, be taken into consideration at once.

Mr. Speaker: Question is-

That the Haryana Housing Board (Amendment) Bill, be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Now the House will take up the Bill clause by clause.

Clauses 2

Mr. Speaker: Question is-

That cluase 2 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clauses 1

Mr. Speaker: Question is-

That cluase 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Speaker: Question is-

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker: Question is-

That Titel be the Title of the Bill.

The motion was carried.

State Minister for Home and Health (Smt. Sharda Rani): Sir, I beg to move-

That the Haryana Housing Board (Amendment) Bill, be passed.

Mr. Speaker: Motion moved-

That the Haryana Housing Board (Amendment) Bill, be passed.

Mr. Speaker: Question is-

That the Haryana Housing Board (Amendment) Bill, be passed.

The motion was carried.

दि कुरूक्षेत्र यूनिवर्सिटी (अमैंडमैंट) बिल, 1976

Education Minister (Sh. Maru Singh Malik): Sir, I to introduce the Kurukshetra University (Amendment) Bill, 1976.

Mr. Speaker: I have received noticed of motion for the disapproval of the Kurukshetra University (Amendment)

Ordinance, 1976 (Haryana Ordinance No. 3 of 1976). If the House agrees the motion for the disapproval of the Ordinance and the motion that the Kurukshetra University (Amendment) Bill be taken into consideration at once, be discussed together and voted upon separately.

(**Voices:** Yes.)

चौधरी ि ाव राम वर्मा (नीलोखेड़ी): मैं प्रस्ताव करता हूं—

कि यह सदन कुरूक्षेत्र वि वविद्यालय (सं ाोधन) अध्यादे ा 1976 (1976 का हरियाणा अध्यादे ा संख्या 3) का निरनुमोदन करता है।

Mr. Speaker: Motion moved-

That the Kurukshetra University (Amendment) Ordinance, 1976 (Haryana Ordinance No. 3 of 1976).

Education Minister (Sh. Maru Singh Malik): Sir, I beg to move-

That the Kurukshetra University (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker: Motion moved-

That the Kurukshetra University (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

चौधरी ि ाव राम वर्मा: आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं इसक बारे में कोई लम्बी चौडी बात नहीं कहता। कुरूक्षेत्र

वि वविद्यालय (सं ाोधन विधेयक, 1976) जो हमारे सामने है इसके बारे में मैं सिर्फ पांच चार क्लाजिज़ के बारे में थोडी सी बात कहूंगा और वे क्लाजिज़ हैं– क्लाज 2, क्लाज 3, क्लाज 4 का (क) खण्ड, क्लाज 5 का (ग) खण्ड और क्लाज 14(क) का (2) तथा (ख) खण्ड। स्पीकर साहब, कुरूक्षेत्र वि वविद्यालय जिस धारणा से बना था, वह धारणा अव्वल तो पहले ही इधर उधर हो गई। भाुरू में जब यह वि वविद्यालय बना था तो इसका नाम संस्कृत वि वविद्यालय रखा गया था। लेकिन बाद में किन्हीं खास कारणों से संस्कृत भाब्द हटा दिया गया और कुरूक्षेत्र वि वविद्यालय कर दिया गया। इस स्थान के साथ लोगों की धार्मिक भावना जुडी हुई है। यह एक ऐतिहासिक स्थान है। यहां पर न्याय और अन्याय की लडाई लडी गई थी और लोगों में यह भावना थी कि यहां पर एक वि वविद्यालय हो और वह वि वविद्यालय दूसरे ढंग का होना चाहिए। जैसी लोगों की धारणा थी, उसके अनुसार इसका नाम कुरूक्षेत्र वि वविद्यालय था लेकिन अब इसके साथ स्वर्गीय राज्यपाल का नाम जोडा जा रहा है। मैं समझता हूं कि यह ठीक नहीं है। हरियाणा में दूसरा वि वविद्यालय बनाने जा रहे हैं यदि उसके साथ राज्यपाल महोदय का नाम जोड दिया जाता तो ठीक रहता। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सदन इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दे। यह अध्यादे ा जल्दबाजी में जारी किया गया है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा मुख्य मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि वह इस बात पर विचार करें और इस अध्यादे ा को वापिस ले लें। जैसा कि

मैंने सुझाव दिया है कि इस वि वविद्यालय का नाम न बदला जाए बल्कि जो दूसरा वि वविद्यालय बनाने जा रहे हैं उसका नाम रख लिया जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा और ऐसी ही लोगों की भावना है।

चौधरी दल सिंह (जींद): स्पीकर साहब, मैंने और ि ाव राम वर्मा ने कुरूक्षेत्र वि वविद्यालय अधिनियम, 1956 को सं ाोधित करने के बारे में जो डिस्एप्रूवल का मो ान दिया था और जिसको चौधरी ि ावराम वर्मा ने पढा है इसके बारे में कुछ कहने से पहले मैं यह कहना चाहात हूं कि जब भी हम कोई बात कहते हैं तो ट्रेजरी बैंचिज पर बैठने वाले नाराज होते हैं। इसके क्रिटिसिजम की कोई बात नहीं है। होना यह चाहिए कि हम कोई बात कहें और आप उसे मंजूर न करें लेकिन हमारा यह फर्ज है कि जो बात अपनी समझ के मुताबिक हम ठीक समझें वह कहें और आपका फर्ज हो जाता है कि आप भी अपनी समझ के मुताबिक उस पर गौर करें।

स्पीकर साहब, इस बिल के अंदर यह तरमीम की जा रही है कि इस वि वविद्यालय के नाम के साथ हमारे स्वर्गीय राज्यपाल श्री चक्रवर्ती का नाम जोड दिया जाए। यह जो भावना है यह ठीक नहीं है। मैं यह बात तसलीम करता हूं कि राज्यपाल महोदय ने हरियाणा के लिए बहुत काम किए। क्या आप यह समझते हैं कि राज्यपाल महोदय ने हरियाणा के लिए बहुत काम किए। क्या आप यह समझते हैं कि राज्यपाल का नाम इस

वि ववविद्यालय के साथ जुड जाने से उनका नाम ऊंचा होगा ? आपने हरियाणा के अंदर चक्रवर्ती लेक बनाई उसके अंदर हमने कोई वजीर नहाता नहीं देखा और न कोई एम0एल0ए0 उसमें नहाता देखा है। उसके बाद चक्रवर्ती कैनाल बनाई, हमें कोई एतराज नहीं है और अब गुप्ता जी कुरूक्षेत्र वि ववविद्यालय का नाम बदल कर चक्रवर्ती वि ववविद्यालय रख रहे हैं। मैं इसकी सख्त मुखालफित करता हूं। यह हमारा धार्मिक स्थान है। यहां पर महाभारत की लडाई लडी गई थी, यहां पर सत्य और असत्य की लडाई लडी गई थी। इसी जगह पर भगवान कृश्ण ने गीता का पवित्र उपदे ा दिया था। वह गीता का उपदे ा आज सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि सारी दुनियां के सामने है। आज उस पवित्र भूमि पर जो वि ववविद्यालय है उसका नाम बदलना कोई समझदारी की बात नहीं है। यह हमारी ही भावना नहीं है बल्कि यह भावना हरियाणा की जनता की है और यह हरियाणा के नाम पर एक कलंक है। यह लोगों की भावना है, यह लोगों की आवाज है कि इसका नाम नहीं बदला जाना चाहिए। स्पीकर साहब, सारे हिन्दुस्तान में गवर्नर हुए हैं, हरियाणा में भी गवर्नर हुए, पंजाब में भी गवर्नर हुए। कहीं पर भी किसी वि ववविद्यालय का नाम तबदील नहीं किया गया। कुरूक्षेत्र भारत के अंदर एक पवित्र स्थान है, लोग इसके बारे में धार्मिक आस्था रखते हैं। कुरूक्षेत्र वि ववविद्यालय का नाम इस तरह से तबदील करना मेरी समझ से ठीक नहीं है।

सरकार से मेरी यह दरखास्त है कि वह इस जिम्मेवारी को अपने ऊपर न ले लोगों की भावना को कुचला न जाए। अब भी वक्त है कि सरकार हमारी प्रार्थना को स्वीकार करे। स्पीकर साहब, अन्त में मेरा सरकार को आपकी मारफत सुझाव है कि प्रिंसिपल ऐक्ट की क्लाज 9 को डिलीट करें और उस के स्थान पर कोई ऐसी स्कीम तैयार करें, जिससे लोगो की भावना को कोई ठेस न पहुंचे। बस मैं इन भाब्दों के साथ आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे बोलने का समयद दिया।

श्री के0एन0 गुलाटी (फरीदाबाद): स्पीकर साहब, कुरूक्षेत्र वि ववविद्यालय के बारे में एक अमैंडमैंट बिल आज हमारे सामने आया है जिसके बारे में बोलते हुए हमारे कुछ विरोधी भाइयों ने अनुचित और बहुत गलत बातें यहां पर कह दीं कि स्वर्गीय श्री चक्रवर्ती जी का नाम कुरूक्षेत्र वि ववविद्यालय के साथ क्यों जोडा जा रहा है, जिसको सुनकर मुझे बडा ही दुःख हुआ। स्पीकर साहब, मैं तो कहूंगा कि वह बडी पवित्र हस्ती थी और यह कुरूक्षेत्र का स्थान भी पवित्रता के कारण ही वि व भर में जगमग करता है और यह हमारे प्रदे ा के भूतपूर्व मुख्य मंत्री, चौधरी बंसी लाल जी जो कि आजकल भारत के रक्षा मंत्री भी हैं, की ही देन है। हमारा सिर फख्र से ऊंचा होता है कि आज जाहं पंजाब यूनिवर्सिटी का नाम सारे भारत में लिया जाता है वहां कुरूक्षेत्र यूनिवर्सिटी का नाम भी वि व भर में लिया जाता है। जहां भी हम सब विधायक जब कभी जाते हैं वहां के मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों

के मुख्य से हम कुरूक्षेत्र जैसे पवित्र ऐतिहासिक स्थान की बातें सुनतें हैं तो हमारा मन खु ाी से झूम उठता है, पर मुझे समझ में नहीं आता कि हमारे विरोधी दल के भाइयों ने किस मुंह से यह बात कह दी। इस पवित्र तीर्थ के साथ साथ जो जो पवित्रता के काम हमारे स्वर्गीय गवर्नर साहब कर गए, उनका नाम जोड देना उचित ही होगा। जो अच्छे कार्यकर्त्ता हों, अच्छे काम कर गए हों, पवित्र आत्मा हों उनका नाम इस यूनिवर्सिटी से जोडना एक अच्छी मर्यादा होगी। अच्छे आदमियों, अच्छी भावनाओं वाले व्यक्तियों का नाम ही ऐसे पवित्र स्थानों के साथ जोडा जा सकता है। चौधरी दल सिंह और श्री वमर्जा जी का नाम ऐसे पवित्र स्थानों के साथ जोडा जाना उचित नहीं है। इनका काम तो यही है कि सदा सरकार के अच्छे कामों के विरोध में बोलना, वह भी केवल इसलिए कि कल को इनका नाम अखबारों में छप जाए। ये तो न काम करते हैं और न ही दूसरों को करने देते हैं।

स्पीकर साहब, इनको तो जीयो और जीने दो की नीति पर चलना चाहिए। मैं आपकी मार्फत सरकार को यह सुझाव दूंगा कि जिस तरह से सरकार ने फरीदाबाद में नेहरू मैमोरियल कालेज में एक सब्जैक्ट बिजनैस ऐडमिनिस्ट्रे ान का जो कि एम0ए0 क्लासिज में पढाया जा रहा है उस तरह से कुरूक्षेत्र वि ववविद्यालय में भी वह सब्जैक्ट पढाया जाए ताकि बच्चे पढ कर कल को 1000–1200 की तनख्वाह पर लग सकें।

Ch. Dal Singh: On a point of order please.

Mr. Speaker: Order please. Not relevant to this Bill.

चौधरी दल सिंहः स्पीकर साहब, इन्हौंने कुरूक्षेत्र यूनिवर्सिटी की बात फरीदाबाद नेहरू कालेज के साथ जोड दी जिसकी यहां पर कोई रैलेवैंसी नहीं है। यूं ही में हाउस का टाईम बरबाद किया जा रहा है। It is quite strange that he is discussing Faridabad.

श्री के0एन0 गुलाटीः स्पीकर साहब, एक ही रैलेवेंसी होगी– (विघ्न)– स्पीकर साहब, मैं हाउस का ज्यादा समय न लेता हुआ यह कहूंगा कि यह बिल बहुत अच्छा है और मैं इस बिल की पुरजोर ताईद करता हूं और यह प्रार्थना करता हूं कि इसे पास किया जाए।

मुंख्य मंत्री (श्री बनारसी दास गुप्त)ः अध्यक्ष महोदय, इस बिल पर बोलने का मेरा कोई इरादा नहीं था परन्तु मेरे मित्र चौधरी दल सिंह जी ने एक ऐसा भाब्द कह दिया जो कि हमारे लिए ही नहीं, इस सदन के लिए और सारे हरियाणा प्रदे ा के लिए दुःखदाई है और वह भाब्द उन्होंने कहा कि नाम बदलना इस प्रदे ा के लिए एक लानत है। अध्यक्ष महोदय, हमारे मित्र चौधरी दल सिंह जी अभी कह रहे थे कि जब वे कुछ बोलते हैं तो हमारे भाई नाराज होते हैं, जब वे नुक्ताचीनी करते हैं, वह बडी रचनात्मक बातें कहते हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं बडी नम्रता के साथ चौधरी दल सिंह जी से पूछता हूं कि यह भाब्द कहना कि यह नाम बदलना हरियाणा प्रदे ा के ऊपर एक लानत है, क्या यह

रचनात्मक बात है, क्या यह सही है ? कोई संजीदा, कोई गम्भीर व्यक्ति जो कम से कम हरियाणा पद्रे ा से सम्बंध रखता हो वह श्री चक्रवर्ती जी के लिए ऐसे भाब्द नहीं कह सकता। हमारे भाई चौधरी दल सिंह जी को और दूसरे कुछ भाईयों को कुरूक्षेत्र के महत्त्व का आज पता चला है, आज से पहले उन्हें इसके महत्त्व का पता नहीं था। चौधरी दल सिह जी बरसों से पावर में रहे हैं, 20 वर्श से सदस्य भी चले आ रहे हैं और मिनिस्टर भी रहे हैं। कभी आज तक उन्होंने एक भाब्द भी कुरूक्षेत्र के विकास के लिए कहा ? हमें आज उन की इन बातों को सुनते हुए भार्म आती है। पहले सभी प्रान्तों से और कई दूसरे दे ाों से भी तीर्थ यात्रा के लिए लोग कुरूक्षेत्र आते थे और गन्दे और कीचड वाले पानी में लेट कर चले जाते थे तब कभी इनको लज्जा आई ? क्या यह लानत नहीं है ? अध्यक्ष महोदय, चौधरी बंसी लाल जी ने हमारे राज्यपाल महोदया के साथ पराम र्ा करके यह नि चय किया कि इस महत्त्वपूर्ण स्थान का समुचित विकास किया जाए। (थम्पिंग) आज आप उसको जाकर देखें, अभी पिछले दिनों कई सालों के बाद वहां एक मेला लगा, वहां पर 10 लाख के करीब आदमी सभी प्रदे ाों से बल्कि विदे ाों से भी इस पवित्र धरती पर आए, उन्होंने वहां के वि ााल सरोवर को देखा, वहां के मेल का भ्रमण किया और हरियाणा के लिए, हरियाणा प्रदे ा के लोगों के लिए अपने मुक्तकण्ठ से प्र ांसा के भाब्द निकाले। स्पीकर साहब, कुरूक्षेत्र वह पवित्र स्थान है, जहां पर ऐतिहासिक युद्ध हुए, जहां पर दुनियां की सबसे पवित्र पुस्तक श्रीमद्भगवद्गीता का वर्णन

हुआ, जहां पर भगवान कृश्ण ने अर्जुन को गीता का उपदे ा दिया। उस स्थान की पवित्रता का क्या आज उन्हें पता लगा, जबकि कुरूक्षेत्र वि वविद्यालय का नाम बदलने लगे ? मैं चौधरी दल सिंह जी से एक बात पूछना चाहता हूं कि उनके अपने गांव राम राए के अंदर एक तीर्थ स्थान है, वह हमारे हरियाणा का एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है। अध्यक्ष महोदय, आपने एक कहावत सुनी होगी, "बापू लियादे कड़ियां पाऊंगी रामराए के मेले में"। अध्यक्ष महोदय, चौधरी दल सिंह जी कभी सदस्य रहे, कभी प्रधान रहे और मिनिस्टर भी रहे हैं क्या वे ऐसे स्थान की पवित्रता को अपने दिमाग में लाए ? आज उनके सैन्टीमैंटस को बडी चोट लगी है। कहते हैं कि मैं तो जनता की भावनाओं को व्यकत करता हूं, वि ााल जनता के बहुमत की भावनाओं को व्यकत करता हूं। अगर ये वि ााल जनता के बहुमत का प्रतिनिधित्व करते होते, तो आज ये हमारे स्थान पर बैठे होते। जनता के वि ााल बहुमत का प्रतिनिधित्व तो हम करते हैं, हमें पता है कि जनता की क्या भावनाएं हैं और हमने वे काम किए हैं जो कि जनता की भावना है। अध्यक्ष महोदय, आज ये दूसरे राज्यों के राज्यपालों से श्री चक्रवर्ती जी का मुकाबला करते हैं। वे कितने पवित्र व्यक्ति थे, वे कितने वि ााल हृदय के व्यक्ति थे। वे गीता और भगवान के परम भगत थे। वे कितने विद्वान थे और उन्होंने कितने कितने उच्च काम हरियाणा के विकास के लिए किए और आज ये उनका दूसरे प्रदे ाों के राज्यपालों के साथ मुकाबला करते हैं। अध्यक्ष महोदय, इनको फिर हरियाणा प्रदे ा का भी दूसरे प्रदे ाों के साथ

मुकाबला करना चाहिए कि कितने गिने चुने दिनों के अंदर हरियाणा प्रदे ा ने तरक्की की है। अध्यक्ष महोदय, कल ही मैं एक खबर ट्रिब्यून के अंदर पढ रहा था, उसमें लिखा था कि ग्रोथ रेट आफ प्रोडक्टिविटी में हरियाणा तमाम हिन्दुस्तान के अंदर फर्स्ट है। यह वही हरियाणा प्रदे ा है कि जिसका नाम कहीं नहीं गिना जाता था। इस प्रदे ा का नाम रौ ान करने में और इसका समुचित विकास करने में स्वर्गीय श्री चक्रवर्ती जी की बडी भारी देन है। इसकें कोई भाक नहीं कि यह सारा विकास हमारे भूतपूर्व मुख्य मंत्री चौधरी बंसी लाल जी के नेतृत्व में हुआ लेकिन समय समय पर जब भी उनके रास्ते में कोई कठिनाई आती थी तो श्री चक्रवर्ती जी उन्हें पूरा सहयोग देते थे। चक्रवर्ती जी राजनीति से दूर रहते थे। मेरा कई बार उनसे वास्ताच पडा वे कहा करते थे मैं नान पोलिटीकल आदमी हूं इसलिए राजनीति में मैं दखल नहीं देता। लेकिन जब विकास का कोई काम होता था तो वे अपनी राय देते थे। उनका एक लम्बा चौडा अनुभव था, उन्होंने बडे अच्छे ढंग से सारे विकास के काम को चलाया। अध्यक्ष महोदय, जब वे आपके भाहर हिसार में जाते थे तो आपको पता होगा कि वे किसी प्रकार एक एक सडक, एक एक नहर और एक एक बाजार को स्वयं देखा करते थे और जहां कहीं वे किसी प्रकार की त्रुटि देखते थे, उसे ठीक करवाते थे। इसके साथ साथ अध्यक्ष महोदय, कल जब हम उनके प्रति अपनी भावना प्रकट कर रहे थे तो इधर के भाइयों ने भी और उधर के भाइयों ने भी यह बात कही कि वे कितने बडे हरियाणवीं थे, हरियाणा की संस्कृति से, भाशा से और

यहां के रहन सहन से उन्हें कितना प्यार था। मैं एक बात अपने निजी अनुभव की बताता हूं कि जब प्रादेि ाक हिन्दी साहित्य सम्मेलन का प्रथम अधिवे ान निजी अनुभव की बताता हूं कि जब प्रादेि ाक हिन्दी साहित्य सम्मेलन का प्रथम अधिवे ान भिवानी में हुआ तो डाक्टर गिरधर जो रिसैप् ान कमेटी के चेयरमैन थे, ने श्री चक्रवर्ती को उस सम्मेलन के उदघाटन के लिए निवेदन किया जिसको श्री चक्रवर्ती जी ने स्वीकार कर लिया। उस सम्मेलन में सेठ गोबिन्द दास जी जो बडे हिन्दी प्रेमी थे, भाामिल थे। वे मेरे कान में कहने लगे कि गुप्ता जी आपने एक नान हिन्दी स्पीकिंग आदमी को उद्घाटन के लिए बुलाया है अगर उन्होंने अपना भाशण अंग्रेजी में पढा तो मैं वाक आउट कर जाऊंगा। यह बात सुनकर मैं तो भा ोपंज में पड गया। चक्रवर्ती जी आने वाले थे उस समय न मैं यह पसन्द करता था कि सेठ साहब वाक आउट करें और न यह ही पसन्द करता था कि ऐसे मौके पर चक्रवर्ती जी से कुछ निवेदन किया जाए, लेकिन जब चक्रवर्ती जी ने अपना भाशण हिन्दी में पढना भाुरू किया तो मेरी जान में जान आई। अध्यक्ष महोदय, आप जातने हैं कि साल के प्रथम सत्र में जितनी बार भी वे बोले, हिन्दी में ही बोले। हिन्दी से उनहें बहुत प्यार था और हिन्दी से भी अधिक प्यार उन्हें हरियाणवीं भाशा से था। हर साल वे हरियाणा के कवियों और लेखकों का सम्मेलन करवा कर उन्हें सम्मानित करते थे। हरियाणा प्रदे ा के ऊपर उनका इतना भारी एहसान है जिसका मैं वर्णन नहीं कर सकता। मैं समझता हूं कि वि वविद्यालय का नाम बदलने से कुरूक्षेत्र की पवित्रता में

कोई कमी नहीं आएगी बल्कि ऐसे नेक आदमी के नाम से वि वविद्यालय का और कुरूक्षेत्र का और भी महत्त्व बढेगा। इसलिए मैं प्रार्थना करूंगा कि यह कोई ऐसा विशय नहीं है जिस पर कोई कन्ट्रोवर्सी पैदा की जाए। भारती संस्कृति में और खास तौर पर हरियाणा की संस्कृति में यह परम्परा है। कि जब किसी आदमी का स्वर्गवास हो जाता है तो उसकी कभी भी बुराई नहीं की जाती। चक्रवर्ती जी का तो कोई मुकाबिला ही नहीं है, इनमें तो इनती वि ोशताएं थीं फिर इनके नाम पर यदि कोई बात कही गई, तो मैं समझता हूं कि उस बात को यहीं समाप्त कर दें। यह जो आर्डीनैंस इस संबंध में जारी किया गया था वह अब बिल के रूप में आया है, इसको सर्वसम्मति से पास किया जाए यही मेरी प्रार्थना है।

चौधरी दल सिंहः स्पीकर साहब, मैं जानता हूं कि आप मुझ ज्यादा भाशण देने के लिए समय नहीं देंगे इसलिए मैं चन्द लफ्ज ही कहूंगा। गुप्ता जी ने फरमाया कि मैंने कहा है, मैं बताना चाहता हूं कि यह मैंने नहीं कहा, बल्कि लोगों ने कहा है .....

Mr. Speaker: Order please. This is no piont of order.

चौधरी दल सिहः स्पीकर साहब, मैं पर्सनल एक्प्लेने ान दे रहा हूं .....

Mr. Speaker: There is no occasion for personal explanation. Please take your seat.

चौधरी दल सिहः गुप्ता जी ने फरमाया है कि कुरूक्षेत्र बोर्ड को उन्होंने बनाया है .....

Mr. Speaker: Nolthing has been said against you. Please take your seat.

Transport Minister (Sh. K.L. Poswal): This is no personal explanation.

Ch. Dal Singh: I must be given an opportunity. .....

श्री बनारसी दास गुप्तः मैंने आपके खिलाफ कोई इलजाम नहीं लगाया।

चौधरी दल सिहः हमने भी अपने टाइम में सभी काम करे हैं ..... (विघ्न).....

Mr. Speaker: Nothing has been said against you and there is no point for personal explanation. Please take your seat.

श्री जगजीत सिंह टिक्काः स्पीकर साहब, जो लफ्ज इन्होंने कहे हैं, उनको एक्सपंज कर दिया जाए।

श्री अध्यक्षः आपको पता है कि कौन से एक्सपंज होते हैं और कौन से नहीं होते ? There should be no interruption like this.

श्री ओम प्रका ा गर्ग: स्पीकर साहब, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है। आनरेबल मैंबर ने फरमाया कि लोग कह रहे थे। मैं अर्ज करना चाहता हूं कि लोग तो इस बात से खु ा हैं। सिर्फ कुरूक्षेत्र के ही नहीं, बल्कि सारे प्रदे ा के लोग इस यूनिवर्सिटी के नए नाम से खु ा हैं।

Mr. Speaker: This is no point of order.

चौधरी प्रताप सिंह दौलता (बेरी): स्पीकर साहब, एक एजुके ानल इंस्टीच्यूट के नाम रखने के सवाल पर हमें तवक्को भी न थी कि बहस इतनी तेज होगी कि गैलरी तक आवाज पहुंचेगी। मैं सिर्फ यह अर्ज करना चाहता हूं कि कुरूक्षेत्र बडा तीर्थ है, बडी अच्छी बात है, लेकिन जिन लोाग्र ने उस इलाके की खिदमत की हो जाहिरा तौर पर उनका जन्म यहां न हुआ हो और फिर सेवा की ही उनकी धार्मिक डयूटी हो तो अगर उन जैसी हस्तियों का नाम जिन्दा रखने के लिए किसी ऐजुके ानल इंस्टीच्यूट का नाम उनके नाम से रख दिया जाए तो इसका धर्म के साथ कोई सरोकार नहीं है। कुछ भाइयों ने कहा कि इससे लोगों के धार्मिक जजबात को ठेस पहुंची है। मैं तो समझता हूं कि लोगों के धार्मिक जजबात को तो ठेस नहीं पहुंची उनको जरूर पहुंची होगी क्योंकि वे हर चीज को इस तरह से लेते हैं, वे धर्म के नाम पर हर चीज को लेते हैं। यह तो एक सिम्पल सी चीज है कि वे ऐजुके ानल इंस्टीच्यूट उस आदमी के वक्त में फला फूला है इसलिए उसका नाम रख दिया। इसमें न तो

अपोजी ान का और न ही ट्रेजरी बैंचिज का सवाल है और न ही यह धर्म और अधर्म का सवाल है यह तो हरियाणा का सवाल है। मैं एक और अर्ज करना चाहता हूं कि अगर हमारा भारत तरक्की करता है या कोई स्टेट तरक्की करती है तो उसका क्रैडिट सारे भारत के लोगों को है न कि किसी एक आदमी हो। लेकिन इधर के बैंचिज पर जो भाई बैठे हैं वे बोलते हैं कि हमारे वक्त में यह हो गया और तुम्हारे वक्त में नहीं हुआ। हमारे चीफ मिनिस्टर गुप्ता जी मेरे लिए भी ऐसे ही हैं जैसे पोसवाल जी के लिए हैं। तो मैं यह अर्ज करूंगा कि इस कंट्रोवर्सी को धर्म के साथ न जोडें, धर्म को हम फिर संभाल लेंगे। इन भाब्दों के साथ मैं यह अपील करूंगा कि इस बिल को सर्वसम्मति से पास किया जाना चाहिए।

चौधरी रिजक राम (राई): स्पीकर साहब, जो बिल हाउस के सामने रखा है इसमें तीन मुख्य बाते हैं। मैं तीनों के बारे में संक्षिप्त रूप में अपने विचार रखना चाहता हूं। एक तो यूनिवर्सिटी का नाम कुरूक्षेत्र यूनिवर्सिटी के नाम से बदल कर स्वर्गीय राज्यपाल महोदय के नाम से जोड़ना। उप कुलपति और उन दोनों के बारे में मैं एक बात संक्षेप में रखना चाहता हूं। गुप्ता जी ने बहुत ही सही फरमाया। हमारे स्वर्गीय राज्यपाल एक गुणवान विचारवान, बहुत विद्वान और श्रद्धावान भी थे। उनको हिन्दी, संस्कृत का म ाक था, अभ्यास था। मेरा भी उनसे निकट का वास्ता पडा। मैं यह समझता हूं ऐसे राज्यपाल का बे ाक हम

गौरव महसूस करते थे और जितना भी उनका सम्मान किया जाए, थोडा है। इसमें संदेह की बात नहीं लेकिन जहां तक कुरूक्षेत्र यूनिवर्सिटी का नाम बदलने का सवाल है, इस पर दो राय नहीं हो सकतीं और जहां कुरूक्षेत्र के नाम को ड्रौप करके उनके नाम को जोडा गया, उस पर कुछ भावनाएं उत्तेजित हो सकती हैं, लेकिन जैसा कि मुख्य मंत्री महोदय ने फरमाया और उनहौंने वजा तौर पर हाउस से अपील भी की कि इस मौजू को मतभेद का प्र न न बनाया जाए। मैं इस पर ज्यादा नहीं कहना चाहता, वैसे इस यूनिवर्सिटी की बुनियाद स्वर्गीय सरदार प्रताप सिंह कैरों ने रखी थी और कई वाईस चांसलर इसमें बने और चांसलर भी बदलते रहे। मैं समझता हूं कि यूनिवर्सिटीज में जिन लोगों ने काम किया है यूनिवर्सिटी के साथ उनका नाम जोडने से गुरेज किया जाए। मालवीय जी ने बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी स्थापित की और उन्होंने दुनियां भर में इतनी बडी संस्था कायम की जिसका नाम सारे वि व में लिया जाता है लैकिन अब तक भी बनारस यूनिवर्सिटी का नाम बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी ही है। इसी तरह अलीगढ मुस्लिम यूनिवर्सिटी सर सैय्यद अहमद ने कायम की थी लेकिन अब तक अलीगढ यूनिवर्सिटी का नाम नहीं बदला। कुरूक्षेत्र यूनिवर्सिटी के नाम के साथ यही महत्त्वता थी लेकिन इस बात को मैं बहस का मौजू न बनाते हुए मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता क्योंकि जिस वक्त हमारे राज्यपाल जी का स्वर्गवास हुआ उस वक्त भावनाएं बहुत थीं, और सही भी थीं लाजिमी होनी भी चाहिए थीं। उस समय सरकार ने जो फैसलाच किया उसको बहस का विशय बनाना

लाजिमी नहीं है। जहां तक उप कुलपति का इस विधेयक में जिक्र है इसके बारे में थोडा मैं मुख्य मंत्री के विचार हेतु एक दो बातें कहना चाहता हूं। जहां तक ि ाक्षा के केन्द्र का सवाल है इसमें कुछ मतभेद की बात नहीं होगी कि जो भी उपकुलपति हों वे माने हुए ऐजुके ानिस्ट होने चाहिएं जिनका विद्यार्थियों, ि ाक्षकों से बडा सम्बंध हो। इस यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर 5–6 साल से वहां हैं और उनकी टर्म भी हाल ही में बढाई गई हैं। वे पहले पब्लिक प्रोसीक्यूअर थे और बाद में चीफ जस्टिस रिटायर हुए। अध्यक्ष महोदय, जहां हमने बडे गौरव के साथ यह बात कही कि हमारे स्वर्गीय राज्यपाल जी हिन्दी भाशा के बडे माहिर थे वहां दु:ख की बात है कि हरियाणा में जो पहली यूनिवर्सिटी है, उसके वाइस चांसलर हिन्दी और हरियाणवीं भाशा नहीं जानते वे बोल भी नहीं सकते और न ही लडकों की बात समझ सकते और न लडकों को कुछ समझा सकते हैं। इसके अलावा जब वे अंग्रेजी बोलते हैं तो उनको एक्सेंट ऐसा है जो कोई लडका समझ नहीं सकता। जो आदमी उमर भर पब्लिक प्रोसीक्यूटर रहा हो, या चीु जस्टिस या जस्टिस के ओहदे पर रहा हो जिसको किसी को फांसी दिलाने में या फांसी के तख्ते पर लोगों को लटकाने में कभी रहम नहीं आया हो उसके हाथों में लडकों की किस्मत सौंपना मुनासिक बात नहीं है। मुझे मालूम है कि जब से वे वाइस चांसलर बने हैं कितने हरियाणा के सपूत होनकार लडके जो कामयाब होकर .....

ि ाक्षा मंत्री (श्री माडू सिंह मलिक): अध्यक्ष महोदय, आन ए प्वायंट आफ आर्डर। यहां यह बात नहीं कि कौन वहां का वाइस चांसलर हो। प्र न तो सिर्फ यह है कि उसका नाम बदलना हैं तो उनको डिस्कस करना मैं समझता हूं ठीक नहीं है।

चौधरी रिजक राम: सारा ही कुलपति और उप कुलपति का जिक्र है और है ही क्या ?

मुख्य मंत्री (श्री बनारसी दास गुप्त): आन ए प्वायंट आफ आर्डर सर। अध्यक्ष महोदय, ऐसी भी व्यवस्था है कि जो व्यक्ति सदन में आकर किसी बात को उत्तर न दे सके उसके संबंध में किसी प्रकार की नुक्ताचीनी सदन में नहीं होनी चाहिए।

Mr. Speaker: Quite correct. Not relavant. ऐसा नहीं होना चाहिए।

चौधरी रिजक राम: स्पीकर साहब, जितनी रैलेवैंट है, उतनी सुन लो। तो मैं यह कहना चाहता हूं कि न तो मैंने नाम लिया और न ही उनको जवाब देने की जरूरत है लेकिन मैं एक बात अर्ज करना चाहता हूं कि हमारी सरकार इस बात को सोचे कि यह जो हमारी एक यूनिवर्सिटी है इसमें वाइस चांसलर बनाते वक्त ऐसे आदमी को सिलेक्ट करे, वह चाहे हरियाणा से हो या बाहर से हो, जो हिन्दी का ज्ञान रखता हो और जिसने किताबें लिखी हों। – (विघ्न)–

Mr. Speaker: Order Please. There is no question of selection of Vice Chancellor in this Bill. (Interruptions) This is not relevant to this Bill at all.

चौधरी रिजक रामः जनाबे आली मैं एक अर्ज करना चाहता हूं। वैसे तो जनाब तो फरमाएंगे उसके सामने सर तसलीम खम हैं लेकिन कभी अप्वांयटमैंट का क्वै चन आएगा इस बिल मैं ? जबकि बिल यह है कि कुलपति और उपकुलपति के बारे में और प्रो वाईस चांसलर के बारे में स्पैसिफिक अमैंडमैंटस हैं then cannot I comment upon that ? (विघ्न)

Mr. Speaker: Order Please.

चौधरी रिजक रामः मैं तो यह कहता हूं कि कभी अप्वायंटमैंटस तो आती ही नहीं, बिल में।

श्री अध्यक्षः आर्डर प्लीज। जरा देखिए आप, यह तो न्यू हिन्दी टर्मज हैं, वाईस चांसलर और प्रो वाईस चांसलर की।

चौधरी रिजक रामः चाहे कुछ भी हैं but they are in the form of amendments, Sir.

श्री अध्यक्षः अमैंडमैंटस तो हैं लेकिन .....

Ch. Rizaq Ram: They are in the form of amendments and on the amendments I can speak. They are amendments. (Interruptions).

श्री अध्यक्षः आर्डर प्लीज। अंग्रेजी से हिन्दी में इनका नाम बदला गया है। (विघ्न) इस पर बोल सकते हैं। किसी पर्सन को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। That is not relevant and I will not allow it. That is not relevant to the Bill.

श्री माडू सिंह मलिकः एप्वायंटमैंट तो कभी डिस्कस होती ही नहीं। (विघ्न)।

चौधरी रिजक रामः जनाबे आली, कुरूक्षेत्र यूनिवर्सिटी के बारे में अमैंडिंग बिल है और उसमें चांसलर, वाईस चांसलर और प्रो वाईस चांसलर के संबंध में ही अमैंडमैंटस हैं, दूसरी कोई अमैंडमैंट नहीं है। (व्यवधान) नाम बदलने की है लेकिन है तो अमैंडमैंट।

Mr. Speaker: Well, you cannot criticise a person.

Ch. Rizaq Ram: I am not criticising. I am criticising.....

Mr. Speaker: If there is nothing about the appointment in this Bill.. (Interruptions)...

चौधरी ि िव राम वर्माः इसमें अंग्रेजी वाले न लगाओ, हिन्दी वाले लगाओ, इसमें कोई एतराज की बात है ?

चौधरी रिजक रामः मैं सिर्फ यह कहता हूं कि जब ये, अंग्रेजी से हिन्दी में नाम बदलने लग रहे हैं तो जैसे वर्मा साहब ने फरमाया कम से कम मैं इतना तो कह सकता हूं कि वाईस

चांसलर वह हो जो हिन्दी जानता हो। कितने अफसोस की बात है कि सारे हरियाणा में से गवर्नमैंट को ऐसा आदमी नहीं मिला, जो हिन्दी जानता हो बल्कि सारे दे ा के आखिरी कोने से ...

Mr. Speaker: Order Please. No repetition.

चौधरी रिजक रामः मैं एक दूसरी बात अर्ज करना चाहता हूं .....

श्री बनारसी दास गुप्तः अध्यक्ष महोदय, दर्द इनको चौधरी हरद्वारी लाल का है क्योंकि वे उनकी पार्टी के मैंबर हैं। उनको हटाकर एक योग्य आदमी को लगाया गया था।

चौधरी रिजक रामः स्पीकर साहब, मुझे हरद्वारी लाल के बारे में हमदर्दी नहीं है क्योंकि वे भी हिन्दी नहीं जानते। उनके लिए तो गुप्ता जी ने अपनी वसातत में जो कर सकते थे वह किया।

चौधरी प्रताप सिंह दौलताः चौधरी हरद्वारी लाल जी बीच में कैसे आ गए, जबकि वे भी यहां जवाब नहीं दे सकते।

Mr. Speaker: Order Please. No such talks please.

चौधरी रिजक रामः मैं एक और बात कहता हूं। वैसे तो भाायद वह ज्यादा रैलेवैंट न हो लेकिन एक मिनट के लिए आप मुझे इजाजत दें।

श्री अध्यक्षः अगर आप खुद ही फील करते हैं कि भाायद वह ज्यादा रैलेवैंट न हो तो how can I allow it.

चौधरी रिजक रामः स्पीकर साहब, अर्ज यह है .....

Mr. Speaker: Order please. No irrelevant thing please.

चौधरी रिजक रामः इररलेवैंट भी इतनी भाायद न हो जितनी आप समझते हैं। (हंसी) वाईस चांसलर के बारे में अब मैं नहीं कहता क्योंकि उनके बारे में गुप्ता जी ज्यादा टची हैं।

श्री बनारसी दास गुप्तः मैं कोई टची नहीं हूं।

चौधरी रिजक रामः आप सोच लें। दूसरी जो बात है वह प्रो वाईस चांसलर के बारे में है। इसके बारे में स्पीकर साहब, आपके द्वारा मैं एक ही बात कहता हूं कि जो भी व्यक्ति पब्लिक सर्विस कमी ान की चेयरमैनि ाप से रिटायर हो उसको यदि ऐसा ओहदा न दिया जाए तो सर्विसिज को पाकीज रखने के लए ठीक होगा। इससे ज्यादा न कहते हुए मैं अपनी जगह लेता हूं।

ि ाक्षा मंत्री (श्री माडू राम मलिक): स्पीकर साहब, इस बिल पर बोलते हुए मेरे विरोधी दल के भाईयों ने कुछ आपत्तियां उठाई। मैं आपको याद दिलाना चाहात हूं उस समय की जब हमारे भूतपूर्व राज्यपाल का अभिभाशण हो रहा था और इन विरोधी दल के भाइयों ने बडा भाोर किया था। उस समय उन्होंने गीता का एक भलोक पढा जो इस प्रकार है :–

क्रोधात् भवति संमोहः,

संमोहात् स्मृति विभ्रमः।

स्मृति भ्रंगसात् बुद्धिना ाो,

बुद्धिना ाात् प्रवन्र्यात।।

यह भलोक बिल्कुल इनके ऊपर लागू है। ये अब भी क्रोध के अंदर इस तरह की बातें कर रहे हैं। कुरूक्षेत्र यूनिवर्सिटी के लिए जो काम हमारे मौजूदा उप कुलपति ने किया है जो प्र ाासन अच्छा रखा, उससे ज्ञात होगा कि पहले यूनिवर्सिटी की क्या हालत थी और आज क्या हालत है, यह किसी से छुपा हुआ नहीं है। जो भी बाहर से आदमी आते हैं वे मुक्त कण्ठ से कुरूक्षेत्र वि वविद्यालय की प्र ांसा करते हैं कि ऐसा वि वविद्यालय है जहां बडा अनु ाासन है। तमाम दे ा के अंदर विद्यार्थियों ने भाोर किया, विद्यार्थियों ने हड़तालें की लेकिन कुरूक्षेत्र यूनिवर्सिटी के अंदर अनु ाासन बना रहा। इस अनु ाासन को बनाए रखने में जहां स्वर्गीय राज्यपाल का बडा योगदान था वहां उप कुलपति को भी इतना ही श्रेय प्राप्त है। आज जो तरमीम हम करने लगे हैं वह इसलिए करने लगे हैं कि हमारे राज्यपाल महोदय ने इस यूनिवर्सिटी को बनाने में अपना पूरा पूरा योगदान दिया और जो कुछ यूनिवर्सिटी आज बन सकी है और बन रही है वह उनकी वजह से बन रही है। इस बात को ध्यान में रखते हुए यदि इस यूनिवर्सिटी के साथ हम उनका नाम

न जोडें तो अच्छी बात नहीं होगी। किसी के अहसान को मानना बहुत बडी बात होती है और अहसान को भुलाना सबसे बडा पाप है। मैं समझता हूं कि विरोधी दल वाले पास के भागी बनैंगे, अगर इसका विरोध करेंगे। इन भाब्दों के साथ, स्पीकर साहब, मैं आ ाा करता हूं कि इस बिल को पास कर दिया जाएगा।

Mr. Speaker: Question is-

That this House disapproves the Kurukshetra University (Amendment) Ordinance, 1976 (Haryana Ordinance No. 3 of 1976)

The motion was carried.

Mr. Speaker: Question is-

That this House disapproves the Kurukshetra University (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Now the House will take up the Bill clause by clause.

Clauses 2 & 15

Mr. Speaker: Question is-

That cluases 2 and 15 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clauses 1

Mr. Speaker: Question is-

That cluase 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Speaker: Question is-

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker: Question is-

That Titel be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Education Minister (Sh. Maru Singh Malik): Sir, I beg to move-

That the Kurukshetra University (Amendment) Bill be passed.

Mr. Speaker: Motion moved-

That the Kurukshetra University (Amendment) Bill be passed.

Mr. Speaker: Question is-

That the Kurukshetra University (Amendment) Bill be passed.

The motion was carried.

दि कोर्ट फीस (अमैंडमैंट) बिल, 1976

Revenue Minister (Pandit Chiranji Lal Sharma): Sir, I beg to introduce the Court Fees (Haryana Amendment) Bill, 1976.

Sir, I also beg to move-

That the Court Fees (Haryana Amendment) Bill, be taken into consideration at once.

Mr. Speaker: Motion moved-

That the Court Fees (Haryana Amendment) Bill, be taken into consideration at once.

श्री के0एन0 गुलाटी (फरीदाबाद): माननीय स्पीकर साहब, यह बिल तो बहुत अच्छा है। 20 प्वायंटस प्रोग्राम के लागू करने में इस बिल के द्वारा बडी भारी मदद गरीब लोगों को मिलेगी क्योंकि उन्हें फ्री लीगल एड मिलेगी फिर भी मैं आपकी मारफत सरकार से यह प्रार्थना करना चाहता हूं कि फाइनैंि ायल मैमोरैंन्डम में यह जो 2400 रूपए की लिमिट रखी गई है यह बहुत थोडी है। इसमें बहुत थोडे लोग फायदा उठा सकेंगे। मैं रिक्वैस्ट करूंगा हरियाणा सरकार से और अपने मुख्य मंत्री जी से कि

इसकी हद पांच हजार तक कर दी जाए। इस सुझाव के साथ मैं इस बिल की पुरजोर ताईद करता हूं।

चौधरी दल सिंह (जींद): स्पीकर साहब, यह जो बिल पे ा किया है यह न्यायालय फीस अधिनियम, 1870 को सं ाोधित करने के लिए है। इस बिल के बारे में मैं एक बात कहना चाहूंगा। आर्डिनैंस में यह लिखा था कि इस बात पर फौरन आचरण होगां तो मिनिस्टर साहब जवाब देते हुए, यह जरूर बताएं कि आर्डिनैंस जारी होने से आज तक कितने आदमियों की फीस को घटाया, माफ कराया और किसको रियायत दी। सरकार ने अपने पास बहुत ज्यादा अख्तियारात लिए हैं। इसमें इन्होंने कहा है :–

"35. **फीसें माप करने या घटाने की भाक्तिः–** राज्य सरकार, ऐसी भार्तों और पाबन्दियों के अधीन, जिन्हें वह लगाना ठीक समझे, भाासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा अपने प्र ाासन के अधीन सारे राज्य क्षेत्रौं में या उनके किसी भाग में, सभी व्यक्तियों के या व्यक्तियों के किसी वर्ग के संबंध में, इस अधिनियम से संलग्न प्रथम तथा द्वितीय अनुसूचियों में वर्णित सभी या किन्हीं फीसों को घटा या माफ कर सकती है और इसी रीति में ऐसे आदे ा को रद्द या परिवर्तित कर सकती है।"

स्पीकर साहब, मेरी समझ में यह नहीं आया कि सै ान से 25–30 रोज पहले आर्डिनैंस जारी करने की इनको क्या जरूरत पड़ी ? इनको पता होना चाहिए कि कितना खर्च इस पर होता है।

बडी खतों किताबत होती है जबकि कागज बहुत महंगा हैं जब हम कोई सडक बनाने के लिए कहते हैं तो कहा जाता है कि जब रूपया आएगा, तब सडक बनेगी, लेकिन इस तरह से पैसा खर्च करने में सबसे आगे है। फिर स्पीकर साहब, इस बिल में इन्होंने यह तो लिख दिया कि किसी खास व्यक्ति या सब व्यक्तियों के लिए ये फीस को घटा भी सकते हैं और माफ भी कर सकते हैं लेकिन इसमें इन्होंने यह नहीं लिखा कि फलां आमदनी तक के व्यक्ति की फीस माफ की जाएगी। इनको चाहिए था कि कोई लिमिट फिक्स कर देते, चाहे वह 2200 रूपए की हो या 1200 रूपए की हो।

राजस्व मंत्रीः 2400 रूपए की हुई है।

चौधरी दल सिंहः अगर वे किसी खास तबके की, किसी खास आदमी की मदद करना चाहते हैं तो इनती बातों की क्या जरूरत थी ? इस चीज का तो सी0पी0सी0 के अंदर प्रोविजन है। अगर कोई आदमी सही है, उचित है तो वहां पर भी उसके लिए माफी का खाना बना हुआ हैं आपने स्पैसिफिक इलाके के लिए यह रखना है या सभी इलाकों के लिए रखना है। सरकार सारी पावर अपने हाथ में रखना चाहती है। अपनी मर्जी से सारी कार्यवाही करना चाहती है। मैं यह निवेदन करूंगा कि ऐसे अख्तियारात अपने हाथ में नहीं लेने चाहिएं कि जिसकी मर्जी आए कोर्ट फीस माफ कर दी या जिसकी मर्जी आए, घटा दी। इससे तो सिवाय सरकार अपना वि वास खोने के और कोई बात नहीं कर रही है। सरकार

को अच्छी तरह से विचार करना चाहिए और जो यह आर्डिनैंस इ ा किया था, यह नहीं करना चाहिए था।

चौधरी प्रताप सिंह दौलता (बेरी): स्पीकर साहब, मैं इस बिल का स्वागत करता हूं। मैं यह महसूस करता हूं कि भारतवर्श के अंदर हरियाणा पहली स्टेट है, जिसने यह राइट डायरैक ान में कदम उठाया है। पिछले दिनों जब हरिजनों को प्लाट देने लगे, तो उनकी रजिस्ट्रे ान में काफी दिक्कत आई। पंचायतों की जमीन लेने के लिए उनके पास पैसा नहीं है। इस ऐक्ट का यह मतलब नहीं है कि अगर सी0एम0 साहब चाहें, तो मेरे को माफ कर दें और मित्तल साहब को माफ न करें। ऐसा करने से फौरन कोर्ट में चैलेंज हो सकता है। इसकी एक रीजनेबल क्लासिफिके ान गवर्नमैंट को करनी पडेगी कि किन किन को कनसै ान देना है। किन किन को इकोनोमिक ग्राउंड पर देना है, किन को रीजनल बैकवर्डनैस की बिनाह पर कनसै ान दिया जाएगा, यह सारी क्लासीफिके ान करनी पडेगी। यह सब कुछ गरीब तकके को कनसै ान देने के लिए किया जा रहा है। यह एबयूज और मिसयूज नहीं हो सकता। चौधरी दल सिंह जी ने जनरल एबयूज की बात की है। एबयूज और मिसयूज होने से पहले तो यह कैटेग्राइजे ान होगी कि किस किस को कनसै ान देना हैं रै ानलबेसजि इसके लिए बनाना पडेगा, फिर उसके बाद कनसै ान मिलेगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो जुडि ायरी में चैलेंज हो सकता है। डाक्टर यू0सी0 सरकार का ट्रिब्यून में एक

आर्टीकल निकला है, जिसमें लिखा है– Haryana is the first State to do htis and it has given a lead. इन अल्फाज के साथ मैं इस बिल की ताईद करता हूं।

चौधरी फूल चन्द (मुलाना– अनुसूचित जाति): अध्यक्ष महोदय, हरियाणा सरकार ने बीस प्वांयट प्रोग्राम के तहत गरीबों की भलाई के लिए एक बहुत ही अच्छा कदम उठाया है। इस बिल को ला कर इसने उन गरीब लोगों को राहत दी है, जो कि पैसे की कमी के कारण कोर्ट फीस न लगाने से अपना राइटफुल काज कोर्ट में प्लीड नहीं कर सकते थे। वेसे मैं इस बिल के स्वागत करने के साथ साथ अपनी सरकार का आभारी भी हूं कि उन्होंने हरियाणा के गरीब लोगों की मदद के लिए यह भारी कदम उठाया है। मेरे बहुत से माननीय सदस्य कल यहां पर सवाल पूछ रहे थे कि गरीबों और हरिजनों की भलाई के लिए सरकार क्या कर रही है। जब उनकी भलाई की कोई बात आए, तो यहां पर कहते हैं कि यह बिल क्यों पास किया जा रहा है। उनको यहां पर कहने का मकसद केवल लोगों तक अपनी आवाज पहुंचाने का है, असलियत में उनकी गरीबों से कोई हमदर्दी नहीं है। उनको सब लोग्र अच्छी तरह से जातने हैं। अभी यहां पर चौधरी प्रताप सिंह दौलता ने बताया कि यू0सी0 सरकार ने एक आर्टिकल लिखा है, वह बहुत ही अच्छा आर्टिकल लिखा है। वे मेरे प्रिंसिपल रहे हैं। उन्होंने लिखा है कि हरियाणा गवर्नमैंट ने हिन्दुस्तान में सबसे पहले यह कदम उठाया है। इससे गरीब लोगों को राहत मिलेगी

और कानून में जो लीगल ऐड का प्रोविजन किया है, यह भी हिन्दुस्तान की हिस्टरी में नाम रहेगा। ऐसे ऐस विधेयक आते रहे, तो मैं उनका स्वागत करूंगा। इन भाब्दों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हूं।

चौधरी रिजक राम (राई): स्पीकर साहब, इस बिल के द्वारा स्टेट गवर्नमैंट यह अधिकार ले रही है कि वह कुछ केसिज में कोर्ट फीस की माफी दे सकेगी या उसमें कमी कर सकेगी। आपको मालूम है कि इसके एम्ज एंड आब्जैक्टस में यह भी लिखा हुआ है। ...

श्री गिरी ा चन्द्र जो ीः आन ए प्वायंट आफ आर्डर सर। अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि वे इस बिल का स्वागत करते हैं या विरोध करना चाहते हैं।

Mr. Speaker: This is no point of order.

चौधरी रिजक रामः स्पीकर साहब, बीस प्वायंट प्रोग्राम के तहत गरीब आदमियों को फ्री लीगल ऐड दी जाएगी। यह पहले ही स्पश्ट किया गया है और इस बिल के एम्ज ऐंड आब्जैक्टस में यह लिखा हुआ है कि:

"Under the 20 point economic programme announced by the Prime Minister of India the State Government decided to provide free legal aid to the poor, having a household income not exceeding Rs. 2400 per

annum. In order to achieve this object it was necessary to amend the Court Fees Act, 1870."

इस प्रोग्राम के तहत हरियाणा में जिसकी इनकम 2400 रूपया से कम होगी, उस व्यक्ति को फ्री लीगल ऐड या फीस माफी की राहत दी जाएगी। स्पीकर साहब, एक बात मैं आपके जरिए मुख्यमंत्री और रेवेन्यू मिनिस्टर साहब को कहना चाहता हूं कि हरियाणा के अंदर कितने ऐसे घराने हैं जिनकी आमदनी 2400 रूपए से कम है। उस आमदनी में बाप, बेटा, दादा भी भाामिल हो सकते हैं, उसके बच्चे भी भाामिल हो सकते हैं। मेरे विचार के मुताबिक तो कोई भी घर नहीं बचता है, जिनकी आमदनी 2400 रूपए से कम हो अगर एक आदमी बेलदार लगा हुआ है, या चपड़ासी लगा हुआ है, या चौकीदार लगा हुआ है, तो उसकी भी इतनी आमदनी हो सकती है। अगर कोई आदमी 5–7 रूपए की मजदूरी करता है, या उसके घर के मैंबर चार पांच हों, वे 4–4 या 3–3 रूपए की मजदूरी करें, तो भी 2400 रूपया आमदनी हो सकती है। कोई भी खानदान बच नहीं सकता। सारे परिवार की आमदनी 2400 से कम नहीं हो सकती। ऐसे फर्जी बिल लाकर यह कहना कि हम गरीबों की मदद कर रहे हैं यह उचित नहीं है। दौलता साहब ने भी यहां पर इस बिल की ताईद की और आ ीर्वाद ले लिया। यह कोई अच्छी बात नहीं है। एक तरफ तो यह कहते हैं कि हरियाणा की पर कैपिटा आमदनी बढी है और आज मुख्य मंत्री हिन्दुस्तान में सबसे ऊंचा है, फिर भी हम राहत क्यों नहीं देना चाहते। अगर आपने यह कागजी कार्यवाही ही

करनी है, तो चुपचाप कर लें। किसी भी आदमी को आज तक डिस्ट्रिक्ट सोनीपत में फ्री लीगल एड की इजाजत नहीं मिली है, वहां कोई भी आदमी इसका मु तहक नहीं है। कोई भी ऐसा आदमी नहीं है, जिसकी आमदनी 2400 रूपए से कम है। मुख्यमंत्री जी रोज ही कहते हैं कि एक इलाका हरियाणा में ऐसा है जो भूखा है और उसको ऊंचा उठाने के लिए हरियाणा सरकार पूरी तरह लगी हुई है।

16.00 बजे।

सोनीपत जिले का इलाका तो ऐसा है कि न तो यहां कोई भूखा है, न वहां किसी तरक्की की जरूरत है, न किसी डिवैल्पमैंट की जरूरत है और न वहां पर किसी को नौकरी पर लगाने की जरूरत है। आज तो सिर्फ एक ही पिछड़े इलाके को उठाने पर सरकार लगी हुई है। मैं इस मामले में किसी बहस में नहीं पडना चाहता। मैं तो यह कहता हूं कि हरियाणा के अंदर न तो किसी आदमी को लीगल एड मिली है और न कोर्ट फीस से किसी को फायदा होगा।

चौधरी फूल चन्द (रोहट– अनुसूचित जाति): स्पीकर साहब, मैं इस बिल की ताईद करता हूं और दिल से चाहता हूं कि यह बिल बने और कामयाब हो लेकिन लगता ऐसा है कि यह बिल सफेद कागज पर ही लिखा रहेगा और इससे आगे नहीं चल सकेगा, क्योंकि इस बिल को देखकर मुझे एक मिसाल याद आ

जाती है। एक लडका था, जिसका नाम नैनसुख था और वह आवारा था। वह अपनी बहू लेने ससुराल गया तो उसकी सास कहने लगी कि बेटा तेरा नाम नैनसुख है। नाम को देखकर तो ऐसा जी चाहता है कि दूसरी लडकी भी तेरे साथ कर दूं लेकिन जब तेरे काम देखती हूं तो जी करता है कि तेरे लाठी मारूं। लीगल एड का बडा प्रोपेगण्डा किया गया और मैंने भी कहा कि भई मैं भी इस काम के लिए हाजिर हूं लेकिन लीगल एड किनको दें। इसी तरह से यह कोर्ट फीस का मामला है। कौन लोग हैं, जो कोर्ट फीस से छुटकारा पाएंगे। हम इसका पूरी तरह से प्रोपेगण्डा कर रहे हैं लेकिन इससे कुछ हासिल नहीं होगा। मैं मन्त्री महोदय से अर्ज करना चाहता हूं कि इसका कोई सरल तरीका बनाएं। ऐसा न हो कि फीस माफी के लिए किसी को 200 रूपए ही खर्च करने पड जाएं। मैं आपकी मारफत मंत्री महोदय से यही दरखास्त करना चाहता हूं कि ऐसा कोई आसान तरीका बनाएं कि जिसको आप इस कोर्ट फीस से राहत देना चाहते हैं कि वह उस तक पहुंचे। ऐसा न हो कि इस राहत को लेने के लिए उसको खर्च करना पड़े।

(इस समय उपाध्यक्षा पदासीन हुई)

चौधरी पीर चन्द (बरवाला–अनुसूचित जाति): उपाध्यक्ष महोदया, यह जो बिल सदन के सामने आया है, यह बहुत अच्छा है और हमारे मुख्य मंत्री जी इसको दिल से चाहते हैं और 20 सूत्री प्रोग्राम को अमल में लाने के लिए इसको लाया गया है। लेकिन

मुझे इस बात का बडा भारी संकोच है कि यह बिल जैसा कि चौधरी रिजक राम और चौधरी फूल चन्द ने कहा है कि यह कागजों पर ही रहने वाला बिल साबित होगा। आप एक तरफ तो यह कह रहे हैं और इसके बारे में बिल भी पास हुआ है कि एक मजदूर की मजदूरी सात रूपए से कम नहीं होगी और दूसरी तरफ यह 2400 रूपए साल की आमदनी की भार्त रखी है कि जिसकी इतने रूपए से कम आमदनी होगी, उसको कोर्ट फीस की माफी चाहेगा तो उसको अपनी आमदनी का हिसाब किताब सरकार के सामने रखना पडेगा कि उसकी आमदनी 2400 रूपए से कम है। दूसरी बात यह है कि आज जो भी गरीब परिवार हैं, उनमें एक ही आदमी कमाने वाला नहीं है क्योंकि एक के कमाने से गुजारा नहीं होता, बल्कि जितने भी घर के मैंबर होते हैं सबको काम करना पडता है। तो इसका मतलब यह होगा कि उस परिवार की आमदनी 2400 रूपए से ज्यादा होगी और इस प्रकार उसको कोई रियायत नहीं मिलेगी।

डिप्टी स्पीकर साहिबा, कुछ समय पहले मुसलमानों की जमीन लेकर हरिजनों को नीलाम की गई और जब वह नीलाम की गई तो तहसीलदार ने कहा कि उस पर कोर्ट फीस नहीं लगेगी और इन्तकाल उनके नाम चढ जाएगा। जब हरिजनों को जमीन दी गई तो उन्होंने सोचा कि पांच सौ सात सौ रूपए बच जाएंगे। जब वह उस जमीन की कि तें देकर बडी मुसीबत से फारिंग हुए तो वही बात हुई कि आज तक वह इन्तकला रूके पड़े हैं इसलिए कि

रजिस्ट्री कराओ। मैं सरकार से प्रार्थना करूंगा कि इसको बजाय दो सौ रूपए महीने के पांच सौ रूपए महीना कर दें। हो सकता है कि उस हालत में कुछ हरिजन और गरीब लोगों का फायदा पहुंच जाए और तभी 20 सूत्री प्रोग्राम का सही फायदा हरिजनों को पहुंचेगा वरना यह सिर्फ अखबारों और कागजों तक ही सीमित रह जाएगा और हरिजनों को इसका कोई लाभ नहीं होगा। अन्त में मैं फिर यह प्रार्थना करूंगा कि 200 रूपए महीने की आमदनी की बजाये 500 रूपए कर दी जाए।

चौधरी ि ाव राम वर्मा (नीलोखेड़ी): उपाध्यक्ष महोदया, मैं भी इस बिल का स्वागत करने के लिए खडा हुआ हूं। इसके अंदर एक वि ोशता मैंने देखी है। मैं सोच तो यह रहा था कि इस बिल पर बोलने की कोई आव यकता नहीं है लेकिन जब वह वि ोशता मैंने देखी है वह यह है कि बजाये किसी वर्ग वि ोश को इसके अंदर फायदा पहुंचान के उन आदमियों को लिया गया है जिनकी आमदनी कम है और जो गरीब हैं चाहे वह किसी जाति का हो। इसमें सबसे बडी वि ोशता यह है कि जिसकी 2400 रूपए से कम साल की आमदनी है चाहे वह किसी बिरादरी या वर्ग से ताल्लुक रखता है, उसे इस कोर्ट फीस से माफी मिल सकती है। यह बडी अच्छी बात है। लेकिन सरकार से मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि जिस उद्दे य के लिये यह बिल लाया गया है जो ध्येय सामने रख कर इसको लाया गया है उसको याद रखा जाए और उसको पूरी तरह से कार्यान्वित किया जाए, और उसकी

तरफ पूरी तरह ध्यान दिया जाए। ऐसा न हो कि गरीब आदमी को उतना फायदा न पहुंचे, जितना उसे अपने आपको गरीब साबित करने के लिए खर्च करना पड़ें जैसा कि चौधरी फूल चन्द ने कहा कि गरीब आदमी को गरीब साबित करने के लिए फायदे से ज्यादा खर्च करना पड़े, इस बात का वि ोश ध्यान रखा जाना चाहिए। आपने कचहरियों में देखा होगा कि वहां इस प्रकार के लोग फिरते रहते हैं जो भोले लोगों की जेब से इतना खर्च करा लेते हैं जितना कि उनको फायदा नहीं होता। इस बात का वि ोश ध्यान रखा जाना चाहिए। एक गरीब आदमी चाहे वह हरिजन है, ब्राह्मण है, बनिया है अगर वह न्याय लेने के लिए या किसी और काम के लिए कोर्ट में जाता है और वह पूरी तरह समर्थ नहीं है उसको सहायता मिलनी चाहिए। इसलिए मैंने इस बिल का समर्थन किया है और मैं चाहता हूं कि जो सुझाव सरकार के सामने आए हैं, उपाध्यक्ष महोदया सरकार उस ओर ध्यान दे और गरीब आदमी की वह जो सहायता करना चाहती है वह सही मायनों में करे।

राजस्व मंत्री (पंडित चिरंजी लाल): डिप्टी स्पीकर साहिबा, अपोजी ान के कुछ आनरेबल मैंबर्ज ने इस बिल पर अपने ख्यालात और जजबात का इजहार किया और कई तरह की तजवीज दीं और क्रिटीसीजम भी किया। उनको क्रिटिसिजम करने का अधिकार है लेकिन मैं यह समझता था कि यह जो अमैंडिंग बिल है इस पर कोई खास तकरीर की जरूरत नहीं थी, बहरहाल उनको नुक्ताचीनी का पूरा हक है लेकिन अफसोस की बात है कि

जब हमारी सरकार कोई अच्छा कदम उठाती है, गरीब के उत्थान के लिए कोई कंस्ट्रक्टिव काम करती है तब भी हमारे अपोजी ान के कुछ आनरेबल मैंबर उन अच्छे कामों की कद्र नहीं करते बल्कि उसको भयानक रूप में पे ा करने की कोि ा ा करते हैं। अब सरकार ने यह फैसला किया है कि जो गरीब लोग कोर्ट फीस का खर्च बर्दा त नहीं कर सकते उनको इस खर्च से राहत दिलाई जाए। लेकिन हमारे अपोजी ान के भाईयों ने यहां पर यह कहा कि इस आर्डिनैंस पर इतना खर्चा कर दिया, इस पर इतना रूपया खर्च हो गया, मैं नहीं समझ पाया कि इससे उनकी क्या मुराद थी। बहरहाल मैं यह कहना चाहता हूं कि इस बिल को लाने की सरकार की कोई चीप पापुलैरिटी या प्रोपेगण्डा करने की मं ाा नहीं है। हमारी प्राइम मिनिस्टर के 20 सूत्रीय प्रोग्राम चालू होने के बाद, हमारी हरियाणा सरकार ने उसको अमलीजामा पहनाने के लिए कई ठोस कदम उठाए हैं और उठा रही है।

चौधरी फूल चन्द (रोहट): स्पीकर साहब, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है। इन्होंने कहा है कि हम चीप प्रोपैगण्डा नहीं चाहते। क्या ये कास्टली प्रोपैगण्डा चाहते हैं ?

पंडित चिरंजीलाल भार्मा: मैं यह कहना चाहता था कि कुछ मैंबरान ने यह तजवीज किया कि लिमिट 2400 की बजाय 5000 कर दी जाए, यानि जिसकी आमदनी 5000 रूपए सालाना है उसको कोर्ट फी से छूट दे दी जाए। फिर हमारे एक आनरेबल मैंबर ने यह भी कहा कि हमारे हरियाणा प्रान्त में कोई भी परिवार

ऐसा नहीं है जिसकी आमदनी 2400 रूपया सालाना से कम हो। यह तो बडी ही खु ी की बात है। बहरहाल इन चीजों को मद्देनजर रखते हुए यह फैसला किया गया कि जिन की आमदनी 2400 रूपए सालाना से कम है, उनको इस कोर्ट फीस से रिलीफ दिया जाए। इसमें तो एनेबलिंग पावर भी दी है, जिसतें स्पैसिफिक केटेगरी आफ पर्सन्ज को रिमि ान आफ कोर्ट फीस दी जा सकती है। स्पीकर साहब, इस बारे में 4.6.76 को गजट नोटीफिके ान भी हो चुका है। वह नोटीफिके ान मैं आपको पढकर सुना देता हूं।

HARYANA GOVERNMENT

Revenue Department

4th June, 1976

"In exercise of the powers conferred by Section 30 of the Court Fees Act, 1970 and all other powers enabling him in this behalf, the Governor of Haryana hereby remits the fees mentioned in Annexrues I and II in respect of Planits, Written Statements, Cross Objection, Petition, Application, Appeal, Revision or any other document presented in Court by a person who produces a certification from the Deputy Commissioner of the District wherein he resides to the effect that his only household income from all sources does not exceed, 2400 rupees and that this cause is prima facie reasonable."

तो मैं अर्ज करना चाहता हूं कि भाायद आनरेबल मैंबर्ज ने गजट नोटीफिके ान को ध्यान से देखा ही नहीं उसका पता

होने के बाद भाायद आनरेबल मैंबर्ज को यह भाकूको खद ाात ही न होते। During the course of discussion on a Bill the Members have unfettered discretion and power to expression to their views. परन्तु यूं ही इस बात का सहारा लेकर उन आनरेबल मैंबर्ज ने सरकार पर कटाक्ष किए। हरियाणा सरकार ने जो भी काम तरक्की के किए हैं, अपोजी ान के भाईयों ने जरूर ही उस पर नुक्ताचीनी करनी है, जो कि नावाजिब है। चूंकि कुछ बातें जो उन्होंने इस बिल पर बोलते हुए कही हैं वे नावाजिब थीं, इसलिए इस मौके पर मैं उन बातों का जवाब देना मुनासिब नहीं समझता, वक्त आने पर मैं उन बातों का जवाब दूंगा। (विघ्न) डिप्टी स्पीकर साहब, मैं इस मौके पर कोई लम्बी चौडी तकरीर नहीं करना चाहता। मैं प्रार्थना करूंगा कि इस बिल को पास कर दिया जाए।

Deputy Speaker: Question is-

That the Court Fees (Haryana Amendment) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Deputy Speaker: Now the House will take up the Bill clause by clause.

Clauses 2

Deputy Speaker: Question is-

That cluases 2 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clauses 3

Deputy Speaker: Question is-

That cluases 3 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clauses 1

Deputy Speaker: Question is-

That cluase 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Deputy Speaker: Question is-

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Deputy Speaker: Question is-

That Titel be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Reveue Minister (Pandit Chiranji Lal Sharma): Madam, I beg to move-

That the Court Fees (Haryana Amendment) Bill be passed.

Deputy Speaker: Motion moved-

That the Court Fees (Haryana Amendment) Bill be passed.

Deputy Speaker: Question is-

That the Court Fees (Haryana Amendment) Bill be passed.

The motion was carried.

दि हरियाणा सैलरीज एंड अलांउसिज आफ मिनिस्टर्ज

(अमैंडमैंट) बिल, 1976

Chief Minister (Sh. Banarsi Dass Gupta): Madam, I beg to introduce the Haryana Salaries and Allowances of Ministers (Amendment) Bill, 1976.

I also beg to move-

That the Haryana Salaries and Allowance (Amendment) Bill, be taken into consideration at once.

Deputy Speaker: Motion moved-

That the Haryana Salaries and Allowance (Amendment) Bill, be taken into consideration at once.

श्री बनारसी दास गुप्तः उपाध्यक्ष महोदया, ये तीनों बिल एक जैसे ही हैं, जिनके द्वारा अनामली दूर की गई है, इसलिए मैं समझता हूं कि इन पर ज्यादा बहस की जरूरत नहीं है।

चौधरी रिजक राम (राई): डिप्टी स्पीकर साहिबा, जहां तक इस बिल में अनामली दूर की गई है मुख्य मंत्री जी ने ठीक फरमाया कि यह बिल कोई ऐसा नहीं है जिस पर बहस की जरूरत हो और मैं भी सिर्फ इसलिए खडा हुआ हूं कि ये तीन बिल लगातार एक जैसे ही हैं लेकिन इनको पढने से यह पता नहीं लगता कि अनामली दूर की गई है या बढाई गई है। मैं चीफ मिनिस्टर साहब से गुजारि ा करूंगा कि इन्हें पास करने से पहले जरा समझा दें।

मुख्य मंत्री (श्री बनारसी दास गुप्त): उपाध्यक्ष महोदया, यह तो इतनी बात है कि इस विधान सभा का जो मैंबर है उसको जितनी सैलरी मिलती है या अलाउंसिज मिलते हैं, वे इन्कम टैक्स प्वायंट आफ व्यू से उसकी पूरी इन्कम मानी जाती हैं। अगर किसी मैंबर की केवल यह इन्कम हो तो इस पर इन्कमटैक्स सरकार पे करती है और जब कभी एक मैंबर मिनिस्टर बन जाता है तो मिनिस्टर बनने के बाद वह जो सैलरी और अलाउंसिज लेता है और मैंबर की हैसियत से जो लेता था, उसमें इन्कम टैक्स की दृश्टि से कुछ कठिनाइयां आती थीं उन कठिनाइयों या अनामलीज को दूर करने के लिए यह अमैंडमैंट तीनों बिलों में लाई गई हैं। इसी प्रकार कोई मिनिस्टर, मिनिस्टर न रहे और इसी प्रकार कोई

मैंबर डिप्टी स्पीकर बन जाए, या स्पीकर बन जाए तो इन तीनों प्रकार के बिलों में इंकम टैक्स प्वायंट आफ व्यू से यह कठिनाई आती थी जिसको दूर करने के लिए यह सं ाोधन लाया गया हैं।

चौधरी फूल चन्द (रोहट): इसके मायने यह तो नहीं है कि एक मिनिस्टर बतौर मैंबर के भी अलाऊंस ले और बतौर मिनिस्टर के भी ले ?

श्री बनारसी दास गुप्तः बतौर मैंबर के मैंबर का लेता है और बतौर मिनिस्टर के मिनिस्टर का लेता हैं ऐसी बात नहीं कि दोनों का लेता है।

चौधरी दल सिंहः डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वे मेरी तरफ भी कुछ ध्यान दें। मैं समझता हूं कि फर्ज करो हमें यहां से 6 हजार रूपए मिलते हैं तो उसके ऊपर इन्कम टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन अगर इसके अलावा हमारी अपनी तीन हजार इन्कम होगी, तो इसको 6 हजार में मिला कर हमें 9 हजार पर इनकम टैक्स देना पडेगा। तो मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि अगर हमारी अपनी इनकम में इस 6 हजार को भाामिल किया जाना है, तो इस पर 6 हजार पर इनकम टैक्स सरकार दे। लेकिन जिस तरह से ये करने जा रहे हैं उससे तो ये हमारे ऊपर टैक्स लगाने का जरिया बना रहे हैं। यह हमारे से रियायत से नहीं है। तो मेरी गुजारि ा यह है कि जिस तरह से

यू0पी0 में है उसी तरह से सरकार इसे कांसटीच्युएंसी अलाऊंस कर दे क्योंकि उस पर टैक्स नहीं लगता।

श्री बनारसी दास गुप्तः ऐसा है कि अगर किसी व्यक्ति की आय केवल वही है जो वह बतौर मैंबर के लेता है या बतौर मिनिस्टर के लेता है या बतौर स्पीकर या डिप्टी स्पीकर के लेता है तो उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन अगर उसकी और भी आमदनी का जरिया है, दस हजार हो, बीस हजार हो, पचास हजार हो, एक लाख या दो लाख हो उस पर टैक्स लगेगा और उसमें यह रा ि ा भी इनकम में भाामिल होगी, जो सरकार देती है। यह बात ठीक है कि इस इनकम को उसमें जोडकर सलैब हाई हो जाएगा और रेट आफ टैक्स बढ जाएगा तो यह कोई बडी बात नहीं है।

चौधरी रिजक रामः मेरा प्वांयट आफ क्लैरिफिके ान है। जो यह छः हजार रूपए है इसको मिलाने से सलैब तो बढ जाएगा लेकिन इस छः हजार पर जो टैक्स लगेगा उसे सरकार को बर्दा त करना चाहिए।

Deputy Speaker: Question is-

That the Haryana Salaries and Allowance (Amendment) Bill, be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Deputy Speaker: Now the House will take up the Bill clause by clause.

Clauses 2

Deputy Speaker: Question is-

That cluases 2 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clauses 3

Deputy Speaker: Question is-

That cluases 3 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clauses 1

Deputy Speaker: Question is-

That cluase 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Deputy Speaker: Question is-

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Deputy Speaker: Question is-

That Titel be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Chief Minister (Sh. Banarsi Dass Gupta): Madam, I beg to move-

That the Haryana Salaries and Allowance (Amendment) Bill, be passed.

Deputy Speaker: Motion moved-

That the Haryana Salaries and Allowance (Amendment) Bill, be passed.

Deputy Speaker: Question is-

That the Haryana Salaries and Allowance (Amendment) Bill, be passed.

The motion was carried.

दि हरियाणा लैजिसलेटिव असैम्बली स्पीकर्ज एंड डिप्टी स्पीकर्ज सैलरीज एंड अलांउसिज (अमैंडमैंट) बिल, 1976

Chief Minister (Sh. Banarsi Dass Gupta): Madam, I beg to introduce the Haryana Legislative Assembly Speaker's and Deputy Speaker's Salaries and Allowances (Amendment) Bill, 1976.

Madam, I also beg to move-

That the Haryana Legislative Assembly Speaker's and Deputy Speaker's Salaries and Allowances (Amendment) Bill, be taken into consideration at once.

Deputy Speaker: Motion moved-

That the Haryana Legislative Assembly Speaker's and Deputy Speaker's Salaries and Allowances (Amendment) Bill, be taken into consideration at once.

Deputy Speaker: Question is-

That the Haryana Legislative Assembly Speaker's and Deputy Speaker's Salaries and Allowances (Amendment) Bill, be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Deputy Speaker: Now the House will take up the Bill clause by clause.

Clauses 2

Deputy Speaker: Question is-

That cluases 2 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clauses 1

Deputy Speaker: Question is-

That cluase 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Deputy Speaker: Question is-

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Deputy Speaker: Question is-

That Titel be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Chief Minister (Sh. Banarsi Dass Gupta): Madam, I beg to move-

That the Haryana Legislative Assembly Speaker's and Deputy Speaker's Salaries and Allowances (Amendment) Bill, be passed.

Deputy Speaker: Motion moved-

That the Haryana Legislative Assembly Speaker's and Deputy Speaker's Salaries and Allowances (Amendment) Bill, be passed.

Deputy Speaker: Question is-

That the Haryana Legislative Assembly Speaker's and Deputy Speaker's Salaries and Allowances (Amendment) Bill, be passed.

The motion was carried.

दि हरियाणा सैलरीज एंड अलांउसिज आफ मिनिस्टर्ज

(अमैंडमैंट) बिल, 1976

Chief Minister (Sh. Banarsi Dass Gupta): Madam, I beg to introduce the Haryana Legislatvie Assembly (Allowances of Members) Amendment Bill, 1976.

Madam, I also beg to move-

That the Haryana Legislatvie Assembly (Allowances of Members) Amendment Bill, be taken into consideration at once.

Deputy Speaker: Motion moved-

That the Haryana Legislatvie Assembly (Allowances of Members) Amendment Bill, be taken into consideration at once.

चौधरी प्रताप सिंह (बेरी): डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं गवर्नमैंअ की तवज्जोह इस अमर की तरफ दिलाना चाहता हूं कि पहले जो बिल थे उनसे हाउस के कुछ सैक ान को यानी मिनिस्टर्ज, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर को कंसै ान मिला है लेकिन जो दूसरे हैं, उनको रिलीफ की बजाय उल्टा नुकसान हो रहा है, जैसे कि चौधरी रिजक राम जी जो वकील हैं, अगर एक एम0एल0ए0 होकर मिनिस्टर बन जाएं और उसकी सारी तनख्वाह वगैरह 5 हजार से ऊपर हो, तो उनको इनकम टैक्स फ्री है, लेकिन अगर वह लैजिस्लेटर रहे और साथ वकालत करे या कोई और कारोबार करता हो, तो फिर वह 60 हजार पर इनकम टैक्स देता है तो जो कमाकर खाते हैं, उनको रिलीफ नहीं है, लेकिन जो मिनिस्टर बन जाएं उन्हें रिलीफ है। मेरी अर्ज यह है कि बाबू गुलाब सिंह जैसे

स्पै ालिस्ट से जो इनकम टैक्स के नीचे ऊंचे भेद जानते हैं, एक कमेटी बनाकर इस बात की जांच करवाई जाए, कि इन मैंबरों को रिलीफ कैसे दिया जाए। जो प्रोफै ानल हैं, उनका स्लैब इतना पडता है कि जो उनको 5 सौ रूपए अलाऊंस के मिलते हैं, वे भी साफ हो जाते हैं, और साथ ही कुछ और भी ले जाते हैं। इसके अलावा कुछ मैंबर गलती से और भी मारे गए बडी मु कल से उनहोंने पटियाले के कमि नर को यकीन दिलाया कि हमारी साधारण गलती है। डिप्टी स्पीकर साहिबा, उन पर न सिर्फ इनकम टैक्स लगा बल्कि पैनल्टी भी बहुत लगी और बहुत सारे केसिज पैंडिंग हैं। मेरी गुजारि ा यह है कि जैसे डिप्टी स्पीकर साहिबा, और वुजरा साहिबान को इनकम टैक्स में रियायतें मिली हैं, ऐसे ही उन लैजिस्लेटर्ज को जो दूसरे काम करते हैं, कंसै ान मिलना चाहिए। इन अलफाज के साथ मैं अपनी जगह लेता हूं।

चौधरी रिजक राम (राई): डिप्टी स्पीकर साहिबा, इस बिल के बारे में अब मैं समझता हूं। बहुत चर्चा करनै की जरूरत नहीं है क्योंकि दौलता साहब ने अपनी स्पीच में जो जरूरी बातें थीं, कह दीं हैं, लेकिन एक बात और जिसका इसके साथ सम्बंध है, मैं आपके द्वारा मुख्य मंत्री साहब तक पहुंचाना चाहता हूं। मैं उनसे अपील भी करना चाहता हूं कि वे इस पर ठंडे दिल से हमदर्दाना गौर करें। डिप्टी स्पीकर साहिबा, कुछ हमारे लेजिस्लेटर्ज ऐसे हैं जो कि जेर दफा 107 या डी0आई0आर0 वगैरह के तहत अंडर डिटैं ान हैं। सारे दे ा के ऐक्टस के जो

प्रोविजन्ज हैं, उनमें कही भी ऐसा प्रोविजन नहीं है कि लेस्जिलेटर्ज जो दफा 107 या डी0आई0आर0 में गिरफ्तार हुए हों, उनको कोई अलाऊंस न मिले, उनके बच्चे भूखे बैठे रहे। डिप्टी स्पीकर साहिबा, उन मैंबरों को एक एक साल हो गया है, जेलों में बंद कर रखा है और उनके बच्चे भूखे रहते हैं। आखिर वे हमारे साथी हैं, उनके साथ ऐसा सलूक नहीं होना चाहिए। दे ा भर में कहीं भी ऐसा प्रोविजन नहीं कि जो मैंबर इस तरह जेल में बंद हों, उनको भत्ता न मिले। तो मैं अपने मुख्य मंत्री साहब से गुजारि ा करूंगा कि वे इसके बारे में विचार करके अगर तरमीम करें तो उनकी मेहरबानी होगी।

श्री बनारसी दास गुप्तः डिप्टी स्पीकर महोदय, यह जो इनकम टैक्स ऐग्जम्प ान का बिल हाउस के सामने है, इसके बारे में मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा कि यह इनकम टैक्स वाला मामला एक बडा खतरनाक मामला है। अगर कोई रिटर्न भरने में लेट हो जाए, तो उसको पैनल्टी लगाते हैं और इसके साथ अब एक ऐसी बीमारी आ गई है कि टैक्स रिट्न के साथ ही जमा कराना पडेगा। तो इस 5 हजार पर जो रिलीफ मिलना था वह भी उल्टा खतरे में हो गया है, क्योंकि उसके साथ हमारी दूसरी आमदनी मिलाकर वह स्लैब बहुत बडा बन जाता है। जैसा कि चौधरी रिजक राम जी ने मुझ से पहले फरमाया है जो मैंबर्ज डिटेन किए हुए हैं, उनको भत्ता देने के बारे में आपको ठंडे दिल से हमदर्दाना नजरिए से विचार करके तरमीम लानी चाहिए। मेरा

ख्याल है कि हमारे चीफ मिनिस्टर साहब, इस बात को करेंगे और जो मैंने अर्ज किया है, इस पर भी गौर करके प्रोफै ानल लेजिस्लेटर्ज को जो साथ दूसरा काम करते हैं रिलीफ देने के लिए विचार करेंगे।

Deputy Speaker: Question is-

That the Haryana Legislatvie Assembly (Allowances of Members) Amendment Bill, be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Deputy Speaker: Now the House will take up the Bill clause by clause.

Clauses 2

Deputy Speaker: Question is-

That cluases 2 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clauses 3

Deputy Speaker: Question is-

That cluases 3 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clauses 1

Deputy Speaker: Question is-

That cluase 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Deputy Speaker: Question is-

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Deputy Speaker: Question is-

That Titel be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Chief Minister (Sh. Banarsi Dass Gupta): Madam, I beg to move-

That the Haryana Legislatvie Assembly (Allowances of Members) Amendment Bill, be passed.

Deputy Speaker: Motion moved-

That the Haryana Legislatvie Assembly (Allowances of Members) Amendment Bill, be passed.

Deputy Speaker: Question is-

That the Haryana Legislatvie Assembly (Allowances of Members) Amendment Bill, be passed.

The motion was carried.

दि हरियाणा सीलिंग आन लैंड होल्डिंग्ज (सैकिंड अमैंडमैंट) बिल, 1976

चौधरी प्रताप सिंह दौलता: डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं आपके जरिए रेवैन्यू मिनिस्टर साहब से रिक्वैस्ट करना चाहता हूं कि जो लैण्ड सीलिंग वाला बिल है, उसको कल या परसों ले लें तो बडी मेहरबानी होगी क्योंकि यह बहुत डिटेल्ड और कम्प्लीकेटिड बिल है।

मुख्य मंत्री (श्री बनारसी दास गुप्त): डिप्टी स्पीकर साहिबा,ऐसा है कि यह जो बिल है, इस पर पूरी तरह पहले बहस हो चुकी थी, अब तो माइनर सी अमैंडमैंट है, इसमें और अभी टाइम भी है, इसलिए इसे टेकअप कर लें।

Revenue Minister (Pandit Chiranji Lal Sharma): Madam, I beg to introduce the Haryana Ceiling on Land Holdings (Second Amendment) Bill, 1976.

Voices: Yes.

चौधरी ि ाव राम वर्मा: उपाध्यक्ष महोदया, मैंने जो डिस्एप्रूवल का नोटिस दिया है, इसके बारे में मैं प्रस्ताव करता हूं :—

कि यह सदन हरियाणा भूमि जोत की अधिकत सीमा (द्वितीय सं ाोधन) अध्यादे ा, 1976 (1976 का हरियाणा अध्यादे ा संख्या 7) का निरनुमोदन करता है।

Deputy Speaker: Motion moved-

That the Haryana Ceiling on Land Holdings (Second Amendment) Ordinance, 1976 (Haryana Ordinance No. 7 of 1976).

चौधरी रिजक राम: डिप्टी स्पीकर साहिबा, इन्हौंने यह तजवीज नहीं किया, जो आपने पढ दिया। (हंसी)

उपाध्यक्षा: मैं तो यह समझती हूं कि इन्होंने अंग्रैजी का तजुमी हिन्दी में किया है। (हंसी एवं विघ्न)

Pandite Chiranji Lal Sharma: Madam, I beg to move-

That the Haryana Ceiling on Land Holdings (Second Amendment) Bill, be taken into consideration at once.

Deputy Speaker: Motion moved-

That the Haryana Ceiling on Land Holdings (Second Amendment) Bill, be taken into consideration at once.

चौधरी ि ाव राम वर्मा (नीलोखेड़ी): उपाध्यक्ष महोदया, इस बिल को अस्वीकृत करने का इस सदन में जो प्रस्ताव मैंने दिया है, अब मैं उसके बारे में कहना चाहूंगा। कई बातें इसके अंदर ऐसी हैं, जिन्होंने पहला जो ऐक्ट था उसमें भी कुछ

कमजोरी कर दी है और लोगों के लिए बडी मु कल पैदा कर ली है। सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि इस बिल के जो प्रोवाइजो हैं, उसके चौथे प्रावाइजों में लिखा है:—

"(iv) a tenant, settled on the surplus area by the land owner before Kharif 1968."

यानी उसको 1968 से पहले से यदि उस पर का त करता है तो मुजारा समझा जाएगा। मैं समझता हूं कि यह पाबन्दी लगाना ठीक नहीं होगा। (विघ्न) 1968 से पहले का त करता हो, उस जमीन को सरप्लस जमीन को, तो उसका मुजारा समझा जाएगा। जो आज से चार पांच साल पहले का त करना होगा उसको क्यों उखाडेंगे, उसके लिए कितनी मु कल पैदा होगी यह विचारने की बात है। इसलिए मैं चाहता हूं कि यह अध्यादे ा नामंजूर हो जाए या इसके अंदर सुधार कर लिया जाए। जो 1968 के बाद का तकर रहे होंगे, तीन चार साल से और उनको आज उखाडने की बात होगी तो वह कहां जाएंगे। यह सोचने की बात है। इसलिए यह भार्त हटाई जानी चाहिए।

इससे आबे क्लाज नम्बर 5 के द्वारा सैक ान 18 मे ंजो अमैंडमैंट की गई है उसमें (1) और (2) में मद्दत में कमी की गई है, रिवीजन की या पैंटी ान की। पहले उसमें थे तीस दिन, अब यह पन्द्रह दिन करने की बात आई है। मैं समझता हूं कि पन्द्रह दिन तो बेचारे के नकल लेने या किसी से सलाह लेने में चले जाते हैं। पहले जो मूल बिल है उसमें इस मियाद को चूंकि बडी

डिस्क ान के बाद एक महीना किया गया था इसलिए यह मियाद एक महीना ही रहनी चाहिए ताकि वे बेचारा कम से कम किसी से बात करके अपने लिए न्याय लेने की कोि ा ा तो करे।

इसके बाद डिप्टी स्पीकर साहिबा, इसी क्लाज में सब क्लाज बी है। इसके द्वारा सैक ान 18 में से नम्बर 3 धारा को भी हटा दिया गया हैं इसका क्या मतलब होगा यह मैं आपके सामने पढ दूं:—

"(3) The provision in regard to review under this Act shall be the same as provided in section 82 of the Punjab Tenancy Act, 1887 (Punjab Act 16 of 1887)."

यानी जो उस कानून के अनुसार अधिकार मिला हुआ था चाराजोरी करने के लिए यह क्लाज हटाकर वह भी समाप्त हो गया है।

इससे आगे, डिप्टी स्पीकर साहिबा, इस क्लाज के सब क्लाज सी में जो 60 दिन की मियाद थी उसको घटाकर 30 दिन करने की बात है। मैं समझता हूं कि 60 दिन जब बडे सोच समझ कर किए गए थे तो 30 दिन करने की बात में क्या जल्दी है। यह तो लोगों से जल्दी भूमि छु डाने की बात है। वे तो इधर उधर रोते फिरेंगे। यह बात ठीक नहीं होगी। पहले न्याय पूरा देकर जिसके पास फालतू जमीन निकलती हो वह लीजिए। जल्दी में जो काम किया जाएगा वह अच्छा नहीं होगा। इसलिए यह मियाद भी कम नहीं होनी चाहिए।

फिर आप इसी क्लाज की सब क्लाज डी देखें। इसमें भी सैक ान 18 का एक सब सैक ान जो असल एक्ट में है हटाने की बात है। यह भी मैं आपको पढ कर सुना देता हूं :–

"(5) Any person aggrieved by an order of the Commissioner made under sub section (2) may within sixty days from the date of the order, file a revision petition before the Financial Commissioner so as to challenge the legality or propriety of such order and the Financial Commissioner may pass such order as he may deem fit. The order of the Financial Commissioner shall be final."

यानी फाईनैंि ायल कमि नर के सामने जाने के अधिकार को भी रोक दिया है। ये बातें क्यों की जा रही हैं इसको पंडित जी जानते होंगे। मुझे तो ऐसा लगता है कि ये चाहते हैं कि लोगों को मौका ही न दो कि वे न्याय प्राप्त कर सकें। यह अच्छी भावना नहीं है। इसलिए भी मैं कहता हूं कि आज जो विधेयक हमारे सामने है इसको नामंजूर किया जाना चाहिए।

इससे आबे इसी क्लाज में नम्बर 7 के आगे कहा गया है :–

"(7) No appeal under sub section (1) or sub section (2) of revision under sub section (4) shall be entertained unless the appellant or the petitioner, as the case may be, has deposited with the appellate or revisional authority a sum equal to thirty times the land holdings tax payable in respect of the disputed surplus area."

यानी उसको तीस गुना लैण्ड टैक्स अदा करना पडेगा तब वे बात कर सकेंगे, अर्जी देने से पहले। अर्जी देने से पहले यदि उसको रूपया जमा करना पडेगा तो उसको कितना बोझा उठाना पडेगा, यह किसी से छिपी हुई बात नहीं है। मैं तो कुछ ऐसा समझता हूं कि सरकार तो यह समझती है भाायद जिसके पास जमीन है वह बडा साहूकार आदमी है जिसके पास जमीन है उसके पास रूपए की कोई कमी नहीं है। इसलिए उन पर ऐसी ऐसी भार्तें लगाई जाती हैं। सरकार को पता होना चाहिए और पता होगा भी कि जमींदारों की आमदनी बहुत कम है लेकिन पता नहीं सरकार जान बूझकर कर आंखें बंद कर लेती है या कोई और कारण है। मैं सरकार से यह अर्ज करूंगा कि एक कमेटी मुकर्रर की जाए और वह कमेटी एम0एल0एज0 की बनाई जाए। वह कमेटी सर्वे करे, किसानों के घरों में जाएं, उसका रहने का, खाने का और पहनने का सब ढंग देंखे। क्या कुछ उनके पास सरमाया है क्या उसकी हालत है ? जो यह समझते हैं कि जमीन वाले बहुत तरक्की कर गए हैं, यह गलत बात है। आज किसनों की हालत बहुत कमजोर है। आज किसान सबसे ज्यादा गरीब हैं हरियाणा में तो है ही, लेकिन दूसरे प्रान्तों में भी ऐसी ही हालत है। हरियाणा पंजाब के बारे में जो यह कहा जाता है कि बहुत ज्यादा तरक्की कर गए हैं क्योंकि यहां पर अनाज ज्यादा होता है, वह तो अपनी मेहनत से सब कुछ करते हैं। आज जब किसान उस अनाज को बेचता है तो उसको कोई हिसाब नहीं लगाता। अगर उसकी हालत अच्छी होती तो वह कार रख सकता है कोठी बना

सकता है। थोडी थोडी तनख्वाह लेने वाले भी हर प्रकार की सहूलियतें ले रहे हैं लेकिन एक किसान अपने छोटे कुनबे को भी नहीं पाल सकता है। एक बच्चे को पढाना पड जाए तो बडा जोर मार कर पढा सकेगा। ऐसी हालत में गरीब आदमी को मजबूर कर रहे हैं। जब सरकार से वह गरीब किसान न्याय मांगता है तो कहते हैं कि इतना रूपया जमा कराना पडेगा यह तो कहते हैं कि अर्जी भी नहीं दे सकेगा। यह उसके साथ अन्याय है। उसको इस बात का अधिकार मिलना चाहिए कि वह जो अर्जी दें, उसकी सुनवाई हो। उसके पास जो फालतू जमीन है, वह तो सरकार ले लेगी लेकिन यह जो पहले रूपया जमा कराने वाली बात है यह गलत है। सैक ान आठ भी इसी प्रकार है। इसमें भी किसान के साथ बडा भारी अन्याय किया जा रहा है। इस बिल में जो क्लाज 6 है वह प्रिंसिपल ऐक्ट के सैक ान 20 में सं ाोधन करती है। इसमें 20–ए जोडने की बात भी कही गई है। यह धारा लीगल प्रैक्टी ान की अपीयरैंस को बारा करती है। कोई भी समझ बूझ वाली सरकार ऐसी बातें नहीं कर सकती। इस सरकार में मंत्री महोदय काफी पढे लिखे और सियाने आदमी हैं। अगर ये ही सियाने आदमी जान बूझ कर इस क्लाज को जोडें तो किसानों के साथ अन्याय किया जा रहा है। सैक ान 20–ए में लिखा है :

"20A. Bar of appearances of legal practitioner. In any proceedings before an officer or authority except those before the Financial Commissioner under sub section (6) of

section 18, any party may be represented by an agent duly aughorised in writing but not by a legal practitioner."

यानी जो वकील होगा, वह उस किसान के मुकद्दमें में पे ा नहीं हो सकता। वकील तो यह भी नहीं कह सकता कि इस किसान के पास जमीन कम है और इसकी जमीन सीलिंग में नहीं आती है। यह किसान के साथ बडा भारी अन्याय है। जो बडे बडे डाकू हैं और तीन तीन कत्ल एक साथ कर देते हैं लोगों को लूटते हैं चोरियां करते हैं स्मगलिंग करते हैं, हर प्रकार से बदनाम हैं वे भी वकीलों का सहारा ले सकते हैं वे भी अदालत में न्याय मांग सकते हैं लेकिन किसान को इससे इंकार किया जा रहा है, यह उचित नहीं है। किसान को तो उन लोगों से भी ज्यादा जुल्म करने वाला सामझा गया है।

उपाध्यक्षाः चौधरी साहब, आपने काफी टाईम ले लिया है, इसलिए आप खत्म करें।

चौधरी ि ाव राम वर्माः डिप्टी स्पीकर साहिबा, यह तो हमारे जीवन मौत का सवाल है, इस पर तो बोलने का टाईम मिलना ही चाहिए – विघ्न– पंडित जी मन तो आपको भी यह कह रहा है कि यह गलत काम हकया जा रहा है। मैंने तो जो कुछ भी यहां कहा है वह किसान की भलाई के लिए कहा है। (हंसी)

पंडित चिरंजी लाल भार्माः डिप्टी स्पीकर साहिबा, उनके चेहरे पर जो मुस्कुराहट है, उससे तो यह जाहिर होता है कि वे अपनी बात को कहने में इतने सीरियस नहीं हैं– (हंसी)

चौधरी ि ावराम भार्मा: अगर पंडित जी, कुछ उल्टी सीधी बातें सुनना चाहते हैं तो उनकी मंजूरी दिलवा दें, मैं वे भी कह दूंगा।

पंडित चिरंजी लाल भार्मा: आपकी सनसनाती गोलियों भी केरे लिए फूल होंगी। (हंसी)

चौधरी ि ाव राम भार्मा: डिप्टी स्पीकर साहिबा, आज का किसान तो आम व्यक्ति से भी बावला है। वह किसी को कुछ भी नहीं कह सकता। उसको टिकट लेने के लिए भी जद्दोजहद करनी पडती है। यदि उसको थाने या कचहरी में जाना पडे तो और भी अधिक कठिनाई हो जाती है। किसान को सरप्लस लैण्ड के विशय में कोई ज्ञान ही नहीं है। अदालत में जाकर वे कैसे आर्गुमैंट कर सकता है। मेरे पास कई व्यक्ति आए, उन्होंने कहा कि मेरे पास 35 किल्ले जमीन है और उसका मुझे कुछ भी हिसाब हिताब नहीं आता है। जो कानून बनाया जा रहा है उसके अनुसार किसान बाहर तो वकील की सलाह ले सकेगा लेकिन अदालत में उसकी कोई भी सहायता नहीं ले सकता। आज का किसान वाक्या ही में गूंगा है। उसकी जबान बंद है। बहुत से ऐसे किसान भी हैं जो जुबान होते भी गूंगे हैं। अगर न्याय करना है तो उनको वकील करने की आज्ञा जरूर होनी चाहिए।

मैं इस बिल के विशय में एक बात और कहूंगा कि इन्होंने फाइनैंि ायल कमि नर के पास जाने की क्लाज भी हटा

दी है। (विघ्न) फाइनैंि ायल कमि नर के पास कैसे जाएगा जब आपने वह क्लाज ही हटा दी है। इन सब बातों के लिखने की क्या जरूरत रह गई थी, जबकि फाईनैंि ायल कमि नर, यदि वह उचित समझें तो किसी केस को सुओ मोटो मंगा सकता है। इसलिए सारी बातें सोचनी चाहिएं। यह सरकार यूं क्यों नहीं सोचती कि जब कोई चीज लेनी है उस किसान को पूरा अधिकार मिलना चाहिए, ताकि अदालत में वह अपनी पूरी बात कह सके। अगर उसको अपनी बात कहने का अधिकार नहीं मिलेगा तो कौन यह कह सकेगा कि यह कह सरकार न्याय करती है। तो इसके अंदर जितनी भी बातें मैंने कही हैं वे किसान की भलाई की हैं। (विघ्न) क्लाज 6 प्रिंसिपल ऐक्ट की धारा 20 को अमैंड करती है इसकी तरफ मैंने मंत्री महोदय का ध्यान दिलाया है। (घंटी) इसके बारे में एक अन्तिम बात कहकर मैं बैठ जाता हूं। रूल में एक ऐसी बात आई है, इस ऐक्ट में तो नहीं है। उसके अंदर कुछ कैटेगरीज गिनाई गई हैं कि उसका बेटा, उसका रि तेदार मुजारा नहीं समझा जाएगा। मेरी समझ में यह नहीं आया कि बेटे को क्यों मुजारा नहीं माना जाएगा।

17.00 बजे।

एक बाप के नाम जमीन है और उसका बेठा बोता है तो क्यों उसको मुजारा नहीं समझा जाता। आप उसको मुजारा न मानकर उससे जमीन ले लेते हैं और उसको किसी दूसरे को दे देते हैं तो दूसरे को जमीन मिल गई। दूसरे के पास जमीन हो

गई और पहले वाला बगैर जमीन के रह गया। इसका क्या फायदा हुआ कि एक को तो उखाड दिया और दूसरे को दे दी। पता नहीं कि वह नया आदमी खेती कर भी पाएगा या नहीं। जो बाप दादा के जमाने से खेती कर रहा है उसी को जमीन का पता है नए आदमी के बारे में कुछ पता नहीं है। अगर आपने उथल पुथल ही करनी है तो दूसरी बात है लेकिन लोगौं को पता है कि इसका कोई फायदा नहीं है। इसलिए मैंने जो सुझाव दिए हैं यदि सरकार उनको मान ले तो अच्छा रहेगा नहीं तो मैं अपनें माननीय साथियों से निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो सं ाोधन विधेयक आया है वे इसको मंजूर न करें जिससे किसान के सामने अधिक कठिनाइयां न आएं।

चौधरी दल सिंह (जींद): डिप्टी स्पीकर साहिबा, जो मो ान चौधरी ि ाव राम वर्मा ने दिया था वही मो ान मैंने दिया था। सरकार ने जो हरियाणा सीलिंग आन लैण्ड होल्डिंग्ज बिल 1972 में सं ाोधन करने के लिए आज यह बिल पे ा किया है उसके बारे में वर्मा जी ने कुछ बातें डिटेल में कहीं हैं। मैं भी कुछ इस संबंध में कहना चाहता हूं। इस बिल के अंदर सैक ान 12, 15, 18 तथा 21 जो कि प्रिसिंपल ऐक्ट के सैक ान हैं और जिनको तरमीम किया जा रहा है, वे किसान के लिए बडा घातक है।

सैक ान 18 के सब सैक ान 1 और 2 में अपील का पीरयड घटाया जा रहा है। अब 30 दिन की बजाये 15 दिन किया

जा रहा है और 60 दिन की बजाये 30 दिन किया जा रहा है और इस पीरियड को घटाने के बारे में यह दलील दी जा रही है कि हम जल्दी ऐक्सपीडाइट करना चाहते हैं। डिप्टी स्पीकर साहिबा, 1972 के अंदर यह कानून पास हुआ, आज चार9 साल हो गए हैं, यह सरकार इस कानून को लागू नहीं कर सकी है। जब यह बिल पास हुआ था, उस समय यही सरकार, यही मैंबर थे, जिन्हौंने तीस दिन और साठ दिन वाली बात पास की थी। इस ऐक्ट को पास करने वाली यही सरकार थी और आज उसी मियाद को वही सरकार, वही मैंबर घटाने जा रहे हैं। आज तक यह सरकार इसको ऐक्सपीडाइट नहीं कर सकी। चार साल का समय गुजर गया और इसका कारण यह है कि बार बार इस हाउस के अंदर ये गलत बात रखते हैं। उसके खिलाफ अपील होती हैं और इस तरह से देरी लगती है। डिप्टी स्पीकर साहिबा, यह जो मियाद की बात है यह गलत है। मैं यह रिक्वैस्ट करना चाहता हूं कि किसानों की हालत को ध्यान में रखते हुए इस सरकार को हमदर्दी दिखानी चाहिए न कि लाठी के जरिए इस मियाद को कम करना चाहिए। यह किसान के लिए बडी घातक बात है।

डिप्टी स्पीकर साहिबा, इसके अंदर 7 और 8 नई क्लाजें जोडभ जा रही हैं। क्लाज 7 में कहा गया है कि जितना टैक्स लगा है उसका तीस गुण जमा करे उसके बाद ही अपील हो सकती है सरप्लस एरिया के बारे में। मैं कहना हूं कि जमीन किसान की है, वह उसका मालिक है लेकिन वही पैसा जमा कराए

अपील करने के लिए। सरकार के पास सारी ताकत है, वह बाद में जमीन ले सकती है। अपील का फैसला होने के बाद कानून के जरिए सरकार ले सकती है। आज तो हालत यह है कि अगर सरकार के खजाने में पचास रूपए जमा करा दिए जाएं तो उन पचास रूपयों को निकलवाने के लिए पचास रूपए और चाहिएं। मैं तो कहता हूं कि पैसा आप जमा करवा सकते हैं लेकिन निकलवा नहीं सकते। सैक ान 8 में यह कहते हैं कि अपील करने से पहले लैण्ड होलिंडग्ज टैक्स का 30 गुणा लाइसैंस फी के तौर पर जमा कराए। इस सैक ान 8 में लिखा हुआ है :–

"Notwithstanding anything contained in Section 21, a person who files and appeal or a revision against the order declaring his land as surplus area and the appeal or revision filed by him fails, shall be liable to pay, for the period is or has at any time been in possession of the land declared surplus to which he si or was not entitled under the law, a licence fee equal to thirty times the land holdings tax, recoverable in respect of this area."

यह लाइसेंस फी वाल कितनी अजीब बात है कि सरप्लस करने के बाद अगर वह अपील करे तो तीस गुणा लाइसैंस फी दाखिल करनी पडेंगी। लोग रोजाना कोर्ट में जाते हैं अगर कोई अपील में हार जाता है तो वह अपने घर बैठ जाता है। जायज बात होनी चाहिए। हर चीज कानून के अंडर होनी चाहिए। कोई नाजायज बात सरकार की तरफ से नहीं होनी चाहिए। लाइसैंस फी जमा कराने की पाबन्दी नहीं होनी चाहिए। हमने

पहले भी देखा है कि लैण्ड टैक्स के ऊपर हमारे पण्डित जी ने फरमाया कि हम तीन करोड रूपया लेंगे। मैं दावे के साथ कहता हूं कि जिन गांवों के अंदर छह साल से पानी नहीं मिला उन जमीनों को नहरी का त दिखाया और टैक्स वसूल किया। यह ऐसी बातें करते हैं जो किसान के लिए घातक हो सकती हैं। मेरी यह दरखास्त है कि ऐसी बात नहीं करनी चाहिए जो किसान के लिए घातक हो। Section 9 of the Principle Act relates to selection of permissible are and persons required to furnish declaration. यानी कि वह जमीन के बारे में डिक्लेयरे ान दे और सरप्लस जमीन के बोर में इतने रोज के अंदर फार्म भरे और अगर फार्म नहीं भरेगा तो सजा होगी। डिप्टी स्पीकर साहिबा, किसान के पास रिकार्ड नहीं है। सरकार के पास जमाबन्दी का रिकार्ड है, गिरदावरी का रिकार्ड है। बिना रिकार्ड के एक गरीब किसान कैसे फाइन्उ आउट करेगा कि उसके पास इतनी जमीन सरप्लस है। साथ में यह कर दिया है कि वह अपील नहीं कर सकता। सरकार के पास रिकार्ड है वह पता कराए कि कितनी जमीन सरप्लस है। डिप्टी स्पीकर साहिबा, इसमें कहा गया है कि लीगल प्रैक्टी ानर किसान की मदद नहीं कर सकता। मेरी यह दरखास्त है कि प्रिंसीपल ऐक्ट की क्लाज 9 को डिलीट किया जाए और उसकी जगह सरकार खुद नक ाा तैयार कराए कि फलाचं की इतनी सरप्लस जमीन है और फिर आब्जैक ान ले और उसका फैसला करे। (घंटी)

चौधरी रिजक रामः डिप्टी स्पीकर साहिबा, किसी बिल पर जब क्लाज वाइज डिस्क ान हो रही हो तो उसमें कैसे टाईम की पाबन्दी हो सकती है कि कोई बात नहीं होनी चाहिए।

उपाध्यक्षाः अभी तीन चार बिल और हैं There is no qeustion of Pabandi. चौधरी साहब, आप वकालत क्यों कर रहे हैं ?

चौधरी रिजक रामः यह हमारा राईट है। बिल पर जब जनरल डिस्क ान हो तो टाईम की कोई पाबन्दी नहीं हो सकती।

उपाध्यक्षाः मैं पाबन्दी नहीं लगा रही हूं।

Ch. Rizaq Ram: Most respectfully I beg to submit that when an Hon'ble Member is participating in general discussion on the Bill, no time limit can be imposed.

उपाध्यक्षाः आर्डर प्लीज।

चौधरी रिजक रामः डिप्टी स्पीकर साहिबा, अगर कोई ऐसी बात है कि काम का बहुत जोर है फिर तो हम कोऑप्रेट करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं लेकिन जब ऐसी कोई बात नहीं तो फिर मैंबर को बिलों पर बोलने के लिए पूरा मौका मिलना चाहिए।

उपाध्यक्षाः चौधरी साहब, यह तो आप कह रहे हैं, पर जो और बोलने वाले हैं वे भी कहं तो हम टाईम बढा सकते हैं और रात 9 बजे तक भी बैठ सकते हैं। (ाोर)

(इस समय दो तीन आनरेबल मैंबर बोलने के लिए खडे हुए। (विघ्न)

Deputy Speaker: Order please. No interruptions please.

श्री अमर सिंहः डिप्टी स्पीकर साहिबा, मेरा प्वायंट आफ आड्डर है कि आनरेबल, मैंबर चौधरी रिजक राम जी न तो प्वायंट आफ आर्डर पर खडे होते हैं और न ही कोई ऐसी व्यवस्था सीक करते हैं, यूं ही खडे होकर बची में लुढ़क पडते हैं। (ाोर)

Deputy Speaker: I already suggested him that he should speak on a point of order and not like this. (Interruptiosn)

चौधरी रिजक रामः डिप्टी स्पीकर साहिबा, आपका हुक्म माना जाएगा लेकिन ये तो नए नए मुसलमान बने हैं। (हंसी एवं विघ्न)

Deputy Speaker: Ch. Dal Singh Jee, please continue your speech.

श्री ओम प्रका ा गर्गः डिप्टी स्पीकर साहिबा, मेरा प्वायंट आफ आड्डर है कि चौधरी रिजक राम जी तो मुसलमान बनकर हिन्दू बने और फिर हिन्दू बनकर मुसलमान बन गए। (हंसी एवं भाोर)

चौधरी रिजक रामः बहन जी, यह तो काली ऐनक लगाते हैं न ही इनको किसी बात की समझ आती है और न ही इनको पता ही लगता है। (हंसी एवं विघ्न)

Deputy Speaker: Ch. Dal Singh Jee, please continue your speech. No interruptions please.

चौधरी दल सिंहः डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं कह रहा था कि रिलीजस और एनडोमैंट ऐक्ट में सरकार से एक गलती हुई है। पहले तो सरकार ने यह फैसला किया था कि हम सरप्लस जमीन को लेंगे और अब सरकार जो धार्मिक संस्थाएं हैं, वहां पर जो 100–100 सालों से मुजारे बैठे हुए थे, आबाद थे, उनके अपने गांव आबाद थे, उनको बेदखल करने जा रही है और आप अंदाजा लगाएं कि एक दो गांव अछान और तेग बहादुरपुर वगैरह हैं, लोगों ने वहां पर अपने मकान बना लिए हैं, तालाब बना लिए हैं, कुएं बनवा लिए हैं और आज प्रिंसिपल ऐक्ट की धारा 9 के अन्तर्गत एक प्रोविजन लगा रहे हैं कि धार्मिक संस्थाओं की जमीनों पर जो व्यक्ति हैं, उनको उनकी जमीनों से बेदखल किया जा सकता है। अगर उन लोगों के साथ ऐसा किया गया तो यह बड़ी घातक बात होगी। इन अल्फाज के साथ मैं अपनी तकरीर खत्म करता हूं और प्रार्थना करता हूं कि यह जो अमैंडिंग बिल यहां पर लाया गया है, यह किसानों के हकूकों की रक्षा के लिए नहीं है। तो मेरी गुजारि ा है कि जो यह तरमीमी बिल पे ा किया गया है उसमें जो खराबियां बताई गई हैं, उनकी ओर

सरकार ध्यावन दे और जो नई बातें बताई गई हैं उनकी तरफ भी सरकार ध्यान दे और क्लाज 9 को डिलीट कर दिया जाए, ताकि लोगों को उनकी जमीनों से बेदखल न किया जा सके।

चौधरी रिजक राम (राई): डिप्टी स्पीकर साहिबा, आज यह जो बिल इस हाउस के सामने पे ा किया गया है इसमें कई सैक ांज ऐसी हैं जो पुराने ऐक्ट की हैं। पहले तो इनमें आर्डीनैंस के जरिए तरमीम की गई थी और अब इस बिल के जरिए तरमीम की जा रही है। डिप्टी स्पीकर साहिबा, जिन क्लासिज के बारे में वर्मा साहब और चौधरी दल सिंह जी ने बहस की है उनको न छेडते हुए मैं बहुत थोडे समय में ही कुछ अल्फाज अर्ज करूंगा। हम अपने सुझाव तो देंगे ही लेकिन हमें यह पता है कि मिनिस्टर साहब ने हमारी किसी बात को मानना तो है नहीं। ब्राह्मण की जुबान झूठी तो हो नहीं सकती लेकिन समझाना तो हमारा फर्ज है। मुझे यह आ ाा भी है कि वे आखिर में मान जाएंगे। अगर वे पहले ही हमारी बात को समझ, जाते तो भाायद इस आर्डीनैंस को लाने की जरूरत ही न पडती। उस वक्त भी यह जिद्द कर रहे थे और अब भी जिद्द कर रहे हैं। डिप्टी स्पीकर साहिबा, पहले इन्होंने सब क्लाज 1 की, सैक ान 12 में, तरमीम की है। उसमें यह लिखा गया है कि जो रकबा पहले सरप्लस डिक्लेयर किया जा चुका है वह उस तारीख से सरप्लस समझा जाएगा जिस दिन से कलैक्टर ने उसको सरप्लस डिक्लेयर किया हो और उसी दिन से उस भूमि के सारे हकूम स्टेट गवर्नमैंट में वेस्ट करेंगें। लेकिन मैं एक बात

अर्ज करना चाहता हूं कि 59–60 से जो जमीन सरप्लस डिक्लेयर की गई है, उसमें से कुछ जमीन तो मालिकों ने बेच दी और कुछ पर वे खुद का त कर रहे हैं और कुछ पर मुजारों से का त करवाते रहे और फिर 59 से वह सारे हकूक मालकान को देना चाहते हैं, क्या यह मुमकिन है ? जो उसने मुनाफा उठाया, जो उसने जमीन बेच दी चाहे जो कुछ भी कर दिया या सरकार ने जमीन एक्वायर कर ली वह सारी आप ले रहे हैं तो यह किस तरह से प्रैक्टिकेबल है। दूसरी तरफ सैक ान 13 है जिसमें डिक्लेयर्ड रकबा सरप्लस किया जाएगा और वह सरकार में उस दिन वैस्ट करेगा, जिस दिन कब्जा लेने का नोटिस देंगे लेकिन डिप्टी स्पीकर साहिबा, इसके साथ साथ आप सैक ान 8 को देंखे। मैं यह कहता हूं कि जब विधेयक बनता है तो उसे अफसर, एल0आर0 और कानूनी म ानिरी सभी देखते हैं। हमारे वजीर साहब भी खुद वकील हैं लेकिन फिर भी इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जाता। सैक ान 8 में इन्होंने यह कर दिया कि पुराने ऐक्ट के तहत परमिसिबल एरिया से ज्यादा जमीन जो सन 58 तक बेचल दी गई वह सारी ट्रांसफर जो बोनाफाइडी होगी वह भी वैलिड है। इसके साथ सैक ान 4 भी है और सैक ान 8 भी है। मैं अर्ज करना चाहता हूं कि आप 24 जनवरी, 1971 के बाद की भी ट्रांसफर को वैलिड कर रहे हैं और 30 जुलाई सन 58 तक की जो ट्रांसफरज हैं उनको भी वैलिड करार दे रहे हैं और सारे राइटस को सरकार लेने जा रही है। सैक ान 12 में कर रहे हैं from the date when declaration was made. यही नहीं, बल्कि सैक ान 8 की क्लाज 1

में आपने प्रोवाइड किया है कि इस दौरान में और आगे तक भी अगर सरकार एक्वायर कर ले या ट्रांसफर हो जाए, तो वह जायज मानी जाएगी। मैं कहता हूं कि अगर डिक्लेयर करने के बाद इनहैरिटैंस से जमीन चली गई उसके बच्चों में और एक्वायर कर रहे हैं जिस दिन डिक्लेयर करेगा तो इन दोनों सैक ान्ज को आप कैसे कम्पैटिबल करेंगे ? टू बी मोर क्लियर एक तरफ तो आप कर रहे हैं कि इनहैरिटैंस के जरिए किसी वक्त भी अगर किसी बाप की जायादाद बच्चों में चली गई तो वह इनहैरिटैंस से सेव हो जाएगी। सैक ान 12 में आप कर रहे हैं कि जिस दिन कलैक्टर ने डिक्लेयर कर दिया कि यह सरप्लस रकबा है उस दिन से सरकार के पास सारे राइटस चले जाएंगे। तो सैक ान 12 और 8 को आप इन कनसिसटैंट बना रहे हैं, एक दूसरे से ये सैक ान्ज कम्पैटिबल नहीं हैं। आप कहते हैं कि वकील पे ा नहीं हो सकेगा, मत पे ा होने दो इसमें सभी की दिलचस्पी है कि यह मसला जल्द से जल्द निपटाया जाए। पिछले सै ान में भी मैंने कहा था और आज भी इस सदन में अर्ज करना चाहता हूं कि यह जो सरप्लस लैण्ड की बीमारी है या डिस्ट्रिब्यू ान आफ लैण्ड की है यह आज से नहीं बल्कि सन 1947 से चली आ रही है। इस बीमारी की वजह से देहातों में खींचातानी, टैन ान की हालत पैदा हुई है, क्लास वार आपने भाुरू कर रखी हे इसलिए इसको जल्द खत्म किया जाए। इधर जो दूसरे लोग हैं वे कहते हैं कि हमें जमीन मिलेगी लेकिन आज तक यह सरकार उन्हें जमीन दे नहीं सकी बल्कि इसकी वजह से टग आफ वार हो रही है। मैंने सरकार से यही प्राथ्रना

की थी कि इस सवाल को जल्द से जल्दी निपटा दिया जाए, चाहे आप इसके लिए सख्ती करें या सख्त से सख्त कानून बनाएं हमें कोई आपत्ति नहीं आप एक बार ही इस प्रॉब्लम को हल कर दें ताकि देहातों में लडाई न हो और किसान मजदूर और मेहनतक ा लोगों के आपस में जो लडाई झगडे हो रहे हैं वे खत्म हो जाएं। पोलिटीकल मोटिव से जो आप इस मसले को 20–25 साल से जिंदा रखे हुए हैं, इसको जल्द से जल्द खत्म करें। डिप्टी स्पीकर साहिबा, आपने भी और हमारे दूसरे माननीय सदस्यों ने भी दुनियां की तारीख पढी होगी। जापान में, ताइवान में, फिलीपाईन में, ईस्ट एि ाया तथा पाकिस्ताान में जो तकरीबन सभी अंडर डिवैल्पड दे ा हैं, लैण्ड रिफार्मज हुआ है और इसके बाद वहां अच्छे हालात भी पैदा हुए हैं और तरक्की भी हुई है। मैंने जापान के लैण्ड रिफार्मज का इतिहास पढा है। डिप्टी स्पीकर साहिबा, आप हैरान होंगी कि वहां 29 जनवरी 1948 को कानून पास हुआ कि हमें लैंड रिफार्मज करना है और सन 1948 में 72 से यह करते आ रहे हैं लेकिन आज तक आप इस मसले को सुलझा नहीं सके। ताइवान में 1953 में कानून पास हुआ और 1955 में सारी जमीन तकसीम कर दी गई क्योंकि उन्होंने कहा कि अगर इस मामले को ज्यादा लम्बा खींचेगे तो लडाई झगडे हों गे और आपी डिवीजन पैदा होगी और उस डिवीजन की वजह से नुक्सान होगा। मेरे काबिल दोस्त चौधरी दल सिंह और वर्मा जी ने कई बातें कहीं जिनमें बडा भारी वजन था लेकिन उसके साथ साथ मैं यह कहने के लिए तैयार हूं कि इस बात का जल्द से जल्द निपटारा करने के लिए अगर

कानून में और भी सख्ती करनी पडे तो वह बुरी बात नहीं होगी। तो मैं सैक ान 12 के बारे में अर्ज कर रहा था कि आपने आर्डिनैंस जारी किया और उसके बाद आप यह बिल लाए हैं जिसमें यह है कि सन 1958 से किसी आदमी का जो एरिया सरप्लस डिक्लेयर हुआ है उसके सारे हकूक उस दिन से चले जाएंगे जिस दिन से कलैक्टर का फैसला होगा और साथ ही आप प्रोवाइड कर रहे हैं कि अगर वह आदमी मर जाए तो उसकी जमीन उसके बच्चों की विसातत में चली जाएगी जिससे उसको फायदा पहुंचेगा। इसको ि ाडयूल 9 में लाकर आपने कोर्टस के परव्यू से तो बाहर निकाल लिया है लेकिन ऐक्ट की इंटरसैंक ान्ज में जो कनफलिक्ट है उसको आप फालो नहीं कर पाए। दौलता साहब यहां बैठे हैं, बडे खु ा हैं, उनकी और हमारी चांदी हो गई है क्योंकि हाई कोर्ट में जाने के लिए वकीलों पर कोई पाबन्दी नहीं है। ऐक्ट में जितनी इंटरसैन्क ांज कनफलिक्ट होंगी उतना ही उनको फायदा है। डिप्टी स्पीकर साहिबा, इन्होनें यह तरमीम की, जिसकी वजह से बजाये जल्दी के इसमें देरी लगी। दूसरी और बात है कि जिन लोगों का रकबा पहले सन 1959–60 में डिक्लेयर कर दिया उन के हकूक के लिए और उनको दे दिए। फिर सन 1958 तक जो ट्रांसफर्ज हुई हैं वे वैलिड होंगीं। इस ऐक्ट के तहत जमीन जो नई सरप्लस डिक्लेयर होगी, उनकी ट्रांसफज्र जो हैं, वे 24 जनवरी 1971 के बाद भी करेंगे अगर वे बोनाफाइडी हैं। यह तो जायज हैं, चाहे सारी जमीन कर दो वह जायज है, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि आप यह

डिस्क्रिमिने ान किस तरह से कर सकते हैं कि एक आदमी का पुराना रकबा जो पहले सरप्लस डिक्लेयर हो चुका है उसके लिए तो आपने 30 जुलाई तक किया है और जो आगे होगा उसके लिए छूट दे दी तो यह डिस्क्रिमिने ान की बात है यह नहीं हो सकती। यह ऐक्ट कांस्टीच्यू ान के खिलाफ हे।

डिप्टी स्पीकर साहिबा, दूसरी जो तरमीम की है वह सैक ान 15 में है जो कि इन्होंने रिसैटलमैंट की स्कीम बनाई है। रिसैटलमैंट की स्कीम में, ऐक्ट में भी तरमीम की है और रिसैटलमैंट की स्कीम भी बना कर दी है। रिसैटलमैंट की स्कीम के बारे में नौ कैटेगरीज रखी हैं जिनको जमीन देना चाहते हैं। रिसैटलमैंट स्कीम के सैक ान 4 और एक्ट के सैक ान 15 की सब क्लाज 1, 2 वगैरह हैं। पहले इन्होंने सैक ान 4 में कहा है कि –

"A tenant holding land declared as the tenant's permissible are under the Punjab law or the Pepsu Law, as the case may be;"

एक तो उसको जमीन मिलेगी जिसको ओल्ड ऐक्ट के तहत परमिसिबल है। दूसरे उनको रखा है जो टैनैंट हैं जिनको जमीन औल्ड एक्ट के तहत सरप्लस अलाट होती है, तीसरे उनको रखा है, जो टैनैंट लाएबल टू इजैक्टमैंट हैं। सैक ान 9 के मुताबिक उसको जमीन देने की तजवीज है। चौथा इसमें प्रोवीजन है that a tenant who has been on the permissible are of the

land owner or a tenant. जो स्माल लैण्ड औनर का मुजारा हो उसको जमीन देंगे। पांचवा इन्होंने कहा है a tenant settled on the surplus area by the land owner before Kharif, 1968.

खरीफ 1968 से पहले जिसको लैण्ड औनर ने खुद अपनी जमीन पर बैठाया हो, ब ार्ते कि वह उसका रि तेदार न हो, जो जो कैटेगरीज उन्होंने उनकी दी हैं, तो उसको यह कहते हैं कि उसको दो एकड जमीन देंगे। फिर ज्यादा इम्पार्टेंट बात जो है कि जिसकी तरफ मैं डिप्टी स्पीकर साहिबा, आपके द्वारा मंत्री महोदय की तवज्जोह दिलाना चाहता हूं वह इसकी सब क्लाज एफ है। उसमें कहा गया है एन एग्रीकल्चरल वर्कर। ऐग्रीकल्चरल वर्कर को डिप्टी स्पीकर साहिबा, डिफाईन किया गया है और उसमें कोई एतराज की बात नहीं है कि एग्रीकल्चर वकर को जमीन न दी जाए जिसका मेनली गुजारा जमीन पर हो। जिसको गुजारा जमीन की आमदन पर हो वह ऐग्रीकल्चरल वर्कर है। इसके बाद कैटेगरीज जी0एच0 और आई हैं, जो इस तरह हैं :—

"Category F- An agricultrual worker;

Category G- a landless person;

Category H- an ex serviceman

Category I- a person owning land measuring less than two hectares of 'C' category or land of its equivalent value.

तो मैं अर्ज करना चाहता हूं कि इसमें जी0एच0आई0 क्लाजिस में लैण्ड लैस परसंज और आइ0क्लाज में भी 'ए' पर्सन दिया है और पर्सन को सैक ान 3 की सब क्लाज एम0 में डिफाइन किया है। पर्सन में कम्पनी भी हो सकती है, ऐसोसिए ान कोर्पोरेट हो, इनकार्पोरेट हो, कोई भी हो, वह सब पर्सन में भाामिल हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि रिडिस्ट्रिब्यू ान आफ लैण्ड में आप किसको जमीन देना चाहते हैं। यह सरकार अगर एग्रीकल्चरल वर्कर को दे, तो ठीक है, लेकिन यहां लैण्डलैस पर्सन भी कर दिया। लैण्डलैस पर्सन वाली अजीब बात है लैण्डलैस पर्सन तो डिप्टी स्पीकर साहिबा, कितने ही दुकानदार हैं कितने ही दूसरे लोग हैं जिनका खेती से कोई ताल्लुक ही नहीं है। आप उनको भी जमीन देना चाहते हैं। जब ऐग्रीकल्चरल वर्कर कर दिया था तो ज्यादा से ज्यादा अगर ऐग्रीकल्चरल लैण्डलैस वर्कर कर देते तब भी ठीक होता लेकिन आपने लैण्डलैस पर्सन कर दिया। लैंडलैस पर्सन में तो एक कम्पनी भी भाामिल हो सकती है जिसने आध बीघा जमीन लेकर फैक्ट्री लगा रखी है और वह भी ऐनटाइटल हो जाएगा कि मुझे भी जमीन दो। पर्सन में तो एक कार्पोरेट बाडी, एसोसिए ान और कम्पनी भी आ जाती है और आप इस ऐक्ट की डैफिने ान के मुताबिक उन को भी जमीन देने के लिए ऐलिजिबल कर रहे हैं।

ऐक्स सर्विसमैंन आपने कर रखा है, ठीक है। ऐक्स सर्विसमैन के लिए सबको हमदर्दी है, लेकिन कौन ऐक्स सर्विसमैंन

है जिसका जमीन पर गुजारा है। उस ऐक्स सर्विसमैंन को आप जमीन दो जिसका जमीन से कुछ वास्ता हो। उसी को दे दो जिसका आज जमीन पर गुजारा हो। मेरा मतलब है कि आपकी रि सैटलमैंट की पालिसी उन लोगों तक कनफाइन होनी चाहिए जिनका जमीन से वास्ता हो, गुजारा हो या जो जमीन पर खेती करे। इस तरह से अगर हरेक सर्विसमैन को, जो गेर विस्वेदार हो, आप जमीन दें तो आप एबसैंटी लैण्ड लार्ड क्रिएट करना चाहते हैं। फिर डिप्टी स्पीकर साहिबा, आगे यह किया है :–

"a person owning land measuring less than two hectares"

कोई भी आदमी चाहे कम्पनी हो, सोसायटी हो, एसोसिए ान हो और बडे से बडा आदमी हो अगर उनके पास 2 हैक्टेयर से कम जमीन है तो वह भी एन्टाइटल है। इसमें यह क्लैरिफाई नहीं किया कि उनको गुजारा जमीन से होना चाहिए। यह नहीं किया कि वह खेती करने वाला हो और उसके पास जमीन न हो। तो मैं अर्ज करना चाहता हूं कि यह जो स्कीम बनाई गई है यह सैक ान 15 के तहत बहुत फाल्टी है। डिप्टी स्पीकर साहिबा, किसी ने भी मांईड एप्लाई नहीं किया और किसी ने नहीं देखा कि ऐक्ट का क्या उद्दे य हैं फिर आगे डिप्टी स्पीकर साहिबा, कहा है :–

"Eligible person, entitled to the allotement of surplus area in the village, falling in any of the Categories from F to I, means a person who has been residing in the

village, wherein the surplus area applied for by him situtate, since the 24th day of January, 1971; and whose annual house hold income does not exceed two thousand and four hundred rupees."

तो दो भार्तें उन्होंने एफ टू आई में लगायी। एफ टू आई में इन्होंने ऐग्रीकल्चरल वकर, लैण्डलैस पर्सन, ऐकस सर्विसमैन और ए पर्सन जिसकी दो हैक्टेयर से कम जमीन हो, के बारे में कहा है कि इन कैटेगरीज में से उस आदमी को जमीन मिलेगी जिसक आदमी की हाउस होल्ड की सालाना आमदनी 2400 रूपए से कम होगी। तो उन में कौन होंगे हरिजन जो कहते हैं 40 परसैंट हैं बैकवर्ड जो 10 परसैंट हैं। बाकी दूसरों को तीसरों को भी मिलेगी। इस तरह से अब इतना भाोर पड रहा है सारे दे ा में और हरियाणा में, दे ा की हम क्या कहें, हरियाणा की ही कह लेते हैं कि हरिजनों को जमीन मिलेगी। देहात में ढिंढोरा पिटवा दिया, मनादी करवा दी कि दरखास्तें दे दो, जमीन मिलेगबी। सब हरिजनों को यह ख्याल हो रहा है कि जमीन मिलेगी। डिप्टी स्पीकर साहिबा, पिछले 71 के इलैक ान में इससे भी ज्यादा भाोर डाला गया था। (व्यवधान) फैक्टस पर ही आ रहा हूं। फैक्टस ही बता रहा हूं। फैक्टस पर यह बात बता रहा हूं कि लोगों में यह जो ा पैदा हो गया कि जमीन मिलेगी।

हमारे यहां एक तहसीलदार था जो बडा सयाना था और अब रिटायर हो गया है। वह इलैक ान खत्म होते ही जीप लेकर हरिजनों के मुहल्लों में गांव गांव गया और जो भी भागीदार

थे सबको जीप मैं बैठाया और सोनीपत ले आया। कहने लगा कि चौधरी बंसी लाल जी और पोसवाल साहब भी बहुत राजी हुए हैं इनाम देंगे। इनाम क्या मिलना था ? जो भागीदार थे सारे जेल में डाल दिए। घर वाले भी तला ा करते फिरे कि तहसीलदार ले गया है, कहां चले गए। तला ा करते करते हवालात में पाए गए। उन्होंने उनसे पूछा कि हवालात में कैसे बैठे हो। कहने लगे कि किल्लै कटने लग रहे हैं, पैमाय ा होने लग रही है। (व्यवधान) वे अभी कटने लग रहे हैं। (व्यवधान–हंसी) तो मैं अर्ज करना चाहता हूं कि उन हरिजनों को जमीन देंगे जिनकी हाउस होल्ड की 2400 रूपए से कम साल भर की आमदन होगी ..... क्यों बहकाते हो .....

उपाध्यक्षः आप चौधरी साहब, कितना टाईम और लैंगे ? 3 मिनट में खत्म करें।

चौधरी रिजक रामः मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि 2400 रूपए से कम की आमदनी सालाना जिसकी होगी उस हरिजन को आप जमीन देना चाहते हैं। एक साल से आपका यह बीस सूत्रीय प्रोग्राम चल रहा है लेकिन क्या आपने अब तक कोई छांटा है और कोई छांटा हो तो बता दो। एक भी नहीं। चाहे कोई चपरासी है। चाहे कोई मजदूरी करता है। इस कैटेगरी में आपको एक भी हरिजन नहीं मिलेगा। तो यह आप उनको बहकाने के लिए क्यों कर रहे हैं ? इसलिए मैं अर्ज करूंगा कि यह जो स्कीम आपने सैक ान 15 में तरमीम करके यूटिलाइजे ान के लिए बनाई वह बिल्कुल नजारा है। इससे किसी हरिजन को, बैकवर्ड को

या ऐक्स सर्विसमैन को जमीन नहीं मिल सकेगी। आपको प्रैक्टीकल बात करनी चाहिए। यह जो अब नया ऐक्ट है इसके जरिए ये जमीन निकाल लें यह भी संभव नहीं है। बडी मेहरबानी की है पंडित जी ने कि 6 फसलों में जो नहरी नहीं होगी वह 'ए' कैटेगरी की जमीन नहीं मानी जाएगी।

बहुत से इलाकों में नहरें 1969–70 के बाद आई हैं। वहां मौज कर दी वैसे ही और जानबूझ कर रियायतें दी हैं। मैं उस पर ज्यादा तफसील में नहीं जाता क्योंकि वजीर छोटे दिल के हैं और नाराज हो जाएं तो बहुत खराब बात हो जाती है। डिप्टी स्पीकर साहिबा, इनहोंने रूल्ज भी बनाए हैं, उनमें लिखा है कि अ योर्ड इरीगे ान होगी जिसमें दो फसलें पुख्ता होंगी। मैं रूल 5 आपको पढ देता हूं।

Rule 5: Assured Irrigation cabapble of growing two crops.

वह एक कैटेगरी की मानी जाएगी। सभी मैंबरान यहां बैठे हैं। बाहर तो ये भी यहां बैठे हैं। मैं इनसे पूछता हूं कि क्यो कोई नहर हरियाणा में ऐसी है जो दो फसलों को पका दे बर्गर बारि ा के ? हमारी इंटैंसिटी है 50 फीसदी, 60 फीसदी और 66 फीसदी उधर भाखडा पर है। तीन मंथल में वैस्टर्न जमुना में दो हजार क्यूसिक्स पानी रह जाता है और उस दो हजार में यू0पी0 का हिस्सा भी है, तीन सौा क्यूसिक्स एब्जॉर्प ान लॉस है। दिल्ली को भी तीन चार सौ क्यूसिक्स देते हैं। हजार क्यूसिक्स पानी

हांसी और दूसरी ब्रांचों में देते हैं। कहने का मतलब यह कि बडी मु कल से एक डिस्ट्रिब्यूटरी में एक टर्न रबी सीजन में आती है। बाजरे की फसल बो दी, काट ली, चना बो दिया और गेहूं बो दिया तो नहरी जमीन होगी। जब अ योर्ड इरीगे ान का मियार आपने रखा है, क्राइटेरिया रखा है तो रूल्ज में यह लिखने की क्या जरूरत थी कि 6 फसलों में या चार फसलों में जिसमें नहरें लगी हुई हैं कागजात में वह 'ए' कैटेगरी मानी जाएगी। सैक ान 4 के सब सैक ान 4 के तहत देखें कि उसकी इंटैंसिटी क्या है। मैच्योरिटी भी नहीं देखी। सिर्फ कह दिय कि 6 फसलों में जहां नहरें लगती हों वह 'ए' कैटेगरी में मान लेंगे। ऐक्ट के बिल्कुल विरूद्ध रूल्ज बना दिए। आपने इंटैंसिटी का बेसिज कहां लिया ? आपने कहा देखा कि कितना पानी है ? हाई ईल्डिुंग वैरायटी का गेहूं अगर बोएं तो 6 पानी चाहिए, इसी तरह से कौटन बाते हैं या अच्छी किस्म का ईख बोते हैं तो पन्द्रह पानी या बारह पानी चाहिए। पानी तो आप सारे गेहूं की फसल में एक भी नहीं दे सके लेकिन उसको कहते हैं capable of growing two crops. कोई भी जमीन हरियाणा में 'ए' कैटेगरी की भुमार नहीं हो सकती। सरकारी टयूबवैल्ज से या प्राईवेट टयूबवैल्ज से भले आप कुछ करें। किसी भी ट्रैक्ट में आप अ योर्ड इरीगे ान कैपेबल आफ ग्रोईंग टू क्रौप्स करार नहीं दे सकते। सारी जमीन 'बी' कैटेगरी में डाल सकते हैं। आगरा कैनाल में बहुत बुरा हाल है। यू0पी0 वाले पानी देते नहीं। पोसवाल साहब ने बडी कोि ाश की जब ये इरीगे ान ऐंड पावर मिनिस्अर थे लेकिन कामयाब नहीं हुए।

इनको पता है और दूसरे वजीरौं को भी पता है कि वहां पानी मिलता नहीं। लोगों ने टयूबवैल्ज लगा लिए। टयूबवैल्ज से वे आबपा ाी करते हैं, लेकिन दर्ज नहरी करते हैं। मैं अर्ज करना चाहता हूं कि कोई भी जमीन नहरी इलाके में 'ए' कैटेगरी नहीं है। इन रूल्ज को सुप्रीम कोर्ट और कोई भी हाई कोर्ट ठीक करार नहीं दे सकता, क्योंकि that is inconsistant with the provisions of the Act itself. वाटर अलाऊंस देखा जाए, क्वांटम आफ वाटर सप्लाई देखा जाए, कितनी वाटरिंग मिलती है वह देखी जाए लेकिन आप कहते हैं कि 5–6 फसलों में नहर लगी हो, सिर्फ यह बात देखी जाएगी। मैं तो कहता हूं कि आप जल्दी करने की बजाये देर करने लग रहे हैं, क्योंकि इसमें ईमानदारी से काम नहीं कर रहे हैं बल्कि आंख मिचौली कर रहे हैं (घंटी) अभी तो डिप्टी स्पीकर साहिबा, सिर्फ दो ही क्लाजिज हुई हैं। तीसरी बात जो मैं अर्ज करना चाहता हूं वह यह है कि क्लाज 4 के जरिए सैक ान 16 को अमैंड किया गया है और इसके साथ ही आप देख रहे हैं कि क्लाज 7 के जरिए सैक ान 21 को अमैंड किया गया है। इसी तरह सैक ान 18 को भी क्लाज 5 के जरिए अमैंड किया गया है। बडी हैरानी की बात है डिप्टी स्पीकर साहिबा। सभी मानते हैं कि 90–95 फीसदी लोग जो हैं, वे अनपढ हैं। किसान लोग और मजदूर भी जिन्हौंने फार्म भरने हैं वे सब अनपढ हैं लेकिन यह फार्म इतना कम्पलीकेटिड है कि अगर पंडित जी खुद भी भर दें तो भी भात्र है। दफ्तर वालौं ने इस इतना पेचीदा बना दिया है कि भाायद वे ही इसको इनटरपैं कर सकें। डिप्टी स्पीकर साहिबा,

ऐक्ट के सैक ान 8 में इन्होंने कर दिया कि सन 1958 तक की जितनी ट्रांसफर्ज हैं, वे वैलिड हैं, लेकिन मुजारे से कह रहे हैं कि डैक्लेरे ान दो और सन 1953 से ट्रांसफर वैलिड लिखीं। जब 30 जुलाई सन 1958 से आप सारी ट्रांसफर्ज वैलिड मानते हैं तो सन 1953 की बात करने का क्या मतलब ? लोग अनपढ हैं वकील आप खडा नहीं होने देते, तो मेरी समझ में नहीं आता कि वे कैसे फार्म भरेंगे। क्या नियामतें बरसाई हैं पंडित जी ने यह देखने वाली बात है। अगर कोई डैक्लेरे ान नहीं देता या उसका डैक्लेरे ान गलत पाया गया तो जो मुआवजा मिलना है वह आधा कर दिया है। इसके अलावा एक और पैनल्टी भी रखी है। वह अपील के बारे में है। इसमें यह है कि अगर उसकी अपील फेल हो जाती है तो उसको लैण्ड होल्डिंग टैक्स से तीस गुणा लाईसैंस फीस देनी होगी।

इसके बाद आप देखें कि गरीब आदमियों के साथ, एक्स सर्विसमैन के साथ, कर्नल साहब के भाई बन्धुओं के साथ इन्होंने कैसा बर्ताव किया है। लिखा है :–

"(2) If any person secures an allotment by frunishing information which is false or which he knows or has reason to believe to be false or which he does not believe to be true, he shall be punished with imprisonment which may extend to tow years, or with fine which may extend to tow thousand rupees, or with both."

तो यह नियामत बख्शी है इस अमैंडमैंट के जरिए कि कोई भी मुजारा कोई ऐक्स सर्विसमैन या कोई ऐग्रीकल्चरल लेबर यदि गलत डिक्लेरे ान देता है या अगर उसकी कोई भी बात झूठी पाई गई तो दो साल की कैद और दो हजार रूपए जुर्माना होगा। फिर आप कहते हैं कि वकील पे ा न हो। मैं कहता हूं कि इन्सानी हमदर्दी से बर्ताव होना चाहिए। आखिर किसान दे ा का गौरव है औरवह सबको रोटी देता है। मजदूर जो है वह दिन रात भूखा रह कर आपके महल बनाता है चण्डीगढ में, दिल्ली में और पोसवाल साहब के गुड़गांव में। आपने उन लोगों के लिए इन्सानी हमदर्दी भी खो दी। अभी बहुत बडे आदमी ने कहा है कि इस दे ा में बहुत बडे बडे प्रिंसिज हुए, भाहन ााह हुए और लार्डज भी हुए लेकिन वे भी खत्म हो गए। एक सांस में पैदा हुए और हवा के झोंके के साथ ही खत्म हो गए। किसान जो कि दे ा का गौरव है, प्राइड आफ दी ने ान है। वह अगर खत्म हो गया दुबारा पेदा नहीं किया जा सकेगा। आज की सरकार की नीति साफ है कि किस ढंग से किसान को खत्म किया जाए। सरकार की नीयत यह है कि किसी ढंग से तोड मरोड कर बातें कह कर किसानों की जमीन को छीन लिया। लैण्ड सीलिंग वाली बात नहीं है। लैण्ड सीलिंग वाली बात नहीं है। लैण्ड सीलिंग का तो एक बहाना है। मैं तो यह कहूंगा कि यह सरकार एक इंच जमीन भी किसनों के पास नहीं छोडना चाहती है। पंडित जी कहते हैं कि बडा ठीक किया है। जैसे ढंग यह सरकार बरत रही है यही ढंग कम्युनिपस्ट पार्टी की मदद से सरकार बनी। जब यह लैण्ड रिफार्म

प्रोग्राम सैनटर में बना तो उस कमेटी के चेयरमैन कम्युनिस्ट मैंबर थे। उन्होंने यह तजवीज रखी कि इस तरह से करो। कम्युनिस्टों की नीति को कौन नहीं जानता।

उपाध्यक्षाः आपको बोलते हुए काफी समय हो गया। (विघ्न)

चौधरी रिजक रामः उन्होंने कहा कि जब किसी दु मन को मारना है तो उसको आइसोलेट करके मारो। एकदम सबके साथ लडोगे तो वह मरेगा नहीं। तो डिप्टी स्पीकर साहिबा, अभी पंडित जी ने भी कहा कि पहले तो हमने लैन्ड लार्डज को खत्म किया है जिससे बहुत से लोगों को फायदा हुआ। अब वे रिच पीजैन्टस को खत्म करेंगे। जो छोटे बिस्वेदार हैं उनकी हमदर्दी हट जाएगी, क्योंकि उनको ये जमीन देना चाहते हैं। डिवाइड ऐंड रूल की पालिसी इन्होंने अख्तियार की है। जो पहले सलोगन होता था वही इन्होंने दिया है। उसके अनुसार ही यह सरकार भी चल रही है। आज रिच पीजैन्टस कौन हैं ? उनकी आमदनी का हरेक आदमी को अन्दाजा है। किसान को जितना खर्च करना पडता है, उसके हिसाब से उसको कुछ भी नहीं मिलता है। उसको दूसरी चीजें महंगी खरीदनी पडती हैं। आज जमीनों के टुकडे हो चुके हैं। ये सारी चीजें आपके सामने हैं हमें तो यह तसल्ली है, इस बात का वि वास है कि जिस ढंग से चल रहे हैं वह ढंग यही है कि चाहे आप खुद जमीन को न छीनें लेकिन किसान की हालत ऐसी कर कदेंगे कि वह खुद ही जमीन को छोड कर भाग जाएंगे।

वह खुद ही कहेगा कि हमीन पर काम करने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि आमदनी कम होगी और खर्च ज्यादा होगा तो वह भाग जाएगा। किसान को महंगा खरीदना पडता है और सस्ता बेचना पडता है। मैं आखिरी बात कह कर बैठ जाता हूं। आपने जमीन देने का फैसला किया है। एक टैनैंट के लिए पहले जो परमिसिबल एरिया डिक्लेयर किया गया था वह पांच स्टैंडर्ड एकड था। अब जो दूसरे लोगों को देना चाहते हैं वह दो हैक्टेयर बारानी यानी डेढ एकड जमीन देना चाहते हैं। डेढ एकड के अंदर न वह टयूबवैल लगा सकता है, न ट्रैक्टर खरीद सकता है, न थ्रेसर लगा सकता है। यह सारा इन्तजाम इन चीजों का कैसे कर सकता है ? आप कोई ऐसी बात तो करो जो प्रैक्टीकेबल हो। ये कहते हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा तादाद में लोगों को जमीन देना चाहते हैं। (घंटी)

(इस समय अध्यक्ष महोदय पदासीन हुए)

मैं अभी खत्म ही कर रहा हूं। आप थोडी सी ज्यादा जमीन लोगों को दें ताकि वे सही फायदा उठा सकें। जिनको जमीन दें उनको ज्यादा से ज्यादा सहूलियतें दें, ताकि ज्यादा से ज्यादा पैदावार कर सकें। ऐसा न हो कि जमीन तो आप दे दें और साधन उनको प्रोवाइड न करें तो फिर उस जमीन देने का कोई लाभ नहीं हो सकता। वे उपज बढाने की बजाये दे ा का नुक्सान ही करेंगे। सरकार को ऐसे हालात पैदा नहीं करने चाहिए।

दूसरे दे ाों में जहां जहां पर लैण्ड रिफार्म हुआ वहां ज्यादा से ज्यादा री आर्गेनाइजे ान सैट अप हुआ। वहां पर जिन आदमियों को जमीन दी गई उन्होंने पहले ही हिसाब लगाया कि कितने रूपए दरकार हैं, कितनी म ाीन दरकार है, कितने पानी की आव यकता है यानी उनके लिए सब साधन जुटाये। स्पीकर साहब, ज्यादा न कहता हुआ मैं अपनी जगह लेना चाहता हूं लेकिन मैं आपकी इजाजत से दुबारा फिर यही अर्ज करना चाहता हूं कि यह जो अमैंडमैंट की है इसको जल्दी से जल्दी लागू किया जाये। मैं इनको धन्यवाद देता हूं कि वे इस काम को जल्दी निपटाना चाहते हैं लेकिन साथ यह भी प्रार्थना करता हूं कि ये जो भी काम करना चाहते हैं वह इस ढंग से करें कि जमीन लेने वाले को कुछ फायदा हो दे ा को फायदा हो। महज कागजी कार्यवाही करने का कोई फायदा नहीं। अब तो अमली तौर पर कदम उठाने की जरूरत है। ऐसा कर देंगे तो मैं सरकार का बडा आभारी हूंगा।

चौधरी प्रताप सिंह दौलता (बेरी): स्पीकर साहिब, मैं उन प्वांयटस को टच नहीं करूंगा जो कवर हो गए हैं। दूसरे मैं हाउस का ज्यादा टाईम भी नहीं लेना चाहता हूं। मैं तो केवल पालिसी मैटर पर ही बोलना चाहता हूं जो सैन्ट्रल गवर्नमैंट ने तय की है और हमारी गवर्नमैंट ने तय की है। मैं केवल उनकी तरफ ही सरकार की तवज्जो दिलाना चाहता हूं। मैं पहले तो यह अर्ज करना चाहता हूं कि मेरी बेहद हमदर्दी अपनी स्टेट के साथ है।

आज इस मुल्क को कल्टीवे ान के लिहाज से एक जैसा ही मुल्क मान लिया हैं लार्ड कार्नवालिस ने कहीं पर पीजेन्ट प्रोप्राइटरी सिस्टम इन्ट्रोडयूस किया, कहीं रेडीकल सिस्टम इंट्रोडयूस किया। हिन्दुस्तान में एक सिरे से दूसरे सिरे ते कल्टीवे ज्ञन, लैण्ड होल्डिंग और विलेज होलिंडग की 171 वैरायटीज है। सैन्ट्रल गवर्नमैंट ने जिस किस्म की गाइड लाईन दी हैं वह सारे मुल्क में जनरल सिस्टम है। इस सिस्टम का नतीजा यह हुआ कि जहां कहीं सरप्लस लैण्ड की प्रोब्लम नहीं थी, जिसकी जमीन एक चप्पा भी नहीं ली जानी चाहिए थी उसको भी मजबूर हो इस मेनस्ट्रीम में पडना पडा। हमें भी उसमें पडना पडा हमारी भी यह बेसिक मजबूरी है जिसको हम भुगत रहे हैं मैं दावे के साथ कहता हूं कि आपके ऐक्ट के मुताबिक एक चप्पा भी नहरी जमीन का नहीं है जो सरप्लस हो। आपके ऐक्ट की सैक ान चार का प्रोवाइजों चार साफ कहता है कि सरप्लस लैण्ड की जो फर्स्ट कैटेगरी है उसमें वर्ड मैच्योरिटी दर्ज है। मैच्योरिटी को हाई कोर्ट में जस्टिस महाजन ने क्लीयर किया है। Maturity means maturity and nothing less than this. (व्यवधान) Maturity means from the first stage to the last upto maturity. इस हिसाब से आपका प्वायंट यह नहीं था लेकिन आपको करना पडेगा, नहीं तो प्रोलैण्ड लार्ड बन जाएंगे, कंजर्वेटर बन जाएंगे, रिएक ानरी बन जाएंगे। इसलिए मेरा प्वायंट यह है कि कुछ भी किया जाए। यह जो आपका सै ान 4 है यह ऐक्ट के तहत जो रूल 5 बना है उसको कन्ट्रावीन करता है। यह जो रूल है यह ऐक्ट के प्रोविजन को

वायलेट करता है। इस पर गौर किया जाए। मैं इस पर ज्यादा वक्त नहीं लेता। दूसरी चीज जो मैं कहना चाहता हूं वह यह है कि चाहे सैन्ट्रल गवर्नमैंट है, चाहे पंडित जी हैं, चाहे हमारे चीफ मिनिस्टर हैं, और हम सब भाई जो इधर बैठे हैं, हम सब की एक ही नियत है कि इस ऐक्ट में कोई ऐसा प्रोविजन न हो जो मुजारे को चोट पहुंचाए। जो चीज मुजारे के खिलाफ हो, उसको दूर करें। चाहे इस काम में हफ्ता लग जाए। मुझे अफसोस है कि इस ऐक्ट से जिन मुजारों को चोट पहुंची है, वे ऐसे हैं, जिनकी सबसे ज्यादा मदद की जानी चाहिए थी। सैटलमैंट के जो अथोरिटीज बैठे हैं, उनको मालूम है कि 1857 के गदर से पहले, गदर क्यों कहा जाए, मुगलों के जमाने में लोग जमीन को छोड कर भाग जाते थे उनको फौज के जरिए पकड कर बुलाया जाता था और उन लोगों को जमीन को पकडे रहना पडता था। लैण्ड रैवेन्यू लेने के लिए उनको फौज के जरिए बुलाया जाता था और जमीन पर जबरदस्ती बैठाया जाता था। वह भागना चाहता था लेकिन उसको पकड कर लाया जाता था। यह उस वक्त का मुजारा है, जब उसको जबरदस्ती जमीन को पकडे रहना पडता था। वह प्रताप सिंह की जमीन नहीं बोता रहा, वह पोसवाल की जमीन नहीं बोता रहा, वह अपने दादा परदादा की जमीन बातेा रहा और उस जमाने से बोता आ रहा है जब उसके बाप दादा को जबरदस्ती जमीन को पकडे रहना पडता था। वह भागना चाहता था लेकिन उसको भागने नहीं दिया जाता था। इन मुजारों का क्या कसूर है ? यह कौन सा रूल है कि उसकी जमीन को छीन लिया जाए। इन

मुजारों को प्रौटैक ान मिलनी चाहिए। इन लोगों ने जमीन को बनाया और आप उनको आज मुजारा नहीं मानते। यह एग्रेरियन पालिसी के खिलाफ है। स्पीकर साहब, मुझे दूसरी कैटेगरी के साथ इससे भी ज्यादा हमदर्दी है। हरियाणा में जो पोसवाल का मुजारा है या दौलता का मुजारा है वह तो बेदखल है लेकिन गुरूद्वारे के मुजारे सन्त के मुजारें, महन्त के मुजारे मन्दिर के मुजारे या अल्लाह मियां के मुजारे हैं, वह वहीं बैठे हैं। मुझे याद है, जब चौधरी बंसी लाल ने कहा था कि इसमें कोई एक्सपै ान नहीं होगा और न कोई सन्त रहेगा और न कोई महन्त रहेगा। मुझे पता नहीं कि सैन्टर के प्रे ार से अब ईल्ड हो गए हैं या क्या हुआ। हम रिलिजियस इंस्टीच्यू ान्ज के जो मुजारे हैं उनको बेदखल करे और अगर हम उनको बेदखल नहीं करते हैं तो यह ऐग्रेरियन प्रिंसिपल के खिलाफ हैं लेकिन इन दो कटेगरीज के मुजारों को औरों से पहले जमीन मिलनी चाहिए।

तीसरी बात लायर्ज की अपीरैंस को डिबार करने वाली है। यह कहा गया है कि फाईनैं ानल कमि नर के लेवल के नीचे किसान अपनी तरफ से कोई लायर पे ा नहीं कर सकता। यह रिडिकुलस पोजी ान ले ली है। जहां फाईंडिंग आफ फैक्टस होना है वहां तो लायर जा सकता है लेकिन जहां पर ला डिटरमिन होना है, वहां पर वह पे ा नहीं हो सकता। (विघ्न) वर्मा जी लायर्ज को ऐज ए होल डिबार किया गया है। आफिसर्ज यहां बैठे हैं उनको पता है कि वकील जिला कोर्ट के लेवल पर रैवेन्यू के

मामले में ज्यादा मदद कर सकता है इसलिए या तो उसको फर्स्ट स्टेज के मामले में ज्यादा मदद कर सकता है इसलिए या तो उसको फर्स्ट स्टेज पर भी अपीयर होने का हक होना चाहिए या फिर उसको बिल्कुल ही डिबार कर देना चाहिए।

ऐक्सपीडाइट करने वाली बात यहां आई है। यह कहते हैं कि हम जल्दी ऐक्सपीडाइट करना चाहते हैं। मैं इस प्रिंसिपल को नहीं मानता। आज देहात के अंदर लोग बडे परे ाान हैं और उनके अंदर बडी बेचैनी फैली हुई हैं। ऐक्सपीडाइट करने का मतलब यह नहीं होना चाहिए कि लोगों को दिक्कत हो और वह परे ाान हों।

अब इनि ाए ान वाली बात है। मैं कहता हूं कि the principle of urban taxation brought to the land is a dangerious thing. अब इनकम टैक्स की रिटर्न खुद देनी पडती है। पढे लिखे लोगों को इतनी दिक्कत न हो लेकिन किसान जो ज्यादातर अनपढ हैं उनके लिए यह बडी कठिनाई का मामला है That will be an initiation in a dangerous way. क्या अब इस लैण्ड ओनर को खुद रिटर्न देनी पडेगी जबकि सारा रिकार्ड गवर्नमैंट के पास है। पंजाब बैस्ट रूल्ड स्टेट रही है। सारा रिकार्ड सरकार के पास अवेलेबल है। आप अपने आफिसर्ज की ड्यूटी लगाएं और वह देखें कि कौन सी जमीन सरप्लस है। जिनकी जमीन सरप्लस निकलती हो उनको नोटिस दें। इन्होंने इतनी इनफर्मे ान मांगी है कि लोग मारे मारे फिर रहे हैं। वकील, पटवारी, गांव का मुं ाी उनसे पैसा

मांग रहे हैं। अब जमीन को रखना एक गुनाह हो गया है इस महात्मा गांधी के दे ा में। जिन के पास जमीन है पिछले 25 साल से लैण्ड रिफार्म के ना सम उनका मखोल उडाया जा रहा है। The initial repsonsibility of the land owner to give this informaiton is most dangerious and harmful to those people. क्लाज 15 में डिस्ट्रीब्यू ान वाली बात है। या तो चौधरी रिजक राम बिल्कुल गलत हैं। पंडित जी ने प्रायरिटी रखी है कि फलां को जमीन मिलेगी। नम्बर वन पर लिखा है वह टैनैन्ट है। जब तक नम्बर वन वाली जमीन अवेलेबल है, नम्बर दो पर न जाईए जब तक नम्बर दो वाली जमीन अवेलेबल है, नम्बर तीन पर न जाएं। फिर आप क्यों घबरा रहे हैं। अगर नम्बर तीन से आगे जमीन बंटेगी तो मुझे पकड लेना।

स्पीकर साहब, जब तक हरिजन मुजारा है, तब तक न जाट को दें, न अहीर को दें और न ही ब्राह्मण को दें। अगर सरकार यह पालिसी अडाप्ट कर ले तो टैनैन्टस को भी जमीन मिल जाएगी और जिनको हम 20, 25 सालों से बहकाते आ रहे हैं, उन हरिजनों को भी जमीन मिल जाएगी। स्पीकर साहब, क्लाज 15 पर तो मैं सिर्फ इतना ही अर्ज करना चाहता था इसके बाद एक और बात अर्ज करना चाहता हूं कि यहां पर मेरे लायक दोस्तों ने यह कहा कि वह सारी जमीन ले लेंगे। मैं तो कहता हूं कि सारी जमीन ले लो और मेरे बच्चों के लिए चार रूपए पर डे की मजदूरी के हिसाब से दे दो।

स्पीकर साहब, आप जानते हैं कि जाट के 15 आदमी जमीन पर काम करते हैं। उनको डैली वेजिज का पता ही नहीं और मजदूर जो फैक्ट्री में काम करता है, सुबह उसकी घण्टी बजती हैं कारखाने के मजदूर की घण्टी बजती है, रोटी के लिए घण्टी बजती है, भााम को घण्टी बजती है लेकिन ये वे मजदूर हैं जिनकी घण्टी कभी नहीं बजती। स्पीकर साहब, जहां तक वुक्ला साहेबान के फाईंडिंग आफ फैक्टस का ताल्लुक है, वहां वे पे ा हो सकते हैं। मगर जहां फाइनैंि ायल कमि नर के आगे ला प्वांयट डिटरमिन होना हो वहां वे पे ा नहीं हो सकते Debar this lawyer class as a whole, Verma Jee nothing will be lost. I am of the opinion that lawyer be debarred to appear at all stages. Sir, Chhotu Ram had to do it forty years ago in order to expedite the matters in respect of relief to debtors. स्पीकर साहब, यह जो जमीन के ऊपर टैक्से ान लाज ला रहे हैं यह मुि कल पैदा करेंगे। This priniciple of taxation brought to the land is a dangerous thing. जो भाहर का आदमी है, वह पढा लिखा है। वह हिसाब रख सकता है लेकिन जो जमींदार है, पढाा लिखा नहीं है वह कैसे करेगा। मैंने इसको हैडिंग दिया है Initatiation in a dangerour way. उसका क्या होगा ? वकील नोचेंगे, मुं ाी नोचेंगे। इसलिए टैक्से ान लाज को जमीन पर लाना इनकम टैकस ला की तरह उचित बात नहीं है।

Mr. Speaker: No repetition please. No repetition please.

चौधरी प्रताप सिंह दौलताः स्पीकर साहब, मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर जमीन सरप्लस हो जाए तो ....

श्री अध्यक्षः दौलता साहब, जब अमैंडिंग ऐक्ट में भी नहीं, प्रिंसिपल ऐक्ट में भी नहीं, तो फिर .....

चौधरी प्रताप सिंह दौलताः स्पीकर साहब, हमें इस बारे में कर्नाटक का, केरल का, तामिलनाडु का और पांडेचरी का माडल अडाप्ट करना चाहिए और सैल्फ कल्टीवे ान की डैफिने ान को लिबरल कर देना चाहिए, जैसा कि उन्होंने किया है। ओनर जो है वह खुद का त करे, अपनी सुपरवीजन में कराए, या अपने करीबी रि तेदारों से कराए तो उसको सैल्फ कल्टीवे ान समझना चाहिए। Let us be honest to ourselves and let us be honest to the State. Land should go to the tiller. Absence landlordism should be abolished.

स्पीकर साहब, जो आदमी इतनी लिबरल डैफिने ान मे भी का त नहीं कर सकता उसको अपनी जमीन का तकार को बेच देनी चाहिए। मतलब यह है कि गांव में पीस तब आएगा जबकि जमींदार और मुजारे का कनसैप्ट खत्म हो जाएगा। जो आदमी अपनी जमीन का त नहीं करता न अपने रि तेदारों से करवा सकता है, उसका मतलब यह है कि वह अपने आप को, बाहर की इन्कम को इनकम टैक्स से बचाने के लिए जमीन को जकडे हुए हैं। स्टेटस सिम्बल मेनटेंन करने के लिए जमीन को

जकडे हुए हैं। इसलिए पीस लाने के लिए जरूरी है कि एबसैन्टी लैण्ड लार्डिज्म खत्म किया जाए। Landlordism should go, Absentee landlordism shold go. This column of tenancy we should abolish. And atter distribtuion of the land no landlord may be allowed to create a tenancy under whatever circumstances in Haryana. If he creates then make the tenant the owner and let this landlord who is not in a position to cultivate lose the land.

If any tenancy is allowed to be created and if the tenancy is allowed to be thered what is the use of this land reform ? We should abolish this column of tenancy altopgether and let this law of the property namely the Transfer of Property Act operate. Let the nornmal law about property prevail. Under this agrarian reforms the landlordism should end.

Mr. Speaker, you come from a village in Hissar and you know that for agrarian fields there is a different law but for village Abadi the Transfer of Property Act applies. So let the Transfer of Property Act apply even to Agricultural lands and if any one wants to create a tenancy let it be created under a lease and if any one wants to creat a tenancy let it be created under a lease deed and let this column of 'Teanancy' go altogether.

इसलिए स्पीकर साहब, मेरी दरखास्त है कि जिसके पास जमीन है, उसको चाहिए कि वह करे cultivation by himself; cultivation under his supervisions; cultivation by his collaterals. नहीं तो वह जमीन उसके पास नहीं रहनी चाहिए और

इस असूल पर अमल होना चाहिए one who cultivates the land, should own it, one who owns it should cultivate it.

राजस्व मंत्री (पंडित चिरंजी लाल भार्मा): स्पीकर साहब, दि हरियाणा सीलिंग आन लैंड होल्डिंगज (सैंकिड अमैंडमैंट) बिल, 1976 जो हाउस के सामने जेरेगौर है उस पर अपोजी ान के कुछ आनरेबल मैंबज्र ने बववलाखेज तकरीरें की हैं, और बडे खूबसूरत तरीके से अपने दिल के गुबार निकाले हैं और कुछ सरकार के ऊपर कटाक्ष भी किए हैं। गालिबन आनरेबल मैंबर्ज ने जो ओरिजनल ऐक्ट है उसके सैक ान्ज को गौर से पढने की कोि ा ा ही नहीं की है और जो अमैंडिंग बिल की प्रोविजन है उसको ठीक तरह से इन्टरप्रेट नहीं किया है। मैं तो समझता था कि मैम्बर साहेबान इस बिल के पास करने में कोई ज्यादा टाईम नहीं लेंगें। बहरहाल दो चार बातें जो उनहोंने कहीं हैं उनके बारे में मैं भी कुछ बातें अर्ज करना चाहता हूं। स्पीकर साहब, इन्होंने सबसे ज्यादा स्ट्रैस उस बात पर ले किया है कि वुकला साहेबान की अपीयरैंस को डिबार कर दिया और जो गलत डिक्लेरे ान देंगे उनके ऊपर क्या ऐक ान लिया जाएगा ? एक आनरेबल मैंबर साहेबान ने जापान और ताईवान का हवाला देते हुए कहा कि वहां पर यह ऐक्ट 2 सालों में इम्पलीमैंट हुए। जापान में 46 में ऐक्ट पास हुआ और 48 में उसकी इम्प्लीमैंटे ान हो गई। इसी तरह ताईवान में 53 में ऐक्ट पास हुआ और 55 में उसकी इम्पलीमैंटे ान हो गई। स्पीकर साहब, सवाल यह है कि यहां पर जो इस किस्म की अमैंडमैंट लानी पडी। (विघ्न) आप मुझे माफ

करेंगें स्पीकर साहब, आप वकील रहे हैं विरोधी दल के जो आनरेबल मैंबज्र यहां पर जलवाफरो ा हैं उनमें से जिन दो साहेबान ने अपने विचार रखे हैं वे भी काबिल वकील हैं और मैं खुद भी एक वकील हूं।

श्री अध्यक्षः टाईम बहुत थोडा है।

पंडित चिरंजी लाल भार्माः जहां तक वकील की अपीयरेंस को बार करने का ताल्लुक है उसके बारे में मैं यह कहना चाहता हूं कि वकीलज एडजर्नमैंट आफ्टर एडजनैमैंट आन वन परिटैक्सट आर दी अदर मांगते रहते हें, जिससे देरी होती है। वकील यह चाहते हैं कि किसी तरीके से इसमें देरी होती जाए। फिर अगर उसे अदालत से एडजर्नमैंट के लिए इंकार किया जाता है तो वह कहता है कि मेरे साथ बेइन्साफी होती है। दौलता साहब ने भी अपनी तकरीर में फरमाया कि पहले छोटू राम जी के टाईम में ऐसी स्थिति होती रही है। इसके अलावा और स्टेटस ने भी लायर्ज की अपीयरैंस को बार किया। दौलता साहब ने ठीक कहा है कि हमारे अफसर विद ओपन माईंड बैठे हैं उनकी किसी से कोई दु मनी नहीं है और न ही किसी मुजारे से उनकी रि तेदारी है। जहां तक सरप्लस जमीन डिक्लेयर करने का प्रोसीजर अडाप्ट किया गया है उसमें हमने पब्लिक के आदमी भी इनवाल्व किए हैं और तहसील लेवल पर कमेटियां भी बनाई हैं भाायद आनरेबल मैंबर साहिबान को पता न हो तो पब्लिक मैन की इनवाल्वमैंट भी रखी हुई है कि अगर कोई रैवेन्यू अफसर या

रैवेन्यू एजैंसी को गलत सूचना देता है तो वह रिपांसिबिलिटी उसे ओन करनी चाहिए, वह खुद ठीक डिक्लेयर करे। स्पीकर साहब, एक आदमी के पास जमीन है और वह जमीन को एलिनिएट करता है बाई सेल आर बाई रजिस्टर्ड डीड और उसका इन्तकाल मंजूर नहीं होता, तो रैवेन्यू अुसर को इस चीज का कैसे पला चलेगा कि फलां आदमी ने अपनी जमीन को एलीनिएट कर दिया। हमने यह इसलिए किया ताकि out of apprehension for being penalised वह रिटर्न को ठीक ठाक करे। हमारा मुद्दा यह है कि जिसके पास जितना सरप्लस एरिया है वह उसे ईमानदारी से बता दें। हमने इस संबंध में पटवारियों को भी हिदायत की है कि इस मामले में कहीं भी रैवैन्यू रिकार्ड की कापी देने में डिले न की जाए और अगर कहीं से इस बारे में ि ाकायत आई, तो सम्बधित अफसर के खिलाफ एक ान लिया जाएगा। दूसरे सैक ान 8 और 12 का हवाला देते हुए कहा गया कि इस कानून में ऐम्बीग्यटी है। मैं कहता हूं कि इसमें कोई ऐम्बीग्यूटी नहीं है। मैं आपकी इजाजत से हाउस को बताना चाहता हूं कि सैक ान 12 में यह है कि surplus area of a land owner from the date on which it is declared as such shall be deemed to have been acquired by the State Government for a public purpose ..... सैक ान 8 को इंटरप्रेट किया है और कहते हैं कि सन 1958 से पहल जो सेल थी उनको वैलिड करार दे दिया और अप्वांयटिड डैट के बार की जो बोनाफाइडी सेल्ज हैं। उनको वैलिड करार दे दिया। स्पीकर साहब, जो लैण्ड सिक्यूरिटी आफ लैण्ड टिनयोर एक्ट की

सै ान 10 के तहत सरप्ल्स करार दी गई थी that will contiune to be surplus and that will be used as such. तो इसमें कोई वेगनैस या एम्बीग्यूटी नहीं है there is nothing of this kind. चौधरी ि ाव राम जी ने क्लाज वाइज दो तीन बातें कहीं मैं उनकी डिटेल में नहीं जाना चाहता लेकिन मैंबर साहिबान ने अपने ख्यालात का जो इजहार किया है वह उनका दिल गवाही देता है कि जो बिल हम यहां लाए हैं वह अच्छी नियत से लाए हैं और यह इन्दिरा जी के 20 प्वायंट प्रोग्राम का हिस्सा है। जितनी भी जमीन पंजाब और पैपसू लैण्ड ऐक्अ के अंडर सरप्लस है, वह हमने अलाट करनी है और यह कानून जो हमने 1972 में बनाया इसके तहत जो जमीन सरप्लस करनी है वह हम जल्दी कर रहे हैं। इसको जल्दी करने की वजह से हमें ये कुछ अमैंडमैंटस लानी पडीं जिनको मैंबर साहिबान को स्वीकार करना चाहिए। स्पीकर साहब, मैंबर साहिबान ने बोलने हुए इन्सानी हमदर्दी का भी वास्ता दिया और बहुत सी बातें कहीं। उन्होंने अपने ख्यालात का इजहार करके अपने दिल की बातें कहीं लेकिन मैं आपकी मार्फत इस हाउस को यकीन दिलाना चाहता हं कि हमारी हरियाणा सरकार की ऐसी नियत नहीं है कि हम किसी को खामख्वाह के लिए परे ाान करना चाहते हैं या किसी की जमीन जबरदस्ती छीनना चाहते हैं। हम कायदे के अनुसार जो जमीन सरप्लस होगी, वही लेंगे और जो भी काम होगा वह कायदे से करैंगे खामख्वाह किसी को परे ाान नहीं करेंगे। इन भाब्दों के साथ मैं हाउस से प्रार्थना करूंगा कि इस बिल को पास कर दिया जाए।

Mr. Speaker: Question is-

That this House disapproves the Haryana Ceiling on Land Holdings (Second Amendment) Ordinacne, 1976 (Haryana Ordinance No. 7 of 1976).

The motion was carried.

Mr. Speaker: Question is-

That the Haryana Ceiling on Land Holdings (Second Amendment) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Now the House will take up the Bill clause by clause.

Clauses 2 to 8

Mr. Speaker: Question is-

That cluases 2 to 8 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clauses 1

Mr. Speaker: Question is-

That cluase 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Speaker: Question is-

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker: Question is-

That Titel be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Revenue Minister (Pandit Chiranji Lal Sharma): Sir, I beg to move-

That the Haryana Ceiling on Land Holdings (Second Amendment) Bill be passed.

Mr. Speaker: Motion moved-

That the Haryana Ceiling on Land Holdings (Second Amendment) Bill be passed.

Mr. Speaker: Question is-

That the Haryana Ceiling on Land Holdings (Second Amendment) Bill be passed.

The motion was carried.

दि हरियाणा म्यूनिसिपल (सैकिंड अमैंडमैंट) बिल, 1976

Local Government Minister (Ch. Pokhar Ram Godara): Sir, I beg to introudce the Haryana Municipal (Second Amendment) Bill, 1976.

Mr. Speaker: There is a motion, for the disapproval of the Haryana Municipal (Second Amendment) Ordinance, 1976 (Haryana Ordinance No. 10 of 1976). If the House agrees the motion for the disapproval of the Ordinance and the motion that the Haryana Municipal (Second Amendment) Bill be taken into consideration at once, be discussed together and voted upon separately.

(Voices: Yes).

बैठक का समय बढ़ाना

Mr. Speaker: The time of the House is extended by half an hour.

दि हरियाणा म्यूनिसिपल (सैकिंड अमैंडमैंट) बिल, 1976 (पुनरारम्भ)

चौधरी िाव राम वर्मा (नीलोखेड़ी): स्पीकर साहब, यह जो विधेयक आया है, इसमें जो सं ाोधन किया है उसकी डिस्एप्रूवल के लिए मैंने जो नोटिस दिया है उसे मैं पढकर सुना देता हूं :–

कि यह सदन हरियाणा नगरपालिका (द्वितीय सं ाोधन) अध्यादे ा, 1976 (1976 का हरियाणा अध्यादे ा सं0 10) का निरनुमोदन करता है।

Mr. Speaker: Motion moved-

That the House disapproval the Haryana Municipal (Second Amendment) Ordinance, 1976 (Haryana Ordinance No. 10 of 1976).

Local Government Minister (Ch. Pokhar Ram Godara): Sir, I also beg to move-

That the Haryana Municipal (Second Amendment) Bill be consideration at once.

Mr. Speaker: Motion moved-

That the Haryana Municipal (Second Amendment) Bill be consideration at once.

चौधरी ि िव राम वर्मा : स्पीकर साहब, इसके बारे में मैं कोई ज्यादा लम्बी चौडी बात नहीं करना चाहता सिर्फ एक ही बात है कि यह 3 वर्श की बजाये जो 5 वर्श की अमैंडमैंट आई है, यह ठीक नहीं है। हरियाणा की नगरपालिकाओं के इलैक ान को 3 साल हो गए हैं मगर उसकी टर्म को अब दो साल सरकार बढाना चाहती है। पहले इन्होंने कहा था कि चुनाव 3 साल के बाद करेंगे इसलिए यह दो साल जो और बढाए जा रहे हैं इसमें क्या रखा है। हम सब लोगों के चुने हुए नुमांयदे हैं और सरकार भी लोगबों के चुने हुए नुमांयदों की बनी हुई है। तो नगरपालिका के जो मैंबर हैं वह भी आखिर भाहर के निवासियों द्वारा चुने जाकर काम करें तो यह कोई नुक्सान की बात नही है। इसलिए मुझे समझ नहीं आती कि सरकार चुनाव करवाने से क्यों डरती है ? इसमें एक यह बात भी आती है कि पार्लियामैंट का चुनाव स्थगित हो गया है इसलिए वह भी स्थगित कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि यह कोई वजनदार दलील नहीं है। नगरपालिकबा तो छोटी से बोडी होती है इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि इसके चुनाव होने

चाहिएं और मेरा यह जो सं ाोधन है इसको सरकार को मान लेना चाहिए नहीं तो इस बिल को हाउस नामंजूर कर दे।

Mr. Speaker: Motion moved-

That the House disapproval the Haryana Municipal (Second Amendment) Ordinance, 1976 (Haryana Ordinance No. 10 of 1976).

The motion was lost.

Mr. Speaker: Question is-

That the Haryana Municipal (Second Amendment) Bill be consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Now the House will take up the Bill clause by clause.

Clauses 2 to 3

Mr. Speaker: Question is-

That cluases 2 to 3 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clauses 1

Mr. Speaker: Question is-

That cluase 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Speaker: Question is-

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker: Question is-

That Titel be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Local Government Minister (Ch. Pokhar Ram Godara): Sir, I also beg to move-

That the Haryana Municipal (Second Amendment) Bill be passed.

Mr. Speaker: Motion moved-

That the Haryana Municipal (Second Amendment) Bill be passed.

Mr. Speaker: Question is-

That the Haryana Municipal (Second Amendment) Bill be passed.

The motion was carried.

दि पंजाब इंडस्ट्रियल ऐस्टेब्लि ामैंटस (ने ानल एंड फैस्टिबल होलिडेज एंड कैजुअल एंड सिक लीव) हरियाण अमैंडमैंट बिल, 1976

Transport Minister (Sh. K.L. Polwal): Sir, I beg to introduce the Punjab Industrial Establishments (National and Festival Holidays and Casual and Sick Leave) Haryana Amendment Bill, 1976.

Sir, I also beg to move-

That the Punjab Industrial Establishments (National and Festival Holidays and Casual and Sick Leave) Haryana Amendment Bill, be taken into consideration at once.

Mr. Speaker: Motion moved-

That the Punjab Industrial Establishments (National and Festival Holidays and Casual and Sick Leave) Haryana Amendment Bill, be taken into consideration at once.

Mr. Speaker: Question is-

Mr. Speaker: Question is-

That the Haryana Municipal (Second Amendment) Bill be consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Now the House will take up the Bill clause by clause.

Clauses 2 to 3

Mr. Speaker: Question is-

That cluases 2 to 3 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clauses 1

Mr. Speaker: Question is-

That cluase 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Speaker: Question is-

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker: Question is-

That Titel be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Local Government Minister (Ch. Pokhar Ram Godara): Sir, I also beg to move-

That the Haryana Municipal (Second Amendment) Bill be passed.

Mr. Speaker: Motion moved-

That the Haryana Municipal (Second Amendment) Bill be passed.

Mr. Speaker: Question is-

That the Haryana Municipal (Second Amendment) Bill be passed.

The motion was carried.

दि पंजाब इंडस्ट्रियल ऐस्टेब्लि ामैंटस (ने ानल एंड फैस्टिबल होलिडेज एंड कैजुअल एंड सिक लीव) हरियाणा अमैंडमैंट बिल, 1976

Transport Minister (Sh. K.L. Polwal): Sir, I beg to introduce the Punjab Industrial Establishments (National and Festival Holidays and Casual and Sick Leave) Haryana Amendment Bill, 1976.

Sir, I also beg to move-

That the Punjab Industrial Establishments (National and Festival Holidays and Casual and Sick Leave) Haryana Amendment Bill, be taken into consideration at once.

Mr. Speaker: Motion moved-

That the Punjab Industrial Establishments (National and Festival Holidays and Casual and Sick Leave) Haryana Amendment Bill, be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Now the House will take up the Bill clause by clause.

Clauses 2

Mr. Speaker: Question is-

That cluases 2 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clauses 1

Mr. Speaker: Question is-

That cluase 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Speaker: Question is-

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker: Question is-

That Titel be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Transport Minister (Sh. K.L. Polwal): Sir, I beg to move-

That the Punjab Industrial Establishments (National and Festival Holidays and Casual and Sick Leave) Haryana Amendment Bill, be passed.

Mr. Speaker: Motion moved-

That the Punjab Industrial Establishments (National and Festival Holidays and Casual and Sick Leave) Haryana Amendment Bill, be passed.

Mr. Speaker: Question is-

That the Punjab Industrial Establishments (National and Festival Holidays and Casual and Sick Leave) Haryana Amendment Bill, be passed.

The motion was carried.

दि पंजाब ग्राम पंचायत (हरियाणा सैंकिंड अमैंडमैंट) बिल, 1976

Agriculture Minister (Col. Maha Singh): Sir, I beg to introduce the Punjab Gram Panchayat (Haryana Second Amendment) Bill, 1976.

Sir, I also beg to move-

That the Punjab Gram Panchayat (Haryana Second Amendment) Bill, be taken into consideration at once.

Mr. Speaker: Motion moved-

That the Punjab Gram Panchayat (Haryana Second Amendment) Bill, be taken into consideration at once.

Mr. Speaker: Question is-

That the Punjab Gram Panchayat (Haryana Second Amendment) Bill, be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Now the House will take up the Bill clause by clause.

Clauses 2 to 6

Mr. Speaker: Question is-

That cluases 2 to 6 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clauses 1

Mr. Speaker: Question is-

That cluase 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Speaker: Question is-

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker: Question is-

That Titel be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Agriculture Minister (Col. Maha Singh): Sir, I beg to move-

That the Punjab Gram Panchayat (Haryana Second Amendment) Bill, be passed.

Mr. Speaker: Motion moved-

That the Punjab Gram Panchayat (Haryana Second Amendment) Bill, be passed.

Mr. Speaker: Question is-

That the Punjab Gram Panchayat (Haryana Second Amendment) Bill, be passed.

The motion was carried.

दि पंजाब विलेज कौमन लैंडज (रैगुले ान) हरियाणा अमैंडमैंट बिल, 1976

Agriculture Minister (Col. Maha Singh): Sir, I beg to introduce the Punjab Village Common Lands (Regulation) Haryana Amendment Bill, 1976.

Mr. Speaker: There is a notice of motion for the disapproval from Sarvshri Ram Lal and Shiv Ram Verma of the Punjab Village Common Lands (Regulation) Haryana Amendment Ordinance, 1976 (Haryana Ordinance No. 8 of 1976). If the House agrees the motion for the disapproval of the Ordinance and the motion that the Punjab Village Common

Lands (Regulation) Haryana Amendment Bill be taken into consideration at once, be discussed together and voted upon separately.

चौधरी ि ाव राम वर्मा: अध्यक्ष महोदय, यह जो विधेयक आया है इसमें कोई लम्बी चौड़ी बात नहीं करना चाहता सिर्फ सुझाव दूंगा। अगर सरकार मेरे सुझाव का मान ले तो अच्छी बात होगी।

यह जो मैंने डिस्एप्रूवल का नोटिस दिया है, इसके बारे में मैं प्रस्ताव करता हूं:–

कि यह सदन पंजाब ग्राम भाामलात भूमि (विनियमन) हरियाणा सं ाोधन अध्यादे ा, 1976 (1976 का हरियाणा अध्यादे ा संख्या 8) का निरनुमोदन करता है।

Mr. Speaker: Motion moved-

That the Punjab Village Common Lands (Regulation) Haryana Amendment Ordinance, 1976 (Haryana Ordinance No. 8 of 1976).

Agriculture Minister (Col. Maha Singh): Sir, I beg to move-

That the Punjab Village Common Lands (Regulation) Haryana Amendment Bill be consideration at once.

Mr. Speaker: Question is-

That the Punjab Village Common Lands (Regulation) Haryana Amendment Bill be consideration at once.

चौधरी ि िव राम वर्मा (नीलोखेड़ी): आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं दो मिनट में बात खत्म कर दूंगा। एक तो पंचायत को जो यह अधिकार दिया जा रहा है इसमें काफी धांधली होने की सम्भावना है। उसके ऊपर रखवाली करने के लिए सरकार को काफी ध्यान देना पड़ेगा। कितना अध्यान दे पाएंगे यह अलग बात है। (विघ्न) दूसरा सुभाव मैं यह देना चाहता हूं कि इसमें जो यह लिखा है, 'अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्ग के सदस्यों' इसके स्थान पर 'आर्थिक तौर पर पिछडे सभी व्यक्ति' अगर आ जाए तो कमजोर वर्ग के लोगों को बडा फायदा होगा। उसमें हरिजन भी आ जाएंगे और दूसरे पिछडे वर्ग के लोग भी आज जाएंगे। (विघ्न) स्पीकर साहब, मैं यह समझता हूं कि सरकार अगर इस बात को मान ले तो वह गरीब लोगों को काफी फायदा पहुंचाएगी।

कृशि मंत्री (कर्नल महासिंह): अध्यक्ष महोदय, मेरे साथियों को भाायद इसका इल्म नहीं है कि यह अधिकार पंचायत को अभी नहीं दिया गया। अब तो 20 सूत्रीय प्रोग्राम के तहत 100 गज जमीन का टुकड़ा हरेक हरिजन और बैकवर्ड क्लास के व्यक्ति को, जिसका कुनबा बढ गया है, देने के लिए यह तरमीम लाई गई है (विघ्न) मैं पढकर सुनाता हूं:–

Rule ten of Village Common Land Rules made in 1964.

"Residential Purposes" All members of the Scheduled Castes or Backward Classes or land less Labourers or Tenants in Genuine cases on grounds of poverty".

This provision already exists.

"Dependants of Defence Personnel killed in action in any war after 1947".

This provision was also added in 1974.

1964 से यह था लेकिन कोई मिसयूज नहीं हुआ अब तक। अभी तक किसी के नोटिस में आया हो तो बताएं। यह प्रोविजन पहले से ही है। मैं चैक करने गया था। कुछ जिलों में मेरी डयटी लगी थी। हिसार और भिवानी के जिलों में मैं गया। बहुत सी पंचायतों ने जिसमें ब्राह्मण भी थे, जाट भी थे और अहीर भी थे, यह कहा कि जिन भाईयों के पास न जमीन है और न प्लाट है उन्हें हम देने को खु ा हैं। उन्होंने खुद कहा कि इनको जमीन दे दी जाए।

चौधरी ि ावराम वर्मा: हमारे जिले में तो नहीं माने।

कर्नल महा सिंह: रोड़ भाई नहीं मानते होंगे। (हंसी)

चौधरी ि ावराम वर्मा: आपका फैसला उन्होंने नहीं माना।

कर्नल महा सिंह: यह तो रूल है और मैंने कोट कर लिया।

चौधरी ि ावराम वर्मा: कहीं ऐसा तो नहीं कि बीस सूत्रीय प्रोग्राम के तहत लोगों को दिखाने के लिए यह कर रहे हों।

कर्नल महा सिंह: यह तो हमने रूल में ऐड किया है:— (विघ्न)

चौधरी ि ावराम वर्मा: कहीं ऐसा तो नहीं कि अगर मकान नहीं बनेंगे तो प्लाट ही चले जाएंगे।

कर्नल महा सिंह: यह नहीं है। बीस साल तक बेच नहीं सकते। इसके अलावा कल मुख्य मंत्री जी ने एक बात साफ कर दी थी कि यह बात सरकार के जेरे गौर है कि उनकी और तरह से भी मदद की जाए। मैं ग्रिवैन्सिज कमेटी की मीटिंग में भिवानी जाता हूं और मैं वह बात जो मुख्य मंत्री जी ने नहीं बताई आपको बताता हूं। वहां बापोड़ा और आसपास के गांव के लोगों को ग्रामीण बैंक से लोन दिया जा रहा है। भिवानी में टाउन एंड कंटरी प्लानिंग वालों ने एक कालोनी भी बनाई है। बैंक से लोन दिलाया जा रहा है। हमारे जनरल सैक्रेटरी देवी प्रसन्ना कहते हैं कि वे उनकी भयोरिटी भी होंगे। (विघ्न)

Mr. Speaker: Order please, Order please. No direct talks.

Mr. Speaker: Question is -

That the Punjab Village Common Lands (Regulation) Haryana Amendment Ordinance, 1976 (Haryana Ordinance No. 8 of 1976).

The motion was lost.

Mr. Speaker: Question is-

That the Punjab Village Common Lands (Regulation) Haryana Amendment Bill be consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Now the House will take up the Bill clause by clause.

Clauses 2 to 4

Mr. Speaker: Question is-

That cluases 2 to 4 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clauses 1

Mr. Speaker: Question is-

That cluase 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Speaker: Question is-

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker: Question is-

That Titel be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Agriculture Minister (Col. Maha Singh): Sir, I beg to move-

That the Punjab Village Common Lands (Regulation) Haryana Amendment Bill, be passed.

Mr. Speaker: Motion moved-

That the Punjab Village Common Lands (Regulation) Haryana Amendment Bill, be passed.

Mr. Speaker: Question is-

That the Punjab Village Common Lands (Regulation) Haryana Amendment Bill, be passed.

The motion was carried.

Mr. Speaker: The House stands adjourned till 2.00 P.M. tomorrow.

***18.47**

(The Sabha then *adjourned till 2.00 P.M. on Wednesday, the 7th July, 1976).